ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

विजन दस्तावेज
2019-2024

ग्रामीण भारत के सक्रिय सामाजिक – आर्थिक समावेशन, एकीकरण और सशक्तिकरण के माध्यम से जीवन और आजीविका को बदलना

नवम्बर, 2019

NSAP | Mission Antyodaya | SAGY | PMGSY | NRuM

सत्यमेव जयते

विजन दस्तावेज

2019-2024

ग्रामीण भारत के सक्रिय सामाजिक – आर्थिक समावेशन, एकीकरण और सशक्तिकरण के माध्यम से जीवन और आजीविका को बदलना

नवम्बर, 2019

ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

''भारत गाँव में बसता है''

''हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि हम सर्वप्रथम गाँव, फिर पड़ोस की, फिर जिले की और उसके बाद प्रांत की सेवा करेंगे''

प्रस्तावना

ग्रामीण विकास को स्थानीय, राज्यों और संघीय सरकार के सहयोगी और भागीदारी प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक इक्विटी, समावेशिता और स्थिरता के प्रसार के रूप में जाना जाता है। देश में ग्रामीण विकास नीति और कार्यक्रम के पहलों के लिए एक पैकेज बनाया गया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आधुनिकीकरण के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन और मानव विकास को बढ़ावा देना है और एक गरिमामय जीवन के लिए ग्रामीण सशक्तिकरण को मुख्यधारा में लाना है।

नरेन्द्र सिंह तोमर
NARENDRA SINGH TOMAR

सत्यमेव जयते

कृषि एवं किसान कल्याण,
ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

MINISTER OF AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE,
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

प्राक्कथन

जल संरक्षण, सामाजिक एकजुटता, उद्यम विकास और संरचना विकास जैसे क्षेत्रों में अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों के साथ जल-केंद्रित आयोजना तथा समन्वय के जरिए एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा विगत वर्षों में किए गए अद्भुत प्रयासों की मैं सराहना करता हूं । ग्रामीण भारत में अंतिम लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के विजन के साथ इस विभाग ने सभी को लाभ देने की नीति के साथ तालमेल की पद्धति अपनाई है । वर्तमान परिदृश्य में, यह विभाग समावेशी और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानवीय और पूंजीगत संसाधनों को एकजुट करके आयोजना की आधारभूत इकाई के रूप में ग्राम पंचायत के साथ सरकारी कार्यकलापों का तालमेल स्थापित करने का प्रयास करता है ।

विजन दस्तावेज सतत समावेशी विकास और स्थायी विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस विभाग की आकांक्षाओं, लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाता है । विविध भौगोलिक अनुकूलताओं और चुनौतियों से युक्त व्यापक भूभाग वाले देश को ध्यान में रखते हुए इसके विकास संबंधी कार्यकलापों की आयोजना संसाधनों की स्थानीय उपलब्धता के आधार पर होनी चाहिए । इसे समाज में विकास, समृद्धि और सद्भाव का सामान्य उद्देश्य हासिल करने में सहायक विभागों के बीच तालमेल बिठाते हुए तैयार किया जाना चाहिए । अतः ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए संबंधित विभागों की अधिकतम भागीदारी के साथ ग्राम विकास योजनाएं तैयार करनी चाहिए ।

न्यू इंडिया @ 2022 के अंतर्गत माननीय प्रधान मंत्री जी के विजन को साकार करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रों में आजीविका के अवसर सृजित करने, बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने, उच्चतर आर्थिक लाभों के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, आपूर्ति श्रृंखला में महिलाओं की बढ़ी हुई भूमिका सुनिश्चित करने, शौचालय तथा बिजली की सुविधा के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने वाले ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए, महिलाओं का उच्च-स्तरीय संघ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ।

(नरेन्द्र सिंह तोमर)

Office: 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi- 110001, Tel.: 011-23782373, 23782327 Fax: 011-23385876
Resi.: 3 Krishna Menon Marg, New Delhi-110001, Ph.: 011-23794697 / 98, Fax: 011-23794696

राजेश भूषण, आईएएस
सचिव
RAJESH BHUSHAN, IAS
SECRETARY

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Tel.: 91-11-23382230, 23384467
Fax: 011-23382408
E-mail: secyrd@nic.in

आमुख

05 मार्च, 2020

देश वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। नए भारत का विजन @2022 भविष्य के लिए सामाजिक और आर्थिक समावेशन तथा निरंतर एवं स्थायी विकास पर आधारित होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय बहुआयामी गरीबी दूर करके ग्रामीण जनसमुदाय के जीवनस्तर में सुधार के लिए योजनाएं और कार्यक्रम चला रहा है। पिछले वर्षों में संवेदनशील और पारदर्शी शासन के प्रमुख घटक के रूप में राज्य और नागरिकों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मंत्रालय के विकास कार्यकलापों में बदलाव आया है। वर्तमान विमर्श लोगों की पसंद और प्राथमिकताओं, सहयोगी संघीय सिद्धांतों के अनुसार शासन संस्थाओं और समुदाय के बीच जीवंत लिंकेज तथा वित्तीय एवं वास्तविक पारदर्शिता के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर कहीं अधिक व्यवहारिक हो गया है।

"मानवीय गरीबी आमदनी की कमी से बढ़कर सम्मानजनक जीवन जीने के विकल्पों और अवसरों का अभाव है" (एचडीआर, 1997)। बहुआयामी गरीबी को ध्यान में रखते हुए विजन दस्तावेज में प्रत्येक योजना और कार्यक्रम के विशिष्ट लक्ष्य तथा विभिन्न मूल्य श्रृंखलाओं में महिला समूहों की मौजूदगी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, आपदाओं को सहन में सक्षम अवसंरचनाओं के निर्माण, बेहतर सड़क संपर्कता और हरित प्रौद्योगिकी के प्रयोग, स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता इत्यादि के लिए प्रभावी मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों पर जोर देते हुए आजीविकाओं के अवसरों में वृद्धि से जुड़ी उपलब्धियां स्पष्ट शब्दों में दर्शाई गई हैं। गंभीर राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय समस्या बन चुके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मंत्रालय ने भी विभिन्न मजदूरी रोजगार, अवसंरचना और आजीविका कार्यक्रमों में उपयुक्त आशोधन किए हैं। भारत में कुशल मानव संसाधन तैयार करने के कार्य को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल आधारित मजदूरी और स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए लक्षित कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार की गई है।

विजन दस्तावेज तैयार करते समय योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियों को "स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी)" के अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया है। तालमेल, संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग, सामाजिक और वित्तीय समावेशन तथा नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के लिए इस दस्तावेज की रूपरेखा अन्य क्षेत्रीय और राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप भी बनाई गई है।

राजेश भूषण

(राजेश भूषण)

विषय–सूची

अध्याय I: अवलोकन **5**

अध्याय II: प्रायोजन **9**

न्यू इंडिया स्ट्रेटेजी @ 75 के साथ तालमेल 9

अध्याय III: ग्रामीण विकास योगदानकर्त्ता और विस्तृत उपकरण **12**

अध्याय IV: गरीबी उन्मूलन में पिछले पांच वर्षों में पुर्नसंरचना एवं उपलब्धियां **16**

अध्याय V: अवलोकन/उपलब्धियां/कार्ययोजना **25**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 25

वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2023–24 तक पंचवर्षीय कार्यनीति 29

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) 30

पंचवर्षीय विजन 33

डीएवाई–एनआरएलएम के अंतर्गत शासनिक सुधार 32

पंचवर्षीय विजन 33

कृषि आजीविकाएं 34

पंचवर्षीय विजन 34

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई) 41

निष्कर्षों, समय–सीमा और प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों सहित पंचवर्षीय विजन 43

ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) 44

पंचवर्षीय समय–सीमाएं और प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियां 45

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) 46

पंचवर्षीय विजन 47

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 49

पंचवर्षीय विजन और प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियां 52

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण 55

विजन 59

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) 60

पंचवर्षीय विजन की समय–सीमा और उपलब्धियां 61

सांसद आदर्श ग्राम योजना 65

पंचवर्षीय विजन 66

अध्याय VI कार्यान्वयन के लिए तालमेल की रूपरेखा **69**

अध्याय VII राज्य और जिला स्तरीय दिशा समितियां **73**

अध्याय VIII: सूचना प्रौद्योगिकी **76**

अध्याय IX: संचार नीति **78**

अध्याय X: निष्कर्ष **81**

परिवर्णी शब्द

एबीपीएस	आधार आधारित भुगतान प्रणाली
एईपी	कृषि पारिस्थितिकीय पद्धति
अजीईवाई	आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना
एडब्ल्यूसी	आंगनवाड़ी केंद्र
बीसी	व्यापार संवाददाता
सीबीओ	समुदाय आधारित संगठन
सीएफटी	क्लस्टर सुविधा टीम
सीएलएफ	क्लस्टर स्तर संघ
सीआईएफ	सामुदायिक निवेश कोष
सीएनएन	कॉमन नॉर्म सर्टिफिकेशन
डीएवाई एनआरएलएम	दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीएफएस	वित्तीय सेवा विभाग
डीओआरडी	ग्रामीण विकास विभाग
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
एफडीआरवीसी	ग्रामीण मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए फाउंडेशन
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीईएम	सरकारी ई बाजार
जीएसए	ग्राम स्वराज अभियान
जीएसईएसपी	ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा
आईसीडीएस	एकीकृत बाल विकास योजना
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
एलबी	श्रम बजट
एमजीएनआरईजीए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम
एमकेएसपी	महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना

एमएनआरई	गैर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमपीआई	बहुआयामी गरीबी सूचकांक
एनआरईटीपी	राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना
एनईएफएमएस	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली
एनआरएम	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
ओएमएमएएस	ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और लेखा प्रणाली
पीजीएस	सहभागिता गारंटी प्रणाली
पीएफएमएस	सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसईसीसी	सामाजिक आर्थिक जनगणना
एसएचजी	स्व–सहायता समूह
एसएनए	राज्य नोडल खाता
एसआरएलएम	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
एसटीओटी	राज्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
एसवीईपी	स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम
ओएचआर	टेक होम राशन
वीओ	ग्राम संगठन

अध्याय I: अवलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण भारत पर बहुत अधिक निर्भर है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी वर्ष 1971 में सकल घरेलू उत्पाद के 40.47% से 2017–18 में गिरकर 12% हो गई। तथापि ग्रामीण भारत अर्थव्यवस्था की वृद्धि और लोगों की भलाई के लिए केंद्रीय बना हुआ है। तथापि कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की हिस्सेदारी वर्ष 1951 में 82.7% से घटकर वर्ष 2011 में 68.84% हो गई है, लेकिन इस अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग तीन गुना बढ़कर 29.81 करोड़ से 83.30 करोड़ हो गई है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में संख्या के हिसाब से और प्रतिशत में अब तक सबसे बड़ी है। वर्ष 2018 में दुनिया की जनसंख्या का 44.72% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। यह भारत (विश्व बैंक 2018) के मामले में 66.7% था। वास्तव में, ग्रामीण भारतीय जनसंख्या दुनिया की ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 1/4 वां हिस्सा है।

भारत में राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण एक मिली–जुली तस्वीर को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय स्तर पर शहरी जनसंख्या में वृद्धि वर्ष 2001–2011 की अवधि के दौरान पहली बार ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि की तुलना में मामूली रूप से अधिक थी। बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) की शहरी जनसंख्या वर्ष 2011 में केवल 22% और बिहार की 11.25% थी। झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ में शहरी जनसंख्या कुल राज्य की जनसंख्या का 18% से 25% है। केवल तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में शहरी जनसंख्या 40% से अधिक है, तमिलनाडु की जनसंख्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग बराबर है।

ग्रामीण जनसंख्या के सामाजिक और आर्थिक संकेतकों में पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बिजली, पानी, सफाई, सड़क जैसी आधारभूत सेवाओं के प्रावधान संबंधी संकेतकों ने सभी महत्वपूर्ण सुधारों को दर्ज किया हैं, हालांकि वे अभी भी शहरी क्षेत्रों से पीछे हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे अनुसूचित जाति (एससी) अनुसूचित जनजाति (एसटी), अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और महिलाओं के लिए इन संकेतकों में भी तेजी से सुधार हुआ है। भारत में गरीबी, वस्तुओं की खपत के आधार पर मापी जाती है, इसके बावजूद कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय गिरावट आई है। भारत द्वारा अपने सभी आयामों में गरीबी को कम करने के लिए की गई प्रगति को व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) ने बहुआयामी गरीबी उन्मूलन में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। इसमें कहा गया है कि "भारत ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 2005/06 और वर्ष 2015/16 के बीच बहुआयामी गरीबी लगभग आधी हो गई, जो 27.5% तक कम हो गई। वर्ष 2005/6 से 2015/16 तक के दशक में भारत की बहुआयामी गरीबी में कमी लाने का पैमाना–635 मिलियन गरीबों से 364 मिलियन तक है– जो चीन में 20 से अधिक वर्षों में गरीबी में तेज गति से लाई गई कमी को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। "

स्वतंत्रता के बाद से, कल्याणकारी राज्य होने का मुख्य केंद्र होने के साथ, गरीबी उन्मूलन हमेशा देश के नीति क्षेत्र में सरकार का प्राथमिक प्रयास रहा है। जैसा कि भारत गांवों का देश है, जो एक सहयोगी और पारदर्शी जन सेवा प्रदायगी व्यवस्था के अंतर्गत जमीनी स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या को जोड़ते हुए सुविचारित नीति और समय आधारित सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन पर गरीबी–उन्मूलन भारत के हमारे विजन पर आधारित है जिसमें केवल एक समावेशी, एकीकृत और सतत ग्रामीण विकास का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) के लिए ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए बहु–आयामी कार्यनीति अपनाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास और सतत विकास करना अनिवार्य है। ग्रामीण विकास विभाग आजीविका के अवसरों, रोजगार सृजन, ग्रामीण युवाओं के कौशल, गरीबों के सामाजिक–आर्थिक संस्थानों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण तथा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए नियमित (फॉर्मल) वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उन्हें ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने, सार्वजनिक सेवाओं आदि के बेहतर प्रावधान के लिए अवसंरचना के विकास के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करता है। विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की रुपरेखा साक्ष्य आधारित ग्रामीण नियोजन प्रक्रिया; शासन संस्थानों और समुदाय के बीच जैविक संबंध, परिणाम आधारित योजना और राज्य की अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक और सार्वजनिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए कड़ी निगरानी पर आधारित होती है। आधारभूत सुविधाओं और आय के सृजन परिसंपत्ति अंतरण, वंचित परिवारों को सहायता आदि का प्रावधान विभिन्न आयामों पर मकान से वंचित परिवार की पहचान करने पर आधारित है। जुलाई, 2015 में प्रकाशित सामाजिक–आर्थिक जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) ने सात निर्धारित मानकों पर परिवार को वंचित करने संबंधी आंकड़े प्रदान किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के 17.91 करोड़ परिवारों में से 8.69 करोड़ परिवारों को एसईसीसी 2011 के सर्वेक्षण में विचार किए गए सात वंचित मापदंडों में से किसी पर वंचित होने की पहचान की गई थी। नीचे दी गई तालिका इन सात वंचित मापदंडों के आधार पर वंचित किए गए परिवारों की संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

सारणी 1: परिवारों का वंचन

विवरण	वंचन रिपोर्ट करने वाले परिवार	डी7 अन्य वंचनों पर रिपोर्ट करना	%
कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाला एक कमरा या बेघर (डी1)	2,38,30,131	1,41,88,008	59.54%
16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं (डी2)	65,22,988	30,51,630	46.78%
जिस परिवार में 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो तथा जिस परिवार की प्रमुख महिला हो (डी3)	69,26,794	37,49,862	54.14%
विकलांग सदस्य और असक्षम वयस्क सदस्य (डी4)	7,19,096	3,27,359	45.52%
अनु.जा./अनु.ज.जा. परिवार (डी5)	3,86,59,899	2,09,31,543	54.14%
25 वर्ष से ऊपर कोई साक्षर वयस्क नहीं(डी6)	4,22,33,660	2,32,79,454	55.12%
आकस्मिक शारीरिक श्रम के रूप में भूमिहीन परिवार (डी7)	5,39,07,714		

एसईसीसी डाटा स्पष्ट रूप से बताता है कि देश में भूमिहीन, शारीरिक और आकस्मिक कामगार सबसे अधिक वंचित समूह हैं। प्रमुख राज्यों में वंचित परिवारों के वितरण की रिपोर्ट पीछे दी गई है: –

सारणी 2: राज्यों में वंचन-आधारित गरीबी वितरण

(परिवारों की सं.)

राज्य का नाम	कुल परिवार	वंचित परिवार	वंचित परिवारों का %	कुल वंचित परिवारों में से %
बिहार	17829066	10876054	61.00	12.46
उत्तर प्रदेश	26015592	10381355	39.90	11.89
पश्चिम बंगाल	15756750	10056266	63.82	11.52
मध्य प्रदेश	11288946	6748026	59.78	7.73
महाराष्ट्र	13841960	6064157	43.81	6.95
ओडिशा	8677615	5730372	66.04	6.56
राजस्थान	10223073	5165212	50.53	5.92
आंध्र प्रदेश	9344180	4822104	51.61	5.52
तमिलनाडु	10088119	4704939	46.64	5.39
छत्तीसगढ़	4540999	3179327	70.01	3.64
झारखंड	5044234	2694061	53.41	3.09
अखिल भारत	179787454	87303948	48.55	100.00

बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और ओडिशा में कुल वंचित परिवारों का 50% हिस्सा है।

ग्रामीण विकास विभाग का विजन परिवारों की गरीबी के वंचन का समाधान करना है। विभाग इन क्षेत्रों की आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाते हुए भौगोलिक क्षेत्रों की गरीबी

का समाधान करने का भी प्रयास करेगा, जैसे कि इन चुनौतियों के समाधान हेतु आवास, कनेक्टिविटी, बिजली की व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए राज्यों को संसाधन प्रदान करना।

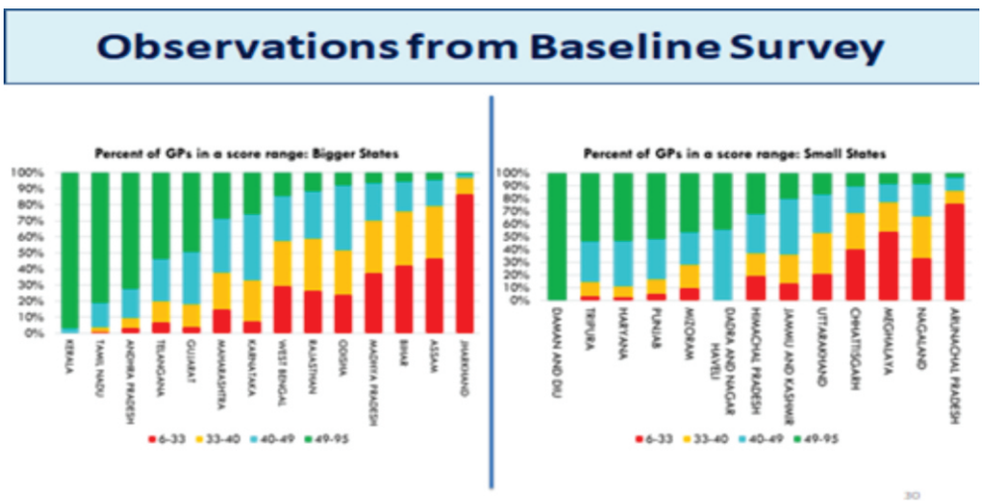

विभाग ग्रामीण भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के सभी पहलुओं पर तालमेल कार्रवाई करने के लिए एक मंच विकसित करेगा, जिससे केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सहकारी संघवाद, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास की भावना को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया जा सके।

अध्याय II: प्रयोजन

न्यू इंडिया स्ट्रेटेजी @75 के साथ तालमेल

वैश्विक निरंतरता में भारत एक जीवंत अर्थव्यवस्था बना हुआ है। बहुआयामी गरीबी का समाधान करने में भारत की सफलता को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। न्यू इंडिया स्ट्रेटेजी/75 के तहत, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने विकास की चुनौतियों की पहचान करके और सभी प्रदेशों और क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करके 'एक विकास राज्य' बनाने पर जोर दिया। इस तरह के 'विकास की स्थिति' को समावेशी, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और डिजाइन और कार्यान्वयन में कल्याण के साथ विकास के साथ–साथ समावेशी और सतत विकास के सरकार के विजन में परिलक्षित किया जाएगा।

न्यू इंडिया स्ट्रेटेजी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्षेत्र की विशिष्ट पहलों का निर्धारण करती है। विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा अंतिम लाभार्थी को लाभ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए तालमेल संबंधी आवश्यकता वाली विभिन्न योजनाओं के दृष्टिकोण को परस्पर जोड़ा गया और पूरक बनाया गया है। इस विभाग की पहल के संबंध में कार्यनीतिक दस्तावेज निम्नलिखित को रेखांकित करती है:

1. मनरेगा के तहत रोजगार के अवसरों का सृजन, जिससे ग्रामीण लोगों की सतत आजीविका में वृद्धि हो।
2. कृषि प्रसंस्करण पर जोर देने और आधुनिक विस्तार सेवाओं के प्रचार के साथ कृषि–उद्यमिता का गठन
3. आधुनिक ग्रामीण आधारभूत ढांचे और एक एकीकृत मूल्य श्रृंखला के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना।
4. पारिश्रमिक रोजगार के अवसरों के लिए ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास।
5. ग्रामीण सड़कों के रखरखाव में महिला स्व–सहायता समूहों को शामिल करना।
6. सड़क संपर्क के लिए ग्रामीण आवासों की पहचान करने के लिए मापदंड पुनरीक्षण करना।
7. आवास सुविधाओं के साथ स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच।
8. सार्वजनिक परिवहन की क्षमता और पहुंच में वृद्धि।

स्थायी विकास लक्ष्यों[1] (एसडीजी) के लिए स्वीकृत वैश्विक कार्यसूची के साथ तालमेल

विजन दस्तावेज को ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है और सार्वजनिक, निजी, सामुदायिक और नागरिक समाज संगठनों के विकास के साझेदारों की प्रतिबद्धता की रूपरेखा प्रदान करने के लिए 'न्यू इंडिया' की उपलब्धियों को हासिल करने के लिए तेजी से, समावेशी और स्थायी विकास को सुनिश्चित करने की राष्ट्रीय अनिवार्यता के साथ गठबंधन किया है। ग्रामीण समुदायों में लौकिक और स्थानिक आयामों में परिवर्तनकारी परिवर्तनों को सार्वजनिक सेवाओं और कार्यान्वयन मशीनरी के पुनः इंजीनियरिंग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। स्थायी विकास लक्ष्यों[2] (एसडीजी) की सहमति वाली वैश्विक कार्यसूची मानती है कि 2030 के एसडीजी कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण समुदाय का परिवर्तन महत्वपूर्ण है जो कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्तंभों पर आधारित है। विजन दस्तावेज उपरोक्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है और गरीबी मुक्त भारत के लिए रोडमैप का प्रस्ताव करता है।

जवाबदेह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सहकारी संघवाद को प्रेरित करना

ग्रामीण विकास विभाग का विजन परिवारों की अभावग्रस्तता संबंधी गरीबी का समाधान करना है। विभाग इन क्षेत्रों की आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाते हुए भौगोलिक क्षेत्रों की गरीबी का समाधान करने का भी प्रयास करेगा, जैसे कि इन चुनौतियों के समाधान हेतु आवास, कनेक्टिविटी, बिजली की व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए राज्यों को संसाधन प्रदान करना। विभाग ग्रामीण भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के सभी पहलुओं पर तालमेल संबंधी कार्रवाई के लिए एक मंच विकसित करेगा, जिससे केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सहकारी संघवाद, सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ सबका विकास की भावना को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया जा सके। यह मंच राज्य और संघीय सरकार की सहयोगी और जवाबदेह सार्वजनिक वितरण प्रणालियों को अनिवार्य रूप से जोड़ता है, जिसमें सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण और ग्रामीण भारत के समावेशी विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने वाले सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

विभाग के लिए लक्ष्य और अवसर

''सबका साथ और सबका विकास'' पर स्पष्ट आह्वान के साथ, देश के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण संदेश हैं: (i) विकास को विभिन्न स्टेकहोल्डरो की अच्छी तरह से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ एक जन आंदोलन बनना चाहिए; (ii) क्षेत्रीय असंतुलन का समाधान करने के लिए डाटा संचालित शासन कार्यनीति; (iii) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का व्यापक जुड़ाव सार्वजनिक सेवाओं के कुशल वितरण पर केंद्रित है।

जैसे कि देश वर्ष 2022 में भारतीय स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियां कर रहा है, न्यू इंडिया@2022 का आधार भविष्य के लिए **सामाजिक समावेश, निरंतर और सतत विकास होगा।**

सतत ग्रामीण विकास देश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण है। यह गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक है क्योंकि अत्यधिक गरीबी ग्रामीण है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है, और राष्ट्रीय, उप राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों के माध्यम से स्थायी आजीविका, सामाजिक सहायता, आधारभूत ढाँचे के विकास में योगदान देने वाली ग्रामीण विकास पहलों के समन्वय के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न

[1] Niti.gov.in
[2] Niti.gov.in

स्टेकहोल्डरो–सार्वजनिक, निजी, समुदाय, शिक्षाविद, तकनीकीज्ञ और नागरिक समाज संगठनों के रूप में उपयुक्त महान गुण हैं। ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यनीतियों में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शिता और संभावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए और लक्षित विभेदित दृष्टिकोण प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार विभाग के लक्ष्य निम्नानुसार हो सकते हैं:

1. आजीविका को बेहतर बनाने और विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के सक्षम कारक के रूप में आधारभूत जरूरतों को पूरा करना और सेवाओं के लिए पहुंच हेतु एक अग्रगामी के रूप में बढ़ावा देना;
2. हरित नौकरियों और ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास सहित श्रम–सघन दृष्टिकोण के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि;
3. विशेष रूप से आवास के लिए, जीवन स्तर में सुधार लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के लिए सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि निर्माण प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों का विकास, अंतरण और उपयोग के लिए सहायता देना;
4. जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, भूमि–क्षरण और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जोखिमों के बेहतर प्रबंधन के लिए ऋण और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना;
5. कृषि विभाग के साथ तालमेल को बढ़ावा देना और बेहतर आर्थिक लाभ के लिए उत्पादक कंपनियों/समूहों की तरह सामूहिक विकास।
6. आवश्यक सार्वजनिक सेवा लाभों तक पहुँच बनाने के लिए बढ़ी हुई सड़क कनेक्टिविटी;
7. विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ग्रामीण समुदायों को सहायता प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

अध्याय III: ग्रामीण विकासः योगदानकर्ता और विस्तृत उपकरण

वित्तीय ग्रामीण विकास–एक प्राथमिकता

ग्रामीण विकास के उद्देश्य को हमेशा देश के अधिकांश विकास प्रक्षेपवक्र में वृद्धि की पूर्व स्थिति के रूप में परिलक्षित किया गया है। तथापि, पिछले वर्षों में भारत को व्यापक रूप से विश्वसनीय सार्वजनिक नीतियां बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों प्लेटफार्मों पर व्यापक मान्यता मिली है, जिनका उद्देश्य सेवाओं की समयबद्ध प्रदायगी, सार्वजनिक संस्थानों की बढ़ी हुई जवाबदेही, मांग आधारित नियोजन के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण, डिजिटल मंच और मजबूत शिकायत निवारण तंत्र का लाभ उठाने के लिए सुदृढ़ डिजिटल निगरानी तंत्र बनाना है। सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण विकास क्षेत्र पर है, जो लगातार बजट के माध्यम से धनराशि के आवंटन में वृद्धि और वित्त आयोगों (एफसी) के तहत बढ़ाए गए आवंटन से स्पष्ट होता है, जो वांछित परिणामों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्प्रेरक रहा है। इसके साथ ही, विभाग के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने में स्थानीय स्तर के संस्थानों के साथ समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। आवंटन वित्त वर्ष 2014–15 में 58000 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2019–20 में 117647 करोड़ हो गया। हाल के केंद्रीय बजट में **"सुगम जीवनयापन"** के लिए ग्रामीण लोगों को आधारभूत सेवाओं के प्रावधान में प्रमुखता दिए जाने के लिए सराहना की गई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभाग सुनियोजित सर्वेक्षण के माध्यम से विकास संबंधी कमियों की पहचान करने में सक्षम रहा है, जो विकास की गति को दर्शाता है और योजना के लिए प्राथमिकताओं के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करता है।

कार्यक्रम नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी में मुख्यधारा के **शासन संबंधी सुधार** इस प्रकार हैंः

समयबद्ध रूप से प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से विकास प्रक्रिया में आई तेजी का पता लगाना

आजीविका उत्पादन के लिए स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण से जुड़ने के लिए सार्वजनिक कार्यों के कार्यक्रमों में हाल की प्रवृत्ति, कृषि और गैर–कृषि क्षेत्रों दोनों में आजीविका के अवसरों का व्यापक दायरा, ग्रामीण युवाओं के कौशल–विकास के लिए गरीबी उपशमन संबंधी प्रयासों की कार्यनीति बन गई है। गरीबी और सामाजिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के सामान्य उद्देश्य को साझा करने में राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी को भी स्वीकार किया गया है। विभिन्न चरणों में ग्राम स्वराज अभियान (जीएसए), ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा (जीएसएसपी), सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए ग्राम उदय से भारत उदय (जीयूएसबीयू), गरीब सहायता पहल के बारे में जागरूकता फैलाना के तहत अभियान के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार के पूर्व प्रयासों को तरजीह दी जाती है, गरीब परिवारों तक पहुँच बनाने के लिए उनका नामांकन करने के साथ–साथ विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ ऊर्जा, बाल टीकाकरण, बैंक खातों को खोलने और उपयोग करने के क्षेत्रों में संभावित परिणाम प्राप्त हुए हैं, आगामी वर्षों में उनमें सामंजस्य बनाया जाएगा। 63,974 बहुत अधिक अभाव वाले गांवों और 117 आकांक्षी जिलों को एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, बैंक खाते, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, टीकाकरण, और एलईडी बल्बों के लिए पात्र के लिए सार्वभौमिक पहुंच के लिए विशेष अभियान के तहत कवर किया गया हैं।

डिजीटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और राज्य और नागरिकों के बीच आपसी विश्वास को गहरा करने

के लिए समाधानों को डिजिटल मंच पर विकसित किया गया है। इस तरह के मंच सीधे लाभ प्रबंधन की तत्काल झलक प्रदान करते हैं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अंतिम लाभार्थी तक पहुंचते हैं और जियो संदर्भ के साथ विकास की पहलों की प्रगति निगरानी करते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सभी कार्यक्रमों में नवीनतम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की स्थिति में मजबूत एमआईएस प्रणाली है। इसके अलावा, सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ–साथ जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए ऑनलाइन निगरानी उपकरण हैं। ग्राम संवाद एप जैसे विभाग के कार्यक्रमों के बारे में नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए कई मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं। समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए शिकायतों को दर्ज करने के लिए मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। ग्रामीण जीवन को बेहतर जीवन स्तर में बदलने के लिए बेहतर निष्पादन के लिए "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के सिद्धांत पर विकास की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार, गरीबी मुक्त भारत के न्यू इंडिया / 2022 के उद्देश्य के साथ तालमेल किया जा रहा है।

सामाजिक पंजीकरण–सामाजिक सहायता के लिए लाभार्थियों के चयन आधारित साक्ष्य और विकास योजनाओं के समेकन के प्रति प्रयास

स्वतंत्रता के बाद भारतीय विकास योजना प्रक्रिया काफी हद तक गरीबी उन्मूलन की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है। गरीबी या गरीबी की स्थिति को पारंपरिक रूप से आय गरीबी के संदर्भ में परिभाषित किया गया था, अर्थात, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या या अनुपात, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के संदर्भ में परिभाषित केवल न्यूनतम कैलोरी की खरीद के लिए पर्याप्त है। ''मानव गरीबी आय गरीबी से अधिक है; यह एक सहन करने योग्य जीवन जीने के लिए विकल्पों और अवसरों का खंडन करती है'' (यूएनडीपी एचडीआर, 1997)। गरीबी को सार्वजनिक आवश्यकताओं के आय–रहित आयामों जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा अवसरों से वंचन के रूप में देखा जा सकता है जो सहनीय जीवन जीने के लिए मानव क्षमताओं को बढ़ाते हैं।

पिछले वर्षों में देखे जाने वाले सबसे अनिवार्य परिवर्तनों में से एक है योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए गरीब लाभार्थियों का निर्धारण करना जो जीर्ण गरीबी की बहुआयामीता को कैपचर करने के लिए ''गरीबों की संख्या'' की गिनती किए जाने से वंचित रह गए हैं। सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी, 2011) ने प्राथमिकता वाले मानदंडों के आधार पर इन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान की है। अभाव के मानदंडों के अलावा, एसईसीसी में समावेशन और बर्हिवेशन मानदंड भी हैं जो विषयवस्तु के सीमित दायरे के साथ लाभार्थियों का निर्बाध लक्ष्यीकरण को सफल बनाते हैं। विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में अंतर सुनिश्चित करने के लिए आधार को मुख्य पहचान बनाने जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार, डिजिटल युग में सामाजिक पंजीकरण सूचना डैशबोर्ड चयन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने संबंधी उपकरण होगा, संसाधन आवंटन और लैंड होल्डिंग सहित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहित बहुआयामी गरीबी के विभिन्न मापदंडों में गरीबी की स्थिति का निरीक्षण करेगा।

विभाग के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाना

पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर निर्मित विश्वसनीय सार्वजनिक संस्थानों को तैयार करने की दिशा में अपने नागरिकों के लिए न केवल गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाओं को वितरित करने की दिशा में बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास का एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की दिशा में–ग्रामीण विकास

विभाग ने सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) शुरू की है धनराशि की रिलीज के लिए डिजिटल मंच किसी भी समय धनराशि की स्थिति का पता लगाने सक्षम बनाता है और इस प्रकार धनराशि के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार को रोकता है।

वित्तीय प्रबंधन

इस विभाग के वित्त प्रभाग का उद्देश्य विभाग की केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय योजनाओं (सीएसएस) के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने के लिए उचित विवेक का उपयोग करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धनराशि की मांग, आवंटन, रिलीज और निर्धारित और कुशल तरीके से व्यय किया जा रहा है और मापने योग्य और निगरानी योग्य परिणामों, धनराशि के लिए मूल्य सुनिश्चित करना और व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाना और अपेक्षित प्रणालीगत सुधार और प्रक्रियाओं और प्रणालियों के प्रबंधन के लिए बढ़ी हुई क्षमता में परिभाषित परिणाम को प्राप्त करना।

आगामी पांच वर्षों में, वित्त प्रभाग बनाया जाएगा और जो आईटी सक्षम प्रणाली; नवीनतम वित्तीय प्रबंधन पद्दतियों और ज्ञान प्रबंधन संरचनाओं को सुदृढ़ बनाएगा। भविष्य के कार्यों में से कुछ में शामिल हैं:

- विभाग में वित्तीय प्रबंधन के लिए अधिक सघन आईटी आधारित प्रणाली की अवधारणा और योजना बनाना।
- एनआईआरडीएण्डपीआर के सहयोग से आईए टीमों और सदस्यों के क्षमता निर्माण के माध्यम से मंत्रालय और राज्यों में आंतरिक लेखा परीक्षा (आईए) को मजबूत करना।
- विभाग के कार्यक्रम निष्पादन को समझने, रिपोर्ट करने और अंततः सुधारने के लिए कार्यक्रमों के लिए सामाजिक अंकेक्षण की अप–स्केलिंग।

जवाबदेह सुगम व्यवसाय (ईडीओबी):

भारत विश्व बैंक के ईडीओबी 2019 में सबसे बड़े 'उन्नतिशील' देश में से एक रहा है, जिसकी रैंक पिछले चार वर्षों में 142 से उछलकर 77 हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण अपने संभावित आर्थिक और सामाजिक गुणक प्रभाव को देखते हुए अच्छी तरह से कार्यशील विधि प्रणाली में निजी निवेश की भूमिका की सिफारिश करता है। पुनरुद्धार के परिप्रेक्ष्य में समग्र ध्यान उत्थान और प्राकृतिक, मानव तथा वित्तीय संसाधनों पर है। उपरोक्त पहलों को देखते हुए, विभाग ने अतीत में हमेशा की तरह व्यवसाय में निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित किया है, सामाजिक आर्थिक जनगणना, 2011 (एसईसीसी) के अनुसार लाभार्थियों के चयन पर आधारित आंकड़ों की ग्राम सभा द्वारा विधिवत रूप से समीक्षा की जाती है, वित्तीय लेखापरीक्षा के अलावा जमीनी स्तर पर लागू की गई योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा, सिविल सोसाइटी संगठन, सामुदायिक, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, सहित विकास भागीदारों की नियुक्ति करना शामिल हैं। सार्वजनिक सेवाओं के बेहतर वितरण और समृद्ध परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा उल्लेखनीय विशेषताओं को अपनाया गया है। इनमें से कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. ग्राम सभा द्वारा एसईसीसी डाटा के आधार पर व्यक्तियोंध्लाभार्थियों के साक्ष्य आधारित चयन का विधिवत सत्यापन।
2. कॉर्पोरेट, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) दोनों को मिलाकर ग्रामीण विकास के लिए स्टेकहोल्डर्स की विस्तृत श्रृंखला की प्रतिबद्धता पर जोर देना।

3. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन निर्माण क्षमता, विकास के मॉडल जैसे विभिन्न क्षेत्रों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधियों का कुशल उपयोग।
4. लेन–देन आधारित प्रबंधन प्रणालियों के प्रति दृष्टिकोण।
5. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।

अध्याय IV: गरीबी उन्मूलन में पिछले पांच वर्षों में पुनर्संरचना और उपलब्धियां

ग्रामीण विकास विभाग उन कार्यक्रमों को लागू करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना संबंधी कमियों का समाधान करते हैं, वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। सभी राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन रूपरेखा के तहत मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी कौशल विकास प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। रूर्बन मिशन के तहत गांवों के क्लस्टर के योजनाबद्ध विकास के लिए सहायता दी जाती है। विभाग के प्रमुख कार्यक्रम और उनके कार्यक्षेत्र का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया हैः –

ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं

योजना का नाम	कार्य क्षेत्र
मनरेगा	मजदूरी रोजगार,सामुदायिक परिसंपत्तियां,वैयक्तिक लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रम
पीएमजीएसवाई	जोड़ी न गई बसावटों को जोड़ना
पीएमएवाई-जी	कच्चे मकान में रहने वाले ग्रामीण बेघर/परिवारों के लिए आधारभूत सुविधाओं के साथ पक्का मकान
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	महिला एजेंसी का संगठन, सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण और आजीविका विविधीकरण
डीडीयू-जीकेवाई/	मजदूरी रोजगार और स्व-रोजगार
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	वृद्ध,विधवाओं तथा विकलांग के लिए पेंशन
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन(एसपीएमआरएम)	कलस्टर गांवों का नियोजित विकास

ऊपर सूचीबद्ध कार्यक्रम पिछले पांच वर्षों में एक बड़े परिवर्तन से गुजरे हैं। ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विस्तार पर काम करता है। भारत सरकार और राज्य सरकारों के अन्य विभाग भी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं को कार्यान्वित करते हैं जिनका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों की प्रभावकारिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाता है, इसलिए पारिवारिक गरीबी और अभावों के विभिन्न पहलुओं का समाधान करना अनिवार्य हो जाता है। पिछले पांच वर्षों में इस संबंध में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्रामीण विकास विभाग में वर्गीकृत भूमिगत कक्षों के माध्यम से कार्यक्रमों का कार्यान्वयन पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के माध्यम से वंचित परिवार के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विभाग संतृप्त आधारभूत अवसंरचना की ओर अग्रसर हो रहा है। बेघर या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए पीएमजीवाई–जी मकानों के साथ–साथ मनरेगा के माध्यम से 90–95 दिनों की मजदूरी का प्रावधान भी किया जाता है। परिवार की महिलाएं, यदि एसएचजी सदस्य हैं, तो उन्हें मनरेगा के व्यक्तिगत लाभार्थी घटक के तहत मवेशी शेड, बकरी शेड, सुअर शैली, एक अच्छी तरह से या कृषि तालाब के प्रावधान के माध्यम से आजीविका विविधीकरण प्रदान किया जाता हैं ये परिवार डीडीयू–जीकेवाई और आरईएसटीआई के माध्यम से मंत्रालय के कौशल

विकास प्रयासों में भी प्राथमिकता प्राप्त करते हैं।
अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वित परियोजना कार्यान्वयन को सफलतापूर्वक लागू करने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण आधारभूत संरचनाएं जैसे कि स्कूल के लिए खेल के मैदान और चारदीवारी, एसबीएम, आंगनवाड़ी केंद्रों के तहत शौचालय, आदि को मनरेगा के तहत लिया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों के मामले में, प्रत्येक आंगनवाड़ी को महिला और बाल विकास मंत्रालय से 2 लाख रुपये प्राप्त होते हैं, ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना परियोजना के सह–वित्त पोषण के लिए एक मॉडल जो अन्य विभागों द्वारा भी अनुसरण किया जा सकता है। मत्स्य विभाग ने मनरेगा के तहत निर्मित कृषि–तालाब में मतस्य–पालन संस्कृति विकास को बढ़ावा दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्थापित किए गए कस्टम हायरिंग केंद्रों को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से सब्सिडी वाली कृषि मशीनरी प्राप्त हुई है। इस तालमेल वाली अवसंरचना ने सार्वजनिक निवेश संबंधी विवरणियों में सुधार किया है और ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों को सुदृढ बनाना और दोहराया जाना है।

कार्यक्रम वितरण को मजबूत करने के लिए एक प्रतिक्रिया लूप के माध्यम से विभागीय कार्यक्रमों को उनकी कवरेज, प्रक्रियाओं, आईटी–डीबीटी के उपयोग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जवाबदेही तंत्र और लोगों की भागीदारी के मामले में पूरी तरह से नया रूप दिया गया है।

लगभग वास्तविक समय लेनदेन आधारित कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली को एनआईसी और अंतरिक्ष विभाग की मजबूत प्रौद्योगिकी बैक–अप सहायता से स्थापित किया गया है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्शाई गई हैः–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

मनरेगा, जो शारीरिक श्रम करने के इच्छुक व्यक्तियों को मजदूरी रोजगार प्रदान करता है, उसे जल संरक्षण पर अधिक ध्यान देने के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में कार्यक्रम निवेश को चैनलाइज करने के लिए पुनः उन्मुख बनाया गया है। कार्यक्रम के तहत आवंटन का 60% व्यक्तिगत लाभार्थी परियोजनाओं की बड़ी संख्या के साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए व्यय किया जाता है। इस योजना ने व्यक्तिगत लाभार्थियों को उत्पादक परिसंपत्तियों जैसे डगवेल, कृषि तालाब, पशुपालन के लिए बाड़ा, वर्मी कम्पोस्टिंग और नादेप पिट की सुविधा प्रदान की हैं। पिछले 3 वर्षों (2016–17 से 2018–19) के कार्यक्रम ने 737.43 करोड़ रोजगार श्रम दिवस का सृजन किया है, जो 3 वर्षों के किसी भी निरंतर ब्लॉक में सृजित उच्चतम मजदूरी रोजगार है। पिछले 5 वर्षों में मनरेगा का मुख्य बिंदु बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्यों की अधिक भागीदारी है, जिनकी में सृजित किए गए कुल श्रम दिवसों में की गई हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 5 साल की मुख्य उपलब्धियों में जियो–टैगिंग परिसंपत्तियों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की परियोजना लागत अनुमान के लिए सुरक्षित सॉफ्टवेयर को अपनाना, आईटी–डीबीटी के माध्यम से मजदूरी का भुगतान, मनरेगा श्रमिकों के साथ संचार के लिए पीएफएमएस और जन–मनरेगा मोबाइल ऐप के माध्यम से सामग्री की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं का भुगतान करना प्रमुख हैं। इन पहलों से परियोजना के बेहतर डिजाइन, समय पर पूरा होने और धनराशि के दुरूपयोग में कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। कार्यक्रम में वृद्धि हुई कृषि उत्पादकता, चारा उपलब्धता और बेहतर जल तालिका के संदर्भ में स्वतंत्र अनुसंधान अध्ययनों द्वारा प्रलेखित किया गया है। यह सब राज्य सरकारों की साझेदारी सहित पूरा किया गया है।

मनरेगा के तहत कुछ उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं: –

- कुल 2.75 करोड़ स्थायी परिसंपत्तियां का कार्य पूरा हो गया है।
- 3.5 करोड़ की परिसंपत्ति जियो टैग की गई है और
- जल संरक्षण से 1.5 करोड़ हेक्टेयर लाभान्वित हुए हैं;
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरए) के तहत, कुल 18.5 लाख तालाब, 4.35 लाख खोदे गए कुएं, 5 लाख चेक डैम और लगभग 2 लाख तटबंध पूर्ण हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (पीएमएवाई–जी)

यह कार्यक्रम दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी हुआ और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 20 नवंबर, 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था। लाभार्थियों का निर्धारण, फर्श का क्षेत्रफल और लागत मानदंड, निधि अंतरण की इलेक्ट्रॉनिक मोड, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल मकान के डिजाइन और कच्चे माल की उपलब्धता और मकानों के निर्माण के लिए ग्रामीण राजमिस्त्री का रोजगार प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम के घटक हैं। निगरानी और जवाबदेही की रूपरेखा तत्कालीन ग्रामीण आवास कार्यक्रम इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) की कमियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी और जो कि वर्ष 2014 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों और की गई निष्पादन लेखापरीक्षा पर आधारित थी। संशोधित कार्यक्रम ने वर्ष 2022 तक बेघर या कच्चे मकानों में रहने वालों को मकान मुहैया कराने के विजन को परिलक्षित किया। लाभार्थियों के निर्धारण के लिए पूर्व में भरोसा करने योग्य बीपीएल सूची की पद्धति की बजाए एसईसीसी–2011 डाटा का उपयोग करना एक बड़ा परिवर्तन था। वर्ष 2014–15 में ग्रामीण मकानों का वार्षिक समापन 11.96 लाख से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 47 लाख हो गया है। पीएमएवाई–जी के तहत, वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 तक 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य मे से दिनांक 26 सितंबर, 2019 तक कुल 1.25 करोड़ ग्रामीण मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मकानों को आवास बनाने के लिए अन्य सरकारी कार्यक्रमों यानी एलपीजी कनेक्शन के लिए उज्ज्वला, बिजली कनेक्शन के लिए सौभाग्य, शौचालय के लिए एसबीएम (जी) या मनरेगा के साथ तालमेल के माध्यम से बसावट दृष्टिकोण। पीएमएवाई–जी लाभार्थी आदि को अकुशल मजदूरी के 90/95 दिन प्रदान किए जाते हैं। पीएमएवाई मकानों का निर्माण करने के लिए 85,967 से अधिक उम्मीदवारों को ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया है और दिनांक 22.9.2019 तक उनमें से 47,477 से अधिक को प्रमाणित किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

यह कार्यक्रम 2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी और जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले बसावटों को बारहमासी संपर्क प्रदान करना चाहता है। सभी पात्र बसावटें जिन्हें मार्च, 2022 तक संपर्क प्रदान किया जाना था, इसकी अवधि को घटाकर 31 मार्च, 2019 कर दिया गया था। देश में कुछ राज्य सरकारों द्वारा विकसित सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाते हुए और राज्य और जिला स्तर की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण करके ठेके प्रदान करते हुए यह लक्ष्य तेजी से परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया गया था। निर्माण की गति वर्ष 2012–14 में प्रति वर्ष लगभग 73 किलोमीटर से वर्ष 2016–17 के दौरान 130–135 किलोमीटर तक सुधरी। इस अवधि में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक तीव्र गति देखी गई। दिनाकं 31/3/2019 तक 31,816 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके किया गया है। पीएमजीएसवाई के तहत मार्च, 2019 तक 5,98,786 किमी सड़क की लंबाई का निर्माण किया गया है, जिसमें 1,76,527 किलोमीटर 5 साल की गारंटी अवधि में और 3,75,394 किमी दोष सुधार दायित्व अवधि के अलावा हैं। ग्रामीण

सड़क का रखरखाव एक चुनौती है, भारत सरकार ने राज्यों को रखरखाव के लिए विकसित विकासशील राज्यों और समर्पित धन के पर्याप्त प्रावधान के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन देकर राज्य सरकारों से इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आग्रह किया है। सड़क–वार रखरखाव और भुगतान ई–मार्ग के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है। जिसे मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दिया गया है और अब सभी राज्य इसे शुरू करने वाले हैं।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावी क्षेत्रों में गहन संपर्क प्रदान करने के लिए, 100 तक की आबादी वाली सभी बसावटें जोड़ी जा रही है। वर्ष 2016 में, वामपंथी उग्रवाद प्रभावी क्षेत्रों में (आरसीपीएलडब्ल्यूई) पर एक अलग समानांतर–सड़क संपर्क परियोजना को शुरू किया गया था, ताकि किसी भी जनसंख्या मानदंड के बिना सभी निर्धारित की गई संवेदनशील बसावटों को संपर्क प्रदान किया जा सके। सीसीईए द्वारा 10 जुलाई, 2019 को कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से बसावटों को जोड़ने वाले मार्गों और प्रमुख ग्रामीण लिंक के माध्यम से 1.25 लाख किलोमीटर को समेकित करने के लिए पीएमजीएसवाई–III को अनुमोदित किया गया है। राज्यों द्वारा निर्धारित सुधार संबंधी शर्तो का अनुपालन करने के बाद पीएमजीएसवाई–III के तहत परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी।

दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम)

डीएवाई–एनआरएलएम अपने सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने की सुविधा प्रदान करता है। डीएवाई– एनआरएलएम एक गहन प्रक्रिया उन्मुखी कार्यक्रम है। राज्यों में इसका विस्तार कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए राज्यों में क्षेत्र स्तर के निर्माण की क्षमता पर निर्भर करता है। वर्तमान में, इस कार्यक्रम में सभी 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 643 जिलों में 5733 ब्लॉक शामिल हैं। एसएचजी और उच्च स्तर के संघों में महिलाओं की एकजुटता में प्रभावशाली लाभ देखने में आए हैं। डीएवाई–एनआरएलएम में 6.02 करोड़ महिलाओं के साथ 54.8 लाख एसएचजी थे। 2.45 लाख प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) स्थायी ग्राम संगठन (वीओ) और क्लस्टर स्तर संघ (सीएलएफ) का मसौदा तैयार कर रहे हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) और सामुदायिक प्रबंधित स्थायी कृषि (सीएमएसए), स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसईईएसपी)–डीएवाई–एनआरएलएम के एक उप–घटक के रूप में गैर–कृषि आजीविका में भी सहायता करता है, एमईवीपी इनके माध्यम से एसएचजी महिलाओं ने स्थायी कृषि पद्धतियों का नेतृत्व किया है।

डीएवाई–एनआरएलएम ने देश भर में अपना विस्तार करने के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम की ऊर्जा का भरपूर उपयोग किया है। केरल, आंध्र प्रदेश और बिहार की एसएचजी महिलाएं राष्ट्रीय संसाधन संगठनों के सदस्य के रूप में अन्य राज्यों में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रही हैं। डीएवाई–एनआरएलएम की महिलाओं ने अपने सामाजिक कार्यसूची आर्थिक कार्यकलापों में भागीदारी और सरस, आजीविका मेलों और अन्य विपणन प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी उपज का विपणन के माध्यम से ग्रामीण समितियों में प्रमुखता अर्जित की है। इन राज्यों में, डीएवाई–एनआरएलएम का ध्यान आर्थिक सशक्तिकरण में अंतरित हो गया है। भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों, एमएसएमई, मनरेगा और कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन विभागों की योजनाओं के तहत उत्पादक परिसंपत्ति प्रदान करके महिलाओं की सहायता की गई है। इस तरह की साझेदारी को अन्य विभागों में विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और कपड़ा मंत्रालय को अपनी आर्थिक स्थितियों में बदलाव के लिए बढ़ाना और मजबूत करना होगा। उद्यम विकास की कार्यसूची पर कार्रवाई करना किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और निर्माता कंपनियों (पीसी) के गठन के लिए एक

प्रारंभिक कदम के रूप में छोटे उद्यमों के गठन पर ध्यान बढ़ाने के लिए एक सचेत प्रयास है।

डीएवाई–एनआरएलएम के सामने चुनौती उ.प्र., अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मणिपुर आदि जैसे सभी ब्लॉकों और राज्यों तक पहुंच बनाना है जहां कार्यक्रम अभी भी अपनी जड़े मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना सहित डीएवाई–एनआरएलएम को उच्चतर आर्थिक कार्यकलापों की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

कौशल विकास कार्यक्रम

डीडीयू–जीकेवाई और आरएसईटीआई विभाग की दो कौशल विकास योजनाएं हैं। कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं में से चयनित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से डीडीयू–जीकेवाई को कार्यान्वित किया जाता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप है। राज्य सरकारें कार्यक्रम कार्यान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। पीआईए को उनके निष्पादन के आधार पर प्रशिक्षण अनुदान प्राप्त होता है। पीआईए को पूर्ण भुगतान तब किया जाता है जब प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के 70% को मजदूरी रोजगार में स्थापित किया जाता है। डीडीयू–जीकेवाई ने क्रमशः 8.59 लाख को प्रशिक्षित और 5.40 लाख (जुलाई 2019 तक) को रोजगार दिया गया है। कुछ राज्यों ने डीडीयूजीकेवाई के तहत सराहनीय काम किया है। एक उल्लेखनीय सफलता ओडिशा की है जहां ओडिशा सरकार के कौशल विकास मिशन ने पूरे देश और दुनिया में रोजगार देने के लिए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने का संकल्प लिया है। हालांकि, कार्यक्रम की कमजोरी अधिक मेहनत और कम पारिश्रमिक के रूप में बनी हुई है, जो कई प्रशिक्षुओं को 3–6 महीनों के भीतर उनके गांवों में वापस लौटने के लिए विवश करती हैं।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) को सरकार द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के साथ साझेदारी सहित बढ़ावा दिया जाता है। आरएसईटीआई स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। बैंक अपने प्रशिक्षुओं को बैंक वित्त प्राप्त करने में मदद करते हैं। कई आरएसईटीआई, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में आरएसईटी स्थापित करने में कॉर्पोरेट्स और परोपकारी लोगों से महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान मिला है। आरएसईटीआई ने मार्च, 2019 में शुरू होने के बाद से पिछले पांच वर्षों में 21 लाख बेरोजगार युवाओं (वित्तीय वर्ष 2014–15 से जून 2019) को प्रशिक्षित किया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के पाँच घटक हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, (एनओएपीएस), विधवाओं को पेंशन, विकलांगों को पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) और अन्नपूर्णा। वर्तमान में 2.21 करोड़ वृद्ध व्यक्तियों, 0.65 करोड़ विधवाओं और 0.11 करोड़ विकलांगों को एनएसएपी के तहत पेंशन प्रदान की जाती है। बीपीएल परिवार के मुख्य आजीविका अर्जनकर्ता की मृत्यु होने पर 20,000/– रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। एनएफबीएस के तहत 3.58 लाख लाभार्थी हैं। अन्नपूर्णा वृद्धावस्था पेंशन मात्र लोगों को प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लाभार्थियों की संख्या के फ्रीज किए जाने के कारण पेंशन प्रदान नहीं की गई है। यह योजना अपने वर्तमान स्वरूप में 10 वर्षों से अधिक समय से संचालित है। कई राज्य सरकारें अपनी स्वयं की धनराशि से एनएसएपी पेंशन प्रदान करते हैं। कुछ राज्य उच्च मासिक भुगतान के साथ वृद्धावस्था पेंशन के लिए योजनाएं भी लागू करते हैं। एनएसएपी पेंशन केवल 200 रुपये प्रति माह है। इस योजना को पिछले 10 वर्षों में वित्तीय सहायता और विकास के संदर्भ में कवरेज मानदंडों के संदर्भ में एक व्यापक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। मानदंडों को विकलांग अधिनियम,

1995 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों और हर विधवा को उसकी उम्र चाहे जो हो, विधवा पेंशन प्रदान करने के लिए विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप भी बनाना चाहिए। विभाग ने योजना के संशोधन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव पहले ही तैयार कर लिया है जिसे आगामी महीनों में अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)

रूर्बन योजना वर्ष, 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना देश के शहरी निवासियों के लिए उन्हीं मानकों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाएं और आय के अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। कार्यक्रम के तहत आधारभूत ढांचागत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का या तो निर्माण किया गया है या उच्च मानकों के अनुसार उनका अद्यतन किया गया है। रुर्बन मिशन के पहले चरण में 300 क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी आर्थिक क्षमता के संबंध में इन समूहों की निर्धारण करें, चाहे वे कृषि, लघु उद्योग, पर्यटन, जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण आदि के क्षेत्र में हों, यह योजना ग्रामीण स्थान के नियोजित विकास पर एक प्रयास है जो वर्तमान में है किसी भी नियामक संरचना और भूमि जोनिंग की शर्तों के तहत नहीं आती है जो शहरी स्थान की विशेषता है। यह अपेक्षित है कि रुर्बन के तहत क्लस्टर ग्रामीण क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए एक ब्लू प्रिंट प्रदान करेंगे और जब भी वे शहरी सीमाओं के भीतर आते हैं, तो उन्हें शहरी स्थान में उनको शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम की सीख का उपयोग रुर्बन मिशन के दूसरे चरण के लिए किया जाएगा जिसकी वर्ष 2019–2024 की अवधि के दौरान शुरूआत की जाएगी।

ग्रामीण विकास विभाग को सकल बजटीय सहायता

आउटरीच और वितरण दोनों के संदर्भ में, व्यवस्थित रूप से सुधार और कार्यक्रमों को मजबूत करना सरकार द्वारा प्रदान की गई मजबूत वित्तीय सहायता के कारण ही संभव था। ग्रामीण विकास विभाग किसी भी वर्ष में सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सबसे बड़ी बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। पिछले पांच वर्षों में विभाग को आवंटन भी दोगुना हो गया है। यह नीचे दिए गए ग्राफ में परिलक्षित होता है।

ग्रामीण विकास विभाग को सकल बजटीय सहायता (करोड़ रू. में)

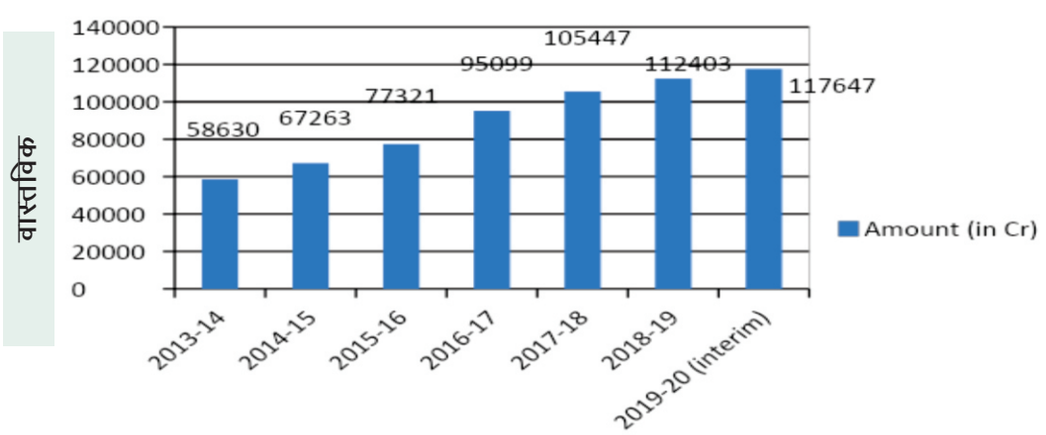

रेखाचित्र 1 में बजट में वृद्धि

ग्रामीण विकास विभाग पिछले पांच वर्षों में बड़े कार्यक्रमों को शुरू कर सका था क्योंकि राज्य के उच्च योगदान के कारण कार्यक्रमों के संसाधन में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एसपीएमआरएम और पीएमजीएसवाई जो कि भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित थी, उसे 60:40 की केंद्रःराज्य योजना में बदल दिया गया था। पीएमएवाई उत्तरवर्ती कार्यक्रम था। वर्ष 2015 में एनआरएलएम और डीडीयूजीकेवाई में राज्य के योगदान में भी वृद्धि हुई थी।

पंचायती राज संस्थाओं को अंतरण

ग्रामीण विकास विभाग के आवंटन की बाद में पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों द्वारा पूर्ति की जाती है जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम वितरण में सबसे आगे हैं। 14 वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत धनराशि की पूर्ति के लिए किया गया है। पंचायती राज संस्थानों को भी अपने मूल और एजेंसी कार्य के निर्वहन की क्षमता को मजबूत करने के लिए निष्पादन अनुदान प्रदान किया गया है। क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा अंतरण में काफी वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ में परिलक्षित होता हैः –

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को वित्त आयोग द्वारा अंतरण (करोड़ रू.)

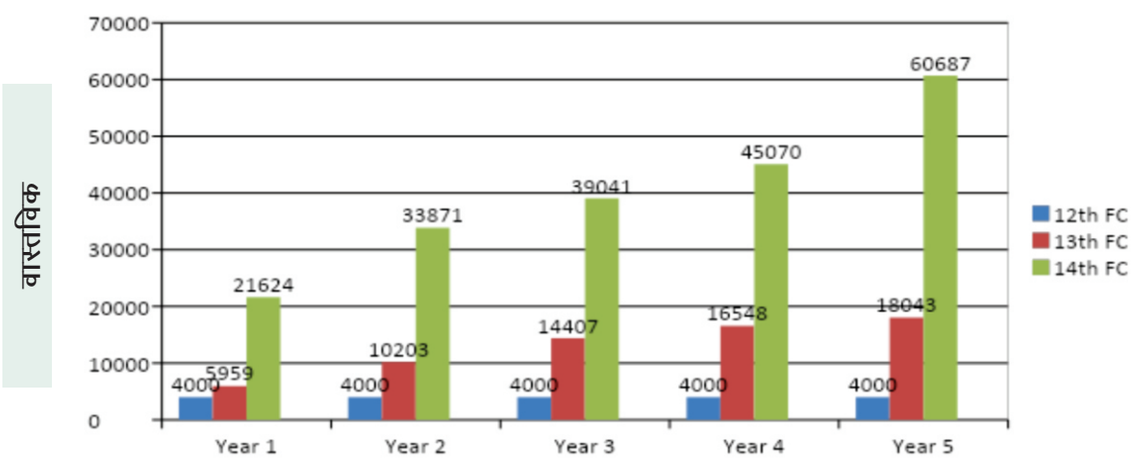

मिशन अंत्योदय

वर्ष 2017–18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजनाओं को संशोधित करने और विस्तार करने के अलावा, ग्रामीण जीवन और ग्रामीण समुदायों की आधारभूत सुविधाओं और आजीविका के अवसरों की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए एक अभ्यास किया। मिशन अंत्योदय के तहत, 2 अक्टूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 तक, एनआरएलएम के सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) की सक्रिय सहायता के साथ राज्य एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के माध्यम से एक गांव में आधारभूत अवसंरचना और प्रत्येक गांव के आजीविका के अवसरों संबंधी डाटा को एकत्र किया गया था। डाटा वास्तविक अवसंरचना, सामाजिक सुविधाओं और आर्थिक अवसरों की उपलब्धता पर एकत्र किया गया था। मोबाइल एप्लिकेशन पर एकत्र की गई जानकारी को औपचारिक रूप से ग्राम सभा द्वारा संरक्षित किया गया था और इसे मिशन अंत्योदय (Missionantyodaya.nic.in) पर मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड किया गया था। गांवों को 1 से 100 के पैमाने पर अंक दिए गए थे। यह डाटा देश में 2,65,000 पंचायत के लिए एकत्र किया गया है और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। राज्यों में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त स्कोर का स्नैप शॉट नीचे दिए गए ग्राफ में प्रस्तुत किया गया है।

रेखाचित्र 2: वित्त आयोग के अंतर्गत आबंटनों में वृद्धि करना

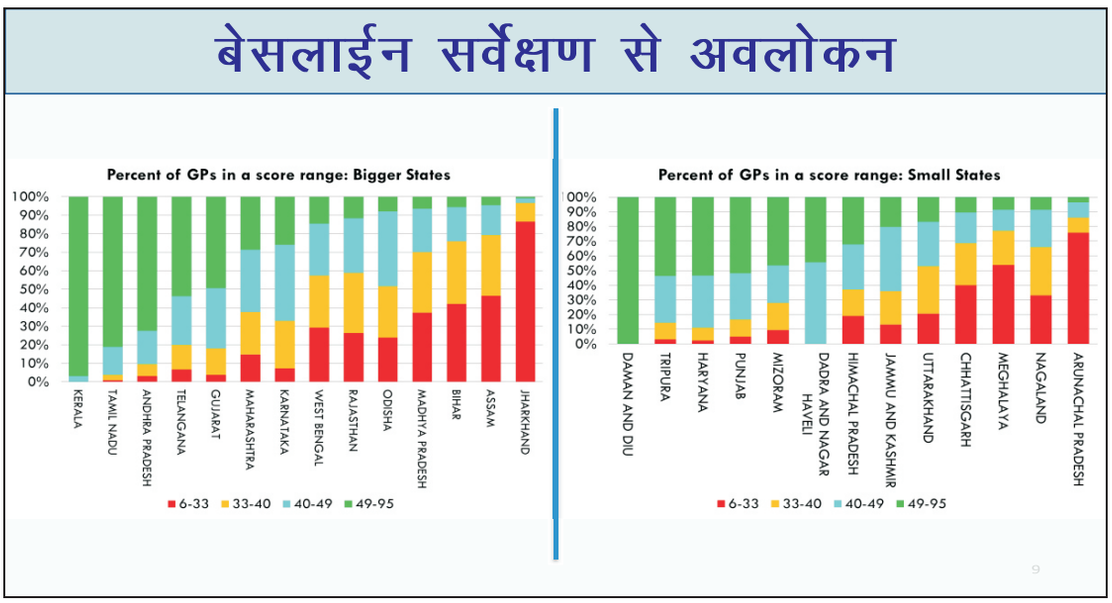

देश भर में ग्राम पंचायत की पद्धति का स्कोर नीचे दिए गए रेखाचित्र में परिलक्षित होता है।

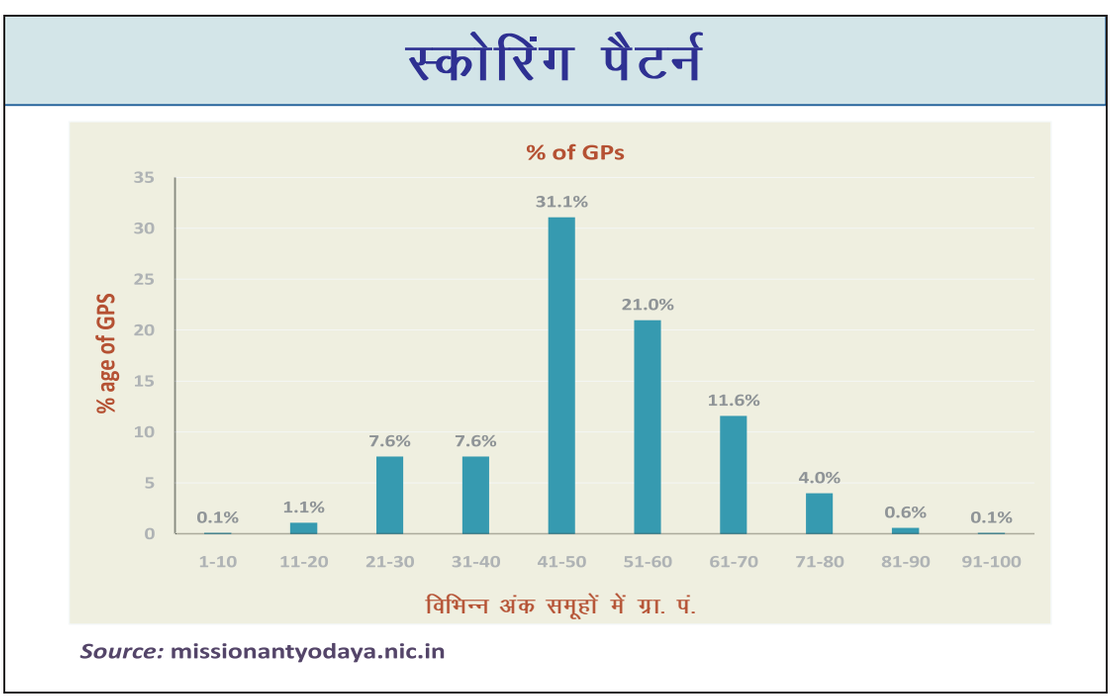

इस सर्वेक्षण की एक महत्वपूर्ण सीख यह थी कि अति पिछड़े राज्यों में भी ऐसी पंचायतें हैं जिन्होंने 100 में से 85 से अधिक अंक हासिल किए हैं, जो गरीब राज्यों में भी उच्चतर क्रम के विकास की संभावना को दर्शाता है। यह डाटा हमारे संसाधनों को पंचायत को लक्षित करने के लिए संकेत भी प्रदान करता है जो एक विशेष मानदंड पर खराब स्कोर करते हैं। यह नीचे दिए गए ग्राफ में दिखाया गया है।

मिशन अंत्योदय के तहत योजनाओं का महत्वपूर्ण अंतराल विश्लेषण

Ministry of Panchayati Raj

Gram Panchayat Development Plan

STATE: ANDHRA PRADESH > DISTRICT: CHITTOOR > DEVELOPMENT BLOCK: SRIKALAHASTI

GRAM PANCHAYAT: KODANDARAMAPURAM [197780]

सत्यमेव जयते

पंचायती राज

Villages:Subbanaidu -Khandriga [595869]

Strength | Moderate Gap | Critical Gap

Domain	Parameter Description	Village Status	GP Status		Suggestions
Health and Sanitation	Is the village Open Defecation Free	Yes	Yes		Build and use toilet. Gram Sabha should penalise those who make GP unclean.
	Community Waste Disposal System	Yes	Yes		MGNREGA can be used to create waste disposal system.
	Availability of Community bio gas or recycle of waste for production use	Yes	Yes		
	Availability of drainage facilities	Closed Drainage	Closed Drainage		Village drain planning. MGNREGA can be used .
	Availability of PHC/CHC Sub Centre	Sub Centre	Sub Centre		
	Availability of Veterinary Clinic Hospital	No	No		
Agriculture, allied and livelihood	Availability of Govt. Seed Centre	No	No		
	% households engaged exclusively in Non-Farm activities	52	52.00		Contact the Block Mission Manager, National Rural Livelihood Mission of your state.
	Availability of markets	Weekly Haat	Weekly Haat		Farmer groups can be created to build access to markets.
Housing	% of household with kuccha wall and kuccha roof	4.00	4.00		Check the waiting list for PMAY-G.
Land Improvement	% of Area irrigated	20.00	20.00		Call Kisan call centre 1800-180-1551.
	Availability of soil testing centres	No	No		Anyone from the village can open soil testing centre.
	Availability of Fertiliser Shop	No	No		
Animal Husbandry	% of households supported by village based Livestock Extension Workers	8.00	8.00		Call agriculture helpline 1094 for details
Drinking Water	Availability of Piped tap water	100% habitations covered	100% habitations covered		
Roads	Whether the village is connected to All weather road	Yes	Yes		
	Whether village has an internal cc/ brick road	Yes	Yes		MGNREGA can be used to create internal cc/brick road.
	Availability of Public Transport	Auto	Auto		
Rural Electrification	Availability of electricity for domestic use	>12 hrs	>12 hrs		Renewable electricity equipments can be used at susidized rates.
Non-conventional energy	% of Household using clean energy (LPG/Bio gas)	36.00	36.00		
Poverty alleviation programme	% of households mobilized into SHGs	8.40	8.40		Contact the Block Mission Manager, National Rural Livelihood Mission of your state.
	% of SHGs accessed bank loans	21	21		Contact the Block Mission Manager, National Rural Livelihood Mission of your state.

Ministry of Panchayati Raj

Gram Panchayat Development Plan

STATE: ANDHRA PRADESH > DISTRICT: CHITTOOR > DEVELOPMENT BLOCK: SRIKALAHASTI

GRAM PANCHAYAT: KODANDARAMAPURAM [197780]

सत्यमेव जयते

पंचायती राज

Poverty alleviation programme	% of households mobilized into Producer Groups (PGs)	8.40	8.40		Contact the Block Mission Manager, National Rural Livelihood Mission of your state.
	% of households supported by village based Agricultural Extension Workers	32.00	32.00		Call agriculture helpline 1094 for details
	% of SHGs Promoted	21	21		
Vocational education	Availability of Vocational Educational Centre	Yes	Yes		
Women & Child Development	Availability of Aanganwadi Centre	Yes	Yes		Contact the District Magistrate.
	% of children aged 0-3 years registered under Aanganwadi	100.00	100.00		Register and send children to Aanganwadi.
	% of children aged 0-3 years immunised	100.00	100.00		
	% of children categorized as Non-Stunted as per ICDS record	13.51	13.51		Take your child to Village Health and Nutrition Day.
Social Welfare	Availability of Post Office	Yes	Yes		
	Telephone Services	Mobile	Mobile		
	Availability of Internet Cafe/Common Service Centre	No	No		Anyone from the village can open the internet café/common service centre.
	Availability of Banks	Yes	Yes		
	Availability of ATM	No	No		
Education	Availability of School	Primary School	Primary School		
Public Distribution System	Availability of Public Distribution System (PDS)	Yes	Yes		

15

अध्याय V: अवलोकन / उपलब्धियां / कार्ययोजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कार्यक्रम

कार्यक्रम का विहंगावलोकन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिन की गारंटीयुक्त रोजगार प्रदान करके आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हैं। पहले चरण में, मनरेगा को दिनांक 2 फरवरी, 2006 से 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था और बाद में क्रमशः दिनांक 1 अप्रैल, 2007 और दिनांक 15 मई, 2007 से अतिरिक्त 113 और 17 जिलों में लागू किया गया था। शेष जिले दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से कवर किए गए थे और वर्तमान में यह अधिनियम देश के सभी ग्रामीण जिलों को कवर करता है।

हाल के वर्षों में मनरेगा को लागू करने के प्रति दृष्टिकोण में आए बदलाव ने लाखों लोगों के जीवन में पर्याप्त सुधार लाया है। सामाजिक समावेश, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा और समान विकास के तहत सबसे ठोस प्रभाव को देखा जा सकता है।

शासन के सुधारों और पहलों ने पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा के समग्र अवसंरचना के भीतर कार्यक्रम में कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। ग्रामीण समुदायों द्वारा विकेंद्रीकृत योजना और निर्णय लेने के साथ हर साल उच्च बजटीय आवंटन सुनिश्चित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस) के प्रभावी कार्यान्वयन, आधार सीडिंग, परिसंपत्तियों की जियो–टैगिंग, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रणाली को मजबूत करने, रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग कर अनुमानित गणना के लिए सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन (सिक्योर) जैसे अभिनव उपाय किए गए हैं और जीआईएस आधारित नियोजन अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित की गई। परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं। अपनी स्थापना के बाद से, वर्ष 2018–19 तक मनरेगा योजना के तहत लगभग 2800 करोड़ श्रम रोजगार उत्पन्न हुए हैं, जिनमें से आधे से अधिक रोजगार महिला श्रमिकों और लगभग एक–तिहाई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा प्राप्त किए गए ।

स्थायी और उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने में आया है जिससे स्थायी आजीविका के सृजन को बढ़ावा मिला है। कई शोध अध्ययनों के परिणाम बताते हैं कि न केवल परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है, बल्कि ये परिसंपत्तियां ग्रामीण आबादी के लिए स्थायी आजीविका भी सृजित कर रही हैं। साक्ष्य से पता चलता है कि मनरेगा योजना अब ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बाजार को पुनर्जीवित करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है, जो ग्रामीण–शहरी प्रवासन को धीमा कर रहा है और ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि में योगदान कर रहा है। मनरेगा योजना के तहत श्रम बजट (मानव दिवस) और बजट आवंटन में वृद्धि देखी गई है।

अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने के लिए योजना के कार्यान्वयन को सरल एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से किए गए शासनिक सुधार

मनरेगा योजना देश भर की सभी 2.62 लाख ग्राम पंचायतों में चलाया जा रहा एक विशाल कार्यक्रम है। शुरू किए गए प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं:

(क) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): वर्ष 2015 से कार्यान्वित किए गए डीबीटी में मजदूरी मनरेगा कामगारों के बैंक/डाकघर खातों में सीधे जमा कर दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ प्रदायगी प्रक्रिया में कई चरण कम हो गए हैं। मनरेगा योजना में सक्रिय कामगारों की संख्या 11.61 करोड़ है। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, जहां बैंकों की पहुंच और इंटरनेट संपर्कता कम है, देश भर में प्रत्येक कामगार का खाता नंबर प्राप्त कर लिया गया है और मजदूरी सीधे इन खातों में जमा की जा रही है। फिलहाल कामगारों और एजेंसियों को 99 प्रतिशत भुगतान डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं।

इस पहल के परिणामस्वरूप मनरेगा योजना के अंतर्गत ई–भुगतान वित्तीय वर्ष 2014–15 में 77.34 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018–19 में 99 प्रतिशत हो गई।

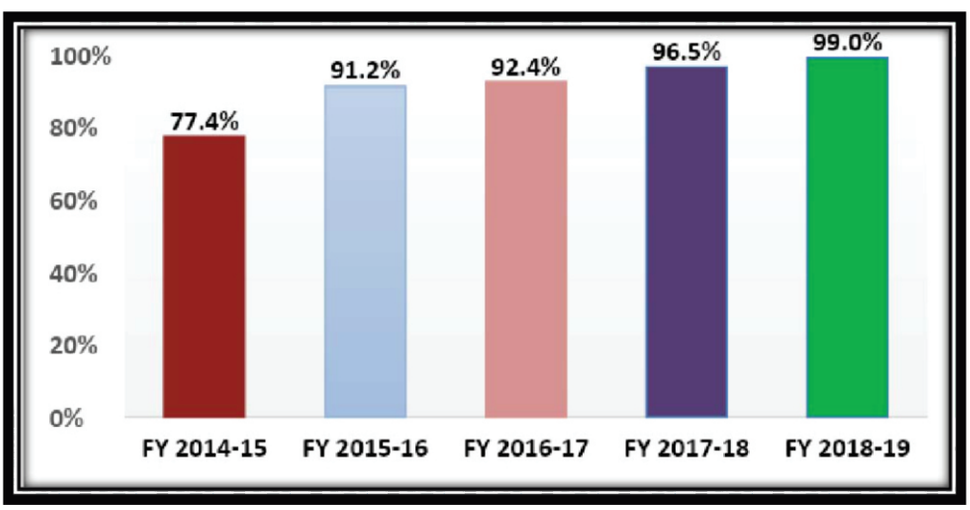

(स्रोतः www.nrega.nic.in)

आरेख 3: इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से कुल व्यय का %

ख) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस): इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ई–एफएमएस) में निधियों के प्रवाह से मजदूरी के भुगतान में देरी हुई क्योंकि कई स्तरों पर निधियां अप्रयुक्त रहीं जोकि परिहार्य कार्य था। फिलहाल 24 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में एनई–एफएमएस कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें मनरेगा कामगारों के बैंक/डाकघर खातों में मजदूरी का अंतरण सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।

ग) आधार का उपयोग: आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) ने डीबीटी को आगे बढ़ाया है। आधार के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ी है और वास्तविक कामगार के सत्यापन को बढ़ावा मिला है। मनरेगा के अंतर्गत 11.61 करोड़ सक्रिय कामगारों में से 10.16 करोड़ (87.51 प्रतिशत) कामगारों के आधार नंबर एकत्र कर लिए गए हैं। सभी भुगतानों में से लगभग 55.05 प्रतिशत भुगतान अब एबीपीएस के माध्यम से किए जाते हैं।

(घ) मजदूरी का समय पर भुगतान: मनरेगा योजना के अनुसार मजदूरी कामगारों के बैंक/डाकघर खातों में 15 दिनों की अवधि में अनिवार्य रूप से जमा कर देनी चाहिए। भुगतान चक्र को दो चरणों में बांटा गया है ताकि निधियों का निरंतर प्रवाह और प्रभावी निगरानी संभव हो पाएं। निरंतर प्रयासों और सभी स्टेकहोल्डरों के सक्रिय सहयोग से बड़े पैमाने पर सुधार संभव हो पाए हैं। पहले वित्तीय वर्ष 2014–15 में 26.9 प्रतिशत भुगतान आदेश ही 15 दिनों में सृजित किए जाते थे, जो कि अब वित्तीय वर्ष 2018–19 में बढ़कर 90 प्रतिशत हो गए हैं।

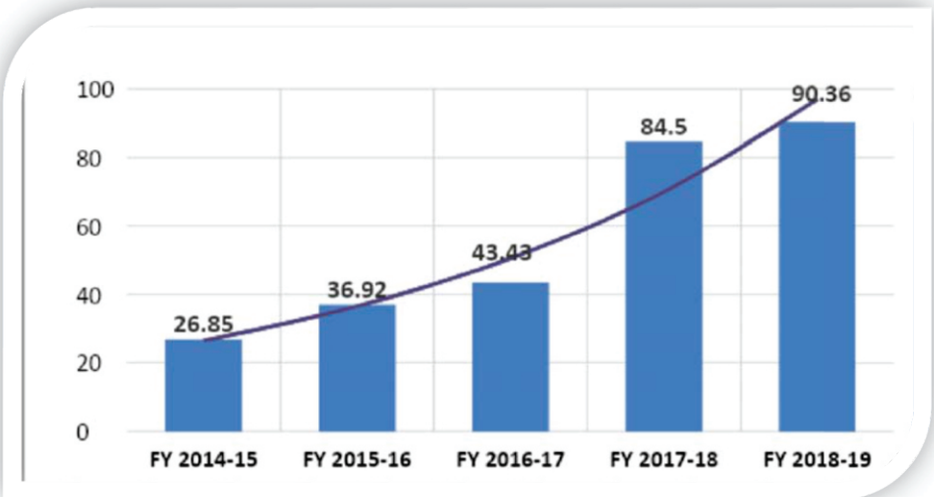

(स्रोतः www.nrega.nic.in)

आरेख 4: 15 दिनों में भुगतान आदेशों के सृजन का %

(ड.) **जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपातः** पंचायत स्तर पर मजदूरी और सामग्री के बीच 60:40 का अनुपात अनिवार्य था, जिसके परिणामस्वरूप प्रायः गैर उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण सिर्फ इस कारण से किया जा रहा था कि ग्राम पंचायत में 60 प्रतिशत धनराशि अकुशल मजदूरी पर खर्च की जानी होती थी। 60:40 के सिद्धांत को प्रभावित किए बिना इस मुद्दे के समाधान के लिए ग्राम पंचायत स्तर की बजाय जिला स्तर पर मजदूरी और सामग्री के 60:40 के अनुपात की अनुमति दी गई। इससे केवल उन्हीं परिसंपत्तियों का निर्माण करने की छूट मिली है, जो टिकाऊ और उत्पादक हों। इससे मनरेगा योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी से संबंधित योजना संबंधी कार्य के साथ–साथ ऐसी टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण भी हो पाया है जो समुदाय के लिए अत्यंत लाभदायक हैं।

(च) **आंगनबाडी केंद्र (एडब्ल्यूसी):** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ तालमेल के जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण की दिशा में अहम प्रयास रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र छोटे बच्चों की देख–रेख और विकास के ऐसे केंद्र के रूप में कार्य करते हैं जहां कामकाजी माताएं अपने बच्चों को छोड़कर काम पर जा पाती हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य भी बड़े पैमाने पर शुरू किए जाने से गांवों में स्वच्छता, गरीबों के लिए आमदनी और पहले से अधिक व्यापक आजीविकाओं को बढ़ावा मिला है।

(छ) **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम)**– मिशन जल संरक्षण (एमडब्ल्यूसी): प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) कार्यों से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ भूमि की उत्पादकता बढ़ती है। इसी कारण से उन डार्क और ग्रे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, जहां भू–जल स्तर तेजी से गिर रहा था, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय तथा भूमि संसाधन विभाग की साझेदारी से मिशन जल संरक्षण के दिशा–निर्देश तैयार किए गए। इन दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जल की कमी से ग्रस्त 2129 ब्लॉकों में निर्धारित एनआरएम कार्यों पर 65 प्रतिशत मनरेगा व्यय करना अनिवार्य है। जीआईएस प्रौद्योगिकी (भुवन पोर्टल) की सहायता से वाटरशैड में कार्यों की सर्वांगीण आयोजना शुरू करने के लिए राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी केंद्र, जिसे इसरो से प्रौद्योगिकीय सहायता भी प्राप्त है। इससे सतही और भू–जल संसाधनों को

प्रभावित करने वाली संरचनाओं की व्यवस्थित आयोजना, निगरानी और निष्पादन का कार्य संभव हो पाया है।

पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2014–19) में मनरेगा के अंतर्गत एनआरएम व्यय इस प्रकार हैः–

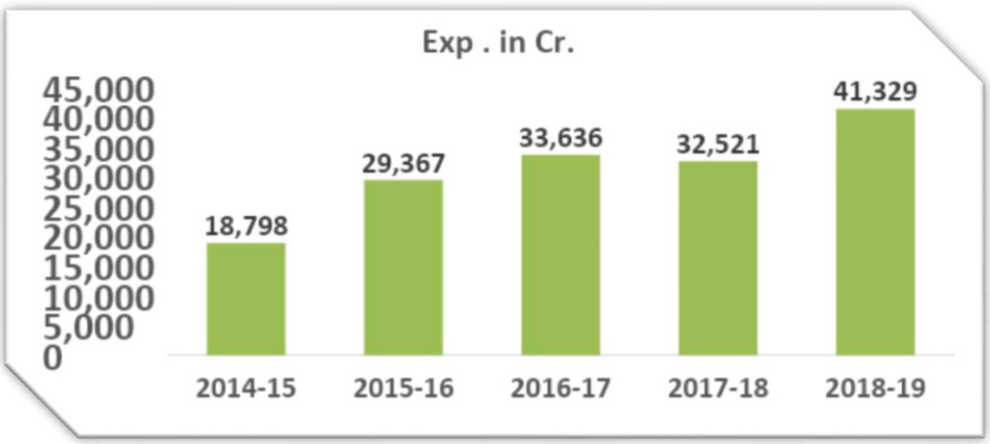

(स्रोतः www.nrega.nic.in)

आरेख 5ः पिछले पांच वर्षों में एनआरएम पर व्यय

(ज) **जियो–मनरेगाः** बेहतर आयोजना, प्रभावी निगरानी, अधिक प्रमाणिकता और पारदर्शिता के लिए जियो–मनरेगा का शुभारंभ किया गया, जो कि ऐसी सर्वथा नई पहल है, जिसमें मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाई गई सभी परिसंपत्तियों की जियो–टैगिंग के लिए अंतरीक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऑनलाइन रिकार्ड और निगरानी के लिए मोबाइल आधारित फोटो जियो–टैगिंग और जीआईएस आधारित सूचना प्रणाली जैसे प्रौद्योगिकीय उपायों की सहायता से परिसंपत्तियों के व्यवस्थित डाटाबेस का निर्माण शामिल है। यह संपूर्ण डाटा सार्वजनिक है और पारदर्शिता एवं सार्वजनिक प्रकटीकरण सुनिश्चित करता है। जियो–मनरेगा को 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है तथा 4.49 करोड़ निर्मित कार्यों में से 3.6 करोड़ कार्यों को पहले ही जियोटैग्ड किया जा चुका है।

(झ) **राज्यों के लिए श्रम बजट के अनुमानित परिकलन के लिए एसईसीसी–2011 के आंकड़ों का उपयोगः** यह मंत्रालय एसईसीसी–2011 के डाटा के आधार पर राज्यों के लिए श्रम बजट (एलबी) आवंटन के अनुमानित निर्धारण की नीति का अनुपालन करता है, ताकि उन राज्यों को अधिक वेटिज दी जा सके, जिनमें अभावग्रस्त परिवारों का प्रतिशत अधिक है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पिछड़े राज्य समाज के वंचित वर्गों के बीच इस योजना की पर्याप्त पहुंच के प्रावधान के लिए प्रोत्साहित हों।

(ञ) **सूखा प्रभावित क्षेत्र– 100 दिनों के अलावा 50 अतिरिक्त दिनों के अकुशल श्रम कार्य का प्रावधानः** सूखा इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय कृषि से मिलने वाली सामान्य आजीविका प्रभावित होती है और इसके परिणामस्वरूप मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की मांग बहुत बढ़ जाती है। कृषि मंत्रालय के परामर्श से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों के अधिसूचित सूखा प्रभावित क्षेत्र में जॉब कार्ड धारकों के लिए मनरेगा 2005 में 100 दिनों के सुनिश्चित कार्य के अलावा 50 दिनों के अतिरिक्त अकुशल श्रम कार्य का प्रावधान किया है।

(ट) **अन्य योजनाओं के साथ तालमेलः** तालमेल का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविकाएं सुनिश्चित करने के साथ–साथ टिकाऊ और उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण द्वारा सार्वजनिक निवेशों से मिलने वाले लाभ को अधिकतम करना है। कृषि, वन, बागवानी, मत्स्यपालन, रेशम कीट पालन, पशुपालन इत्यादि जैसे विभागों के साथ मनरेगा के तालमेल से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तालमेल बढ़ा है। ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के तालमेल से समेकित आयोजना को भी बढ़ावा मिला है। डीएवाई–एनआरएलएम के अंतर्गत महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) तथा अन्य स्थायी कृषि आधारित कार्यक्रमों में निर्धारित किसानों की सहायता करके दीनदयाल अंत्योदय योजना–एनआरएलएम (डीएवाई–एनआरएलएम) और मनरेगा योजना कार्यक्रमों का तालमेल मनरेगा योजना के अंतर्गत इन परिसंपत्तियों के निर्माण एवं उपयोग के लिए किया गया है।

वार्षिक उपयोजनाओं, समय सीमाओं और उपलब्धियों के साथ मनरेगा की पंचवर्षीय आयोजना

आजीविकाओं के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ और उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर देते हुए मजदूरी सुरक्षा का प्रावधान

दृष्टिकोणः

मनरेगा प्रभाग के दृष्टिकोण में अन्य के साथ–साथ आजीविका के संवर्धन के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण, अधिक कृषि उत्पादन के लिए कृषि एवं तत्संबंधी परिसंपत्तियों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) कार्य, कुशल मजदूरी रोजगार के लिए अवसर, स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन, पीएमजीएसवाई सड़क नेटवर्क को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सड़क संपर्कता शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तयी वर्ष 2023–24 तक पंचवर्षीय कार्यनीति

मनरेगा जमीनी स्तर से शुरू होने वाली मांग आधारित योजना है। इन कार्यों का अनुमोदन और प्राथमिकता का निर्धारण ग्राम सभा करती है। मनरेगा योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के परिणामस्वरूप आजीविकाओं को बढ़ावा मिलता है, ग्रामीण संपर्कता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) इत्यादि जैसी ग्रामीण अवसंरचना का उन्नयन होता है।

सारणी 3: पांच वर्षों के लिए वार्षिक उप–योजना

क्र.सं॰	समय-सीमाएं/उपलब्धियां	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	श्रम दिवस					
i	श्रम दिवसों का सृजन (करोड़ में)	258	270	270	280	280
ii	कुल व्यय में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) का %	60	60	60	60	60
iii	कुल व्यय में कृषि एवं तत्संबंधी कार्यकलापों का %	60	60	60	60	60
iv	जीआईएस आधारित आयोजना					
	ग्राम पंचायतें	5%	30%	70%	100%	-
v	व्यक्तिगत परिसंपत्तियां (पीएमएवाई को छोड़कर)					
	कुल व्यय में व्यक्तिगत परिसंपत्तियां (पीएमएवाई को छोड़कर) का %	15	20	20	25	25
vi	ग्रामीण संपर्कता* (कि.मी.)	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**

*उपलब्धि मांग के अनुसार अलग–अलग हो सकती है

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) कार्यक्रम

सार

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी का उपशमन करना और ग्रामीण गरीबों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है। डीएवाई–एनआरएलएम का लक्ष्य सभी ग्रामीण गरीब परिवारों (लगभग 8–10 करोड़) तक पहुंचना और उन्हें स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ना है।

समयबद्ध तरीके से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डीएवाई–एनआरएलएम का लक्ष्य सभी ग्रामीण गरीबों को स्वप्रबंधन वाली संस्थाओं के रूप में संगठित करना, उनका कौशल एवं क्षमता विकास करना तथा सार्वजनिक एवं निजी, दोनों क्षेत्रों से वित्त पोषण, आजीविका सेवाएं, पात्रताएं और सेवाएं प्राप्त करने में उनकी सहायता करना है। संगठित करने और सामुदायिक संस्थाओं के निर्माण की इस प्रक्रिया से अपेक्षित है कि गरीबों की एकजुटता, आवाज उठाने और मोलभाव करने की क्षमता बढ़ेगी। अतः इस मिशन का उद्देश्य ''जमीनी स्तर पर गरीबों की मजबूत और स्थायी संस्थाओं के निर्माण के माध्यम से लाभदायक स्व–रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्राप्त करते हुए स्थायी आधार पर अपनी आजीविकाओं में उल्लेखनीय सुधार करने में गरीब परिवारों की सहायता करके गरीबी उपशन करना है।''

डीएवाई–एनआरएलएम चार प्रमुख घटकों पर आधारित है, जोकि इस प्रकार हैंः– (i) सामाजिक एकजुटता और संस्था निर्माण; (ii) वित्तीय अंतर्वेशन; (iii) कृषि आजीविकाओं का संवर्धन; और (iv) गैर–कृषि आजीविकाओं का संवर्धन। इसके अतिरिक्त, इस मिशन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ तालमेल और साझेदारी के माध्यम से सामाजिक अंतर्वेशन तथा सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दिया जाता है। इनमें से प्रत्येक घटक की पंचवर्षीय योजना इस टिप्पणी में दर्शाई गई है।

संस्था निर्माण और क्षमता विकास

भूमिकाः महिलाओं के स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन के माध्यम से ग्रमीण गरीब परिवारों की सर्वव्यापी सामाजिक एकजुटता डीएवाई–एनआरएलएम का मूलाधार है। दिनांक 31 मार्च, 2019 तक यह मिशन सभी 29 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 622 जिलों के 5,246 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर **5,92 करोड़ महिलाओं को 52 लाख स्व–सहायता समूह के रूप में संगठित किया गया है।** इसके अतिरिक्त, इन स्व–सहायता समूहों को **2.95 लाख ग्राम स्तरीय संघों और 27,150 से अधिक क्लस्टर स्तरीय संघों में** शामिल किया गया है।

इन संस्थाओं के सदस्यों को मिशन कर्मचारियों के माध्यम से गहन प्रशिक्षण और परामर्शी सहायता यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाती है कि मजबूत और स्थायी संस्थाओं को गठन हो। क्षमता विकास का मूलाधार उन सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं, प्रेरकों, बहीलेखकों, अर्ध–व्यवसायियों का निर्धारण एवं प्रशिक्षण है, जिन्हें आगे स्व–सहायता समूहों और संघों का निरंतर क्षमता विकास करना होगा और उन्हें अन्य प्रकार की सामुदायिक सहायता प्रदान करनी होगी। अब तक, **2.31 लाख से अधिक सामुदायिक सदस्यों को प्रशिक्षित करके तैनाती किया गया है,** ताकि वे सामुदायिक संस्थाओं को बहीलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, वित्तीय सेवाओं, आजीविका विस्तार सेवाओं इत्यादि जैसे विषयों से संबंधित सहायता प्रदान कर पाएं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य व्यवहार में परिवर्तन, संचार और स्वास्थ्य एवं साफ–सफाई से संबंधित पात्रताओं के विषय में जागरूकता से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए गरीबों की

सामुदायिक संस्थाओं तथा संगत लाइन विभागों के बीच तालमेल और साझेदारी के आधार पर खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और डब्ल्यूएएसएच कार्यक्रम (एफएनएचडब्ल्यू) चला रहे हैं। अनेक राज्यों में स्व–सहायता समूहों दशसूत्री का अभ्यास कर रही है, जिनमें एफएनएचडब्ल्यू से संबंधित अच्छी पद्धतियां शामिल हैं।

पंचवर्षीय विजन

अगले पांच वर्षों में इस परियोजना की सहायता से डीएवाई–एनआरएलएम का विजन इस प्रकार है:

सर्वव्यापी भौगालिक प्रसार – डीएवाई–एनआरएलएम के अंतर्गत सभी जिले और ब्लॉक शामिल हैं कम से कम 70 प्रतिशत लक्षित परिवारों (एसईसीसी के अनुसार और भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित परिवार भी) को स्व–सहायता समूहों में शामिल किया जाना है।

सारणी 4

Building Strong Institutions of the poor	Providing financial services to the poor	Scaling Farm Livelihoods	Renewed emphasis on non-farm enterprises
• 9 crore women mobilized into 78 lakh SHGs • 2000 Model CLFs promoted • Mainstreaming FNHW and gender interventions in 2000 blocks • Establish 600 community managed training centers • Integration of Village Poverty Reduction Plans prepared by VOs into all GPDPs	• Rs. 3 lakh crore of bank credit accessed by SHGs • 2 lakh women SHG members placed as BC Sakhi • 4 crore SHG members enrolled in life and accidental insurance schemes	• 30 lakh *mahila kisans* (MKs) practice AEP practices and agri-nutri gardens • 20 lakh MKs covered under livestock & fishery intervention • 2 lakh MKs take up organic and NTFP interventions • 12000 Producer Groups promoted • 40 new large-scale FPOs promoted • More than 30000 Livelihood CRPs trained and deployed	• SVEP scaled to support 4.9 lakh enterprises • 52500 growth enterprises supported • 75 clusters developed - 19500 enterprises supported • 5 Brands and 12 stores set up for marketing • 4000 SHG products listed on GeM portal • 12600 CRP-Enterprise promotion deployed

गरीबों की स्थायी संस्थाओं का संवर्धन – इस मिशन का उद्देश्य अगले पांच वर्षों के अंत तक 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण गरीब महिलाओं को 78 लाख स्व–सहायता समूहों में शामिल करना है। इन संस्थाओं को कुल मिलाकर 27,000 करोड़ रु. से अधिक पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस मिशन में मौजूद प्रभावी संस्थागत व्यवस्थाओं के साथ 2,000 मॉडल माध्यम स्तर के स्व–सहायता समूह संघों (सीएलएफ) को बढ़ावा दिया जाएगा।

- **<u>समुदाय संचालित प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना (सीटीसी):</u>** इस मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 600 समुदाय संचालित प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जाएंगे। क्लस्टर स्तरीय संघ (सीएलएफ) वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने, अपने सदस्य वीओ और स्व–सहायता समूह को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा सीटीसी को व्यावसायिक तरीके से संचालित करने में सहायता करने के उद्देश्य से संस्था निर्माण, वित्तीय अंतर्वेशन, सामाजिक अंतर्वेशन, जेंडर, एफएनएचडब्ल्यू, कृषि एवं गैर कृषि आजीविकाओं जैसे एनआरएलएम के सभी घटकों के सामुदायिक संसाधन व्यक्ति तैयार करेंगे।

- **<u>सामाजिक अंतर्वेशन और सामाजिक विकास:</u>** सामाजिक विकास के अंतर्गत यह मिशन देश भर के 2,000 ब्लॉकों में स्व–सहायता समूहों में खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और डब्ल्यूएएसएच (एफएनएचडब्ल्यू) कार्यकलापों और जेंडर कार्यक्रमों के व्यवस्थापन के तंत्रों का विकास करके उन्हें संस्थागत रूप प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य इन मुद्दों के विषय में जागरुकता विकास, व्यवहार में उपयुक्त बदलाव को प्रेरित करने तथा प्रदायगी सेवाओं से जोड़ने के मॉडल तैयार करना होगा।

यह मिशन एफएनएचडब्ल्यू और जेंडर कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विशेषज्ञ सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारियां विकसित करने में एसआरएलएम की सहायता करेगा। ये सामुदायिक संगठन (सीबीओ) लाइन विभागों के साथ सक्रियतापूर्वक तालमेल करेंगे और पोषण अभियान कार्यकलापों में भागीदारी करेंगे। यह मिशन सर्वाधिक अभावग्रस्त और उपेक्षित समुदायों की जरूरतों की पूर्ति से जुड़ी विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एसआरएलएम की सहायता करेगा।

डीएवाई–एनआरएलएम के अंतर्गत शासनिक सुधार

- शत प्रतिशत सीएलएफ का लेनेदेन आधारित एमआईएस को अपनाना
- मिशन इकाइयों द्वारा सीबीओ को समस्त सामुदायिक निधियों की रिलीज का डिजिटलीकरण

अगले पांच वर्षों में प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों का ब्यौरा आगे **सारणी 1** में दर्शाया गया है:

सारणी 5: आईबी–सीबी– पंचवर्षीय योजना

संकेतक	मार्च'19 तक संचयी	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
राज्यों की सं.	29	0	0	0	0	0	29
संघ राज्य क्षेत्रों की सं.	5	0	0	0	0	0	5
जिलों की सं.	622	33	25	0	0	0	680
ब्लॉकों की सं.	5246	793	450	394	0	0	6883
संगठित किए गए परिवारों की सं. (लाख में)	594	93.6	80	70	35	30	902.6
सहायता पाने वाले स्व-सहायता समूहों की सं. (लाख में)	52.1	8.1	6.9	6.1	3	2.6	78.81
मॉडल स्व-सहायता समूह संघों का संवर्धन (सीएलएफ की सं)	0	250	350	500	500	400	2000
एफएनएचडब्ल्यू कार्यक्रमों का संवर्धन (ब्लॉकों की सं.)	94	606	700	600	0	0	2000
जेंडर कार्यक्रमों का संवर्धन (ब्लॉकों की सं.)	79	547	750	600	0	0	2000
पंचायती राज संस्थाओं-सामुदायिक संगठनों का तालमेल	120	600	1500	2000	1500	500	6320
प्रदान की गई पूंजीकरण सहायता की धनराशि	6868	3333	3667	4033	4437	4880	27218

वित्तीय अंतर्वेशन

भूमिका: पिछले 6 वर्षों में मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर किए गए पर्याप्त प्रयासों के परिणामस्वरूप स्व–सहायता समूहों को बैंकिंग प्रणाली से कुल मिलाकर 2.24 लाख करोड़ रु. के ऋण प्राप्त हुए हैं। इससे सदस्य अपने मौजूदा आर्थिक कार्यकलापों के विस्तार में निवेश और अपनी आजीविकाओं में वृद्धि के लिए उत्पादक परिसंपत्तियों की खरीद कर पाएं हैं। इसके अतिरिक्त, स्व–सहायता समूहों के सदस्यों के लिए आसान शर्तों पर ऋणों एवं अन्य वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास के अंतर्गत इस मिशन में 'बीसी सखी' नामक बिजनेस कोरेस्पोंडेंटों (बीसी) के रूप में प्रशिक्षित स्व–सहायता समूहों की सदस्यों को

तैनात करने की प्रायोगिक परियोजना की संकल्पना तैयार की गई है। ये बीसी सखियां सदस्यों के घरों तक विभिन्न वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के कार्य में बैंकों की सहायक बनी हैं। ये सखियां स्व–सहायता समूह सदस्यों के बीच अधिक स्वीकार्य और विश्वसनीय हुई। महिला सदस्यों को भी महिलाओं द्वारा संचालित बीसी केन्द्रों पर वित्तीय लेन–देन करने में आसानी हुई। आस–पास ऐसी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होने से विशेषकर स्व–सहायता समूहों की सदस्य महिलाओं की कठिनाई कम हुई क्योंकि अन्यथा उन्हें बैंक शाखाओं तक लंबी दूरी की यात्राओं पर समय और धन खर्च करना पड़ता था और आधारभूत वित्तीय लेन–देन करने के लिए उन्हें अक्सर मजदूरी कमाने के अवसर गंवाने पड़ते थे। मिशन के अंतर्गत 13 राज्यों में विभिन्न बैंकों की साझेदारी से ऐसी 3900 से अधिक बीसी सखियां तैनात की गई हैं। जिन स्थानों पर बीसी सखियां कार्यरत हैं, उन स्थानों पर जनधन खातों में नियमित बचतों और लेन–देन, महिलाओं में बीमा सुविधाओं हेतु अधिक नामांकन जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाओं की प्राप्तकर्ताओं में वृद्धि देखी गई है।

स्व–सहायता समूहों को ऋण दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शुरू किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डीएवाई–एनआरएलएम संबंधी मास्टर परिपत्र की वार्षिक अधिसूचना
- महिला स्व–सहायता समूहों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना की शुरूआत – 250 जिलों में महिला स्व–सहायता समूहों प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रु. तक के ऋण प्राप्त कर सकते हैं और ऋणों की शीघ्र अदायगी करने पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं; शेष जिलों में ऋणों की शीघ्र अदायगी करने वाले महिला स्व–सहायता समूहों को बैंकों की ब्याज दरों और 7 प्रतिशत के बीच के अंतर के बराबर सब्सिडी दी जाती है।

बीसी सखी पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शुरू किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

- बीसी केन्द्रों पर संयुक्त रूप से संचालित स्व–सहायता समूह खातों में वित्तीय लेन–देन को संभव बनाने के लिए बैंकों द्वारा इंटर ऑपरेबिलिटी से दोहरी अधिप्रमाणन सुविधा का कार्यान्वयन
- वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) से बैंकों को इस आशय की एडवाइजरी की के स्व–सहायता समूह सदस्यों को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट बनाने और अधिक कारोबारी संभावनाओं वाले एसएसए में अतिरिक्त बीसी तैनात करने पर विचार किया जाए।

पंचवर्षीय विजन

इस मिशन का उद्देश्य स्व–सहायता समूहों औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से 3 लाख करोड़ रुपए तक के ऋण प्राप्त करने में स्व–सहायता समूहों की सहायता करना है। इसके अतिरिक्त एक स्व–सहायता समूह सदस्य को प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीसीए तैनात किया जाएगा। वार्षिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

सारणी 6: वित्तीय अंतर्वेशन – पंचवर्षीय योजना

मदें	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*	2023-24*
प्राप्त हुए बैंक ऋण की राशि (करोड़ रू. में)	60,000	70,000	70,000	50,000	50,000
बीसी सखी सुविधा पाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	10000	60000	55000	45000	30000

कृषि आजीविकाएं

कृषि आजीविका पहलों में शामिल प्रमुख कार्यक्रम क्षेत्र इस प्रकार हैं: (क) कृषि में स्थायी पद्धतियों का संवर्धन (जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि पारिस्थितिकीय पद्धतियां) एनटीएफपी, पशुधन और अन्य कृषि आधारित कार्यकलापय (ख) मूल्य श्रृंखला का संवर्धन, (ग) स्व–सहायता समूह महिलाओं के सहयोग से जैविक कृषि का संवर्धन। इसके अतिरिक्त एग्री–न्यूट्री गार्डन का संवर्धन पारिवारिक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यापक कार्यनीति है।

कृषि पारिस्थितिकीय पद्धतियों के अंतर्गत शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रमों में अन्य के साथ–साथ स्व–स्थाने आर्द्रता संरक्षण, विभिन्न कंपोस्टिंग तरीकों से मृदा प्रबंधन, बीज उपचार, प्राकृतिक साधनों के माध्यम से कीट प्रबंधन के लिए एनपीएम पद्धतियां, बारी–बारी से फसलों में बदलाव शामिल हैं। पशुधन पद्धतियों के लिए डीएवाई–एनआरएलएम ने समय पर टीकाकरण और कीड़े मारने की दवा देने, आहार एवं चारा पद्धतियों, पशु बाड़ों के प्रबंधन, एथ्नो–वैटेरिनरी पद्धतियों इत्यादि पर जोर दिया। इसी प्रकार गैर इमारती वन उत्पाद संग्रहकर्ताओं के लिए एनटीएफपी के संग्रहण और पुनरुद्धार एवं उनके विपणन की स्थायी पद्धतियों संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

मुख्यतः ग्रामीण गरीबों को उनके घर तक विस्तार सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया जाता रहा है और डीएवाई–एनआरएलएम ने कृषि, पशुधन एवं एनआरएफपी पद्धतियों के विषय में विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक संवर्ग तैयार करने की विशाल व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास किया है। यह संवर्ग कृषि आजीविकाओं के क्षेत्र में कार्यक्रम प्रदायगी संरचना का मूलाधार बन गया है।

वर्ष 2018–19 से डीएवाई–एनआरएलएम के अंतर्गत कृषि पारिस्थितिकीय पद्धतियों से आगे तार्किक परिणति के रूप में एसएचजी सदस्यों के सहयोग से जैविक कृषि को बढ़ावा देने और किसानों को स्थानीय समूहों (एलजी) के रूप में संगठित करने का कार्य शुरू किया गया है, ताकि वे जैविक उत्पाद के लिए भागीदारीपूर्ण गारंटी प्रणाली (पीजीएस) के अंतर्गत प्रमाणन सुविधा प्राप्त कर पाएं।

बाजार तक पहुंचना छोटे और सीमांत किसानों के लिए अब भी एक गंभीर चुनौती है और डीएवाई–एनआरएलएम ने उन्हें उत्पादक समूहों के रूप में संगठित करना शुरू कर दिया है तथा फार्म गेट वैल्यू ऐडीशन कलेक्टिव मार्केटिंग में सहायता की है। इसके अतिरिक्त बड़े आकार के उत्पादक उद्यमों का संवर्धन दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए व्यावसायिक तरीके से फार्म गेट वैल्यू ऐडीशन, प्रसंस्करण और विपणन के समेकित दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्षेत्र बन गया है।

साझेदारियों और तालमेल का विकास आजीविकाओं के संवर्धन के लिए अपनाया गया व्यापक सिद्धांत है और डीएवाई–एनआरएलएम कस्टम हायरिंग सेंटरों, पशु बाड़ों, खेत–तालाबों इत्यादि की स्थापना जैसी साझेदारियों का लाभ उठा सकता है।

पंचवर्षीय विजन

अगले पांच वर्षों में डीएवाई–एनआरएलएम अधिक उत्पादन, खेती की कम लागत, बेहतर बाजार लिंकेज और पशुधन एवं एनटीएफपी संग्रहण के रूप में विविध आजीविकाओं के माध्यम से 30 लाख अतिरिक्त महिला किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनके साथ गहन कार्यकलाप चलाएगा।

इन कार्यकलापों के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार होंगे:

- महिला किसानों के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि पारिस्थितिकीय पद्धतियों (एईपी) का संवर्धन, जिससे उनकी आय बढ़े

- महिला किसानों के साथ स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना
- पशुधन और एनटीएफपी आधारित कार्यकलापों को बढ़ावा देकर आजीविकाओं को विविधता प्रदान करना
- कृषि, पशुधन और एनटीएफपी के लिए सामुदायिक विस्तार कार्यकर्ताओं के संवर्ग को बढ़ावा देना
- पोस्ट फार्म गेट कार्यकलापों पर केंद्रित बाजार लिंकेज के विकास द्वारा छोटे व सीमांत किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाना
- महिला किसानों के साथ बड़े आकार की किसान उत्पादक कंपनियों की स्थापना– मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों के ब्रांड और बाजार का विकास शुरू करके छोटे व सीमांत किसानों को उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि में अधिक हिस्सेदारी दिलाना
- पूरे देश में स्व–सहायता समूह सदस्यों के साथ जैविक कृषि को बढ़ावा देना

वर्ष–वार उपलब्धियों का ब्यौरा आगे सारणी 3 में दर्शाया गया है:

सारणी 7: कृषि आजीविकाएं– पंचवर्षीय योजना

क्र.सं.	परिणाम	उपलब्धि	इकाई	*2019-20*	*2020-21*	*2021-22*	*2022-23*	2023-24	कुल
1	आय बढ़ाने के लिए महिला किसानों के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि पारिस्थितिकीय पद्धतियों (एईपी) को बढ़ावा देना	*30* लाख महिला किसान प्राकृतिक साधनों, अंतर-सांस्कृतिक पद्धतियों इत्यादि के माध्यम से स्व-स्थाने आर्द्रता संरक्षण, बीज उपचार, बीज प्रतिस्थापन, कंपोस्टिंग और कीट एवं रोग प्रबंधन जैसी कम से कम 3 अनिवार्य पद्धतियां अपनाएंगी।	लाख	3	3	4.5	7.5	12	**30**
2	महिला किसानों के साथ स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना	एग्री न्यूट्री गार्डन बनाने वाली 30 लाख महिला किसान	लाख	3	3	4.5	7.5	12	**30**
3	पशुधन और एनटीएफपी आधारित कार्यकलापों को बढ़ावा देकर आजीविकाओं को विविधता प्रदान करना	क) बेहतर पशु प्रबंधन पद्धतियों के विषय में बीस लाख महिला किसानों की सहायता की जाएगी, जिससे वे अपनी आमदनी में पर्याप्त बढ़ोत्तरी कर पाएं	लाख	2	2	3	5	8	**20**
		ख) दो लाख महिला किसान, जिनमें से अधिकांश जनजातीय	लाख	0.2	0.2	0.3	0.5	0.8	**2**

क्र.सं.	परिणाम	उपलब्धि	इकाई	*2019-20*	*2020-21*	*2021-22*	*2022-23*	2023-24	कुल
		महिलाएं होंगी, स्थायी तरीके से एनटीएफपी आधारित आर्थिक कार्यकलाप शुरू करेंगी।							
4	कृषि, पशुधन और एनटीएफपी के लिए सामुदायिक विस्तार कार्यकर्ताओं के सं वर्ग को बढ़ावा देना	घर-घर जाकर विस्तार सेवाएं प्रदान करने और एईपी, पशुधन एवं एनटीएफपी आधारित आजीविकाओं के संवर्धन में सहायता करने के लिए बीस हजार सामुदायिक विस्तार कार्यकर्ताओं को कृषि सखियों, पशु सखियों और वन सखियों के रूप में प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किया जाएगा।	संख्या	1000	3000	6000	6000	4000	**20000**
5	पोस्ट फार्म गेट कार्यकलापों पर केंद्रित बाजार लिंकेज के विकास द्वारा छोटे व सीमांत किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाना	क*)* ग्राम स्तरीय म ूल्य संवर्धन एवं संग्रहण शुरू करने और नजदीकी बाजारों से जुड़ने के लिए *12000* उत्पादक समूह स्थापित किए जाएंगे।	संख्या	1200	1200	1800	3000	4800	**12000**
		ख*)* *1200* उत्पादक समूहों को औपचारिक रूप दिया जाएगा	संख्या	---	---	500	500	200	**1200**
		ग*)* इन बारह हजार उत्पादक समूहों में 6 लाख महिला किसान शामिल की जाएंगी।	लाख	0.6	0.6	0.9	1.5	2.4	**6**
		घ*)* इस पहल में सहायता करने के लिए *12000* उद्योग सखियां प्रशिक्षित करके तैनात की जाएंगी।	संख्या	1200	1200	1800	3000	4800	**12000**
		ड.*)* लगभग 6000 उत्पादक समूह डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से लेनदेन करेंगे।	संख्या	600	600	900	1500	2400	**6000**

क्र.सं.	परिणाम	उपलब्धि	इकाई	*2019-20*	*2020-21*	*2021-22*	*2022-23*	2023-24	कुल
6	महिला किसानों के साथ बड़े आकार की किसान उत्पादक कंपनियों की स्थापना- मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों के ब्रांड और बाजार का विकास शुरू करके छोटे व सीमांत किसानों को उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि में अधिक हिस्सेदारी दिलाना	क) विभिन्न राज्यों में बड़े आकार की 40 उत्पादक कंपनियां	संख्या	5	5	15	15	-	**40**
		ख) लगभग 4 लाख महिला किसान इन कंपनियों की शेयर-धारक होंगी	लाख	0.5	0.5	1.5	1.5	-	**4**
		एनआरएलएम के अंतर्गत स्थापित 10 मौजूदा उत्पादक कंपनियों को उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक सहायता प्रदान करके उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।	संख्या	5	5	-	-	-	**10**
7	देश भर में स्व-सहायता समूह सदस्यों के साथ जैविक कृषि को बढ़ावा देना	क) 1000 गांवों में जैविक कृषि का संवर्धन		500	500	500	500	500	**10000**
		ख) जैविक कृषि में 2 लाख किसान शामिल किए जाएंगे।	लाख	0.2	0.2	0.4	0.6	0.6	**2**
		ग) अपने उत्पाद उपभोक्ताओं को बेचने में किसानों की सहायता करने के लिए एफडीआरवीसी की व्यावसायिक सहायता से 500 जैविक सब्जी बिक्री केन्द्र खोले जाएंगे।	संख्या	-	50	100	200	150	**500**

गैर–कृषि आजीविकाएं

छोटे कारोबारियों की सहायता के लिए डीएवाई–एनआरएलएम की स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) नामक उपयोजना 31 मार्च, 2019 तक 23 राज्यों में 135 जिलों के 153 ब्लॉकों में चलाई जा रही है। 153 ब्लॉकों के लिए पूरक वार्षिक कार्ययोजनाएं (एएपी) अनुमोदित कर दी गई हैं; 1.76 लाख छोटे कारोबारियों की सहायता के लिए 108 विस्तृत परियोजना रिपोटें (डीपीआर) अनुमोदित कर दी गई हैं।

चार वर्षीय परियोजना अवधि में सहायता पाने वाले उद्यमों की कुल संख्या 1.76 लाख है। दिनांक 31 मार्च तक 100 ब्लॉकों में उद्यमों का गठन शुरू हो गया है तथा 50,771 उद्यम स्थापित किए जा चुके हैं।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) ग्रामीण क्षेत्रों मे सुरक्षित, किफायती और समुदाय की निगरानी में संचालित परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराती है। 18 राज्यों के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं तथा 114 जिलों के 160 ब्लॉकों में 774 वाहन अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से 714 वाहन चल रहे हैं।

स्व–सहायता समूह की सदस्य महिलाओं द्वारा संचालित छोटो उद्यमों को सरकारी ठेकों के अवसर प्राप्त हो पाएं हैं। केटरिंग यूनिटों, आईसीडीएस कार्यक्रमों को आपूर्ति के लिए टेक होम राशन मॉडलों (टीएचआर), स्कूल की वर्दियों इत्यादि के लिए वस्त्र निर्माण जैसे क्षेत्रों में बढ़ावा देने योग्य उद्यमों के मॉडलों की पहचान की गई है। इन मॉडलों को समझने के लिए केरल के अध्ययन दौरों सहित विभिन्न मॉडल एसआरएलएम के लिए शुरू किए गए हैं। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में केटरिंग यूनिटें शुरू की गई हैं और स्थानीय ब्रांड विकसित किए गए हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश और झारखंड में टीएचआर मॉडलों के प्रयास किए गए हैं।

5.3 पंचवर्षीय उद्देश्य

समग्र उद्देश्य ''स्व–सहायता समूहों के लघुउद्यमों को नए स्तर के आर्थिक कार्यकलाप और सुनियोजित विकास के रूप में बढ़ावा देना'' है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 4 व्यापक क्षेत्रों के अंतर्गत पहलों की योजना बनाई गई है। इन कार्यक्रमों के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- रूरल–नैनो और ग्रोथ–नैनो उद्यमों की सहायता के लिए माहौल तैयार करना
- रोजगार सृजन की संभावनाओं वाले उद्यमों की सहायता करने के उद्देश्य से क्लस्टरों व इनक्यूबेटरों की स्थापना करना।
- उद्यमों संबंधी कार्यकलापों से कृषि और गैर–कृषि परिवारों की आय बढ़ाना
- ग्रामीण उद्यमों को औपचारिक रूप देना
- स्व–सहायता समूह उद्यमों को उत्पादों व सेवाओं के लिए बाजारों से जोड़ना
- कारोबारी कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए सामुदायिक संगठनों का सुदृढ़ीकरण करना।
- स्व–सहायता समूहों के उत्पाद जीईएम बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हों
- विपणन में स्व–सहायता समूहों की सहायता और उद्यम के विकास के लिए बैंकिंग संस्थाओं से निधियां जुटाने की सामुदायिक संगठनों की क्षमता बढ़ाने के लिए व्यवस्था की स्थापना करना।

सारणी 8: गैर–कृषि आजीविका – पंचवर्षीय योजना

उद्देश्य सं.	प्रमुख उपलब्धियां	बेसलाइन	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
1	एसवीईपी कार्यक्रम के अंतर्गत जिन ब्लॉकों में इको-सिस्टम स्थापित किया गया, उन ब्लॉकों की संख्या (संचयी संख्या)	153	50	60	90	100	120	**420**
1	एसवीईपी के अंतर्गत सहायता पाने वाले उद्यमियों और चल रहे नैनो उद्यमों की संख्या	50,000	60,000	70,000	1,00,000	1,20,000	1,40,000	**490000**
1	प्रशिक्षित सीआरपी- ईपी (संचयी संख्या)	2,000	1,500	1,800	2,700	3,000	3600	**12600**
1	स्थापित किए गए ओएसएफ की संख्या	0	25	80	30	0	--	**135**
1	ओएसएफ के अंतर्गत सहायता पाने वाले ग्रोथ नैनो उद्यमों की संख्या	0	2,000	25,000	20,000	5,500		**52500**
1	औपचारिक रूप प्राप्त करने वाले उद्यमों की संख्या	0	15,000	20,000	30,000	35,000	40000	**140000**
2	इस परियोजना के अंतर्गत सहायता पाने वाले क्लस्टरों की संख्या	0	5	15	20	20	15	**75**
2	क्लस्टरों के माध्यम से सहायता पाने वाले शिल्पकारों की संख्या	0	1,250	3,750	5,000	5,000	4500	**19500**
2	स्थापित किए गए इनक्यूबेशन सेंटरों (साझेदारी के माध्यम से स्थापित सेंटरों सहित) की संख्या	0	0	5	8	7	5	**25**
2	स्टार्ट-अप के साथ साझेदारी के माध्यम से सहायता पाने वाले उद्यमियों की संख्या	0	250	300	450	500	750	**2250**

उद्देश्य सं.	प्रमुख उपलब्धियां	बेसलाइन	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
2	उन राज्यों की संख्या, जहां स्व-निर्मित मॉडलों का अनुकरण किया गया	3	3	5	5	5	2	**20**
2	उन संस्थाओं की संख्या, जिनके साथ साझेदारियां स्थापित की गई हैं	0	2	5	8	0	0	**15**
3	राज्यों में स्थापित विशिष्ट विपणन टीमों/घटकों की संख्या	0	2	10	3	0	0	**15**
3	जीईएम में सूचीबद्ध स्व-सहायता समूह उत्पादों की संख्या	0	500	700	800	1,000	1000	**4000**
3	स्व-सहायता समूह उत्पादों की सहायता के लिए स्थापित किए गए स्टोरों की संख्या	0	1	3	3	3	2	**12**
3	स्व-सहायता समूह उत्पादों के लिए विकसित ब्रांडों की संख्या	0	1	2	3	4	0	**9**
4	उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए मॉडल के रूप में विकसित किए गए ब्लॉक रिसोर्स सेंटरों (बीआरसी) की संख्या	0	15	25	30	30	50	**150**

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई)

संक्षिप्त विवरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय मजदूरी रोजगार और स्व–रोजगार, दोनों के लिए ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास के उद्देश्य से डीडीयू–जीकेवाई और आरएसईटीआई नामक अपने कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समग्र कार्यान्वयन फ्रेमवर्क उपलब्ध करा रहा है। ये सभी पाठ्यक्रम एनएसक्यूएफ और सामान्य लागत मानकों के अनुरूप हैं। इन कार्यक्रमों के एसओपी के अक्षरशः अनुपालन से गुणवत्ता वाली प्रशिक्षण अवसंरचना, प्रमाणित प्रशिक्षकों तथा मानकीकृत अध्यापन प्रशिक्षु सामग्री की सहायता से कौशल प्रशिक्षण की मानक प्रदायगी सुनिश्चित होती है।

इस कार्यक्रम का मुख्य जोर कौशल प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियोंको लाभादायक रोजगार दिलाने और उनके करियर में उन्नति सुनिश्चित करने के अंतिम लक्ष्य पर है

डीडीयू–जीकेवाई का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को न केवल उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना है बल्कि ऐसी व्यापक व्यवस्था स्थापित करना भी है, जिससे प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में सहायता मिले। ग्रामीण विकास मंत्रालय में डीडीयू–जीकेवाई राष्ट्रीय एकक राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण, वित्त पोषण, तकनीकी सहायता एवं सुविधा की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी है। राज्य स्तर पर राज्य सरकार की नोडल एजेंसी या तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) राज्य में डीडीयू–जीकेवाई के कार्यान्वयन का नेतृत्व और इसका सह वित्त पोषण कर रहे हैं; तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (पीआईए) कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन परियोजनाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती हैं।

विजन

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
• 7 Lakh candidates mobilized • 6.4 Lakh candidates trained	• 9 Lakh candidates mobilized • 7.8 Lakh candidates trained	• 12 Lakh candidates mobilized • 8.7 Lakh candidates trained	• 12 Lakh candidates mobilized • 9.8 Lakh candidates trained	• 10 Lakh candidates mobilized • 10.7 Lakh candidates trained

ग्रामीण गरीबों के लिए इस कार्यक्रम के लाभ

डीडीयू–जीकेवाई के अंतर्गत 8.59 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण और 5.40 लाख अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाया गया है (जुलाई, 2019 तक)। अभ्यर्थियों को निःशुल्क भोजन और आवास सुविधा के साथ निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अभ्यर्थी को प्रशिक्षण और रोजगार दिलाने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि परिवार घोर गरीबी से उबर जाए।

सकारात्मक उपाय के रूप में डीडीयू–जीकेवाई में यह अनिवार्य प्रावधान किया गया है कि कम से कम 50 प्रतिशत लक्षित लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से हों। डीडीयू–जीकेवाई में यह

अनिवार्य प्रावधान भी किया गया है कि 33 प्रतिशत अभ्यर्थी महिलाएं हों और रोशनी परियोजना में 40 प्रतिशत अभ्यर्थी महिलाएं हों और अब तक 3.74 लाख महिला अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। डीडीयू–जीकेवाई के अंतर्गत कुल 1.22 लाख अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

आरेख–6

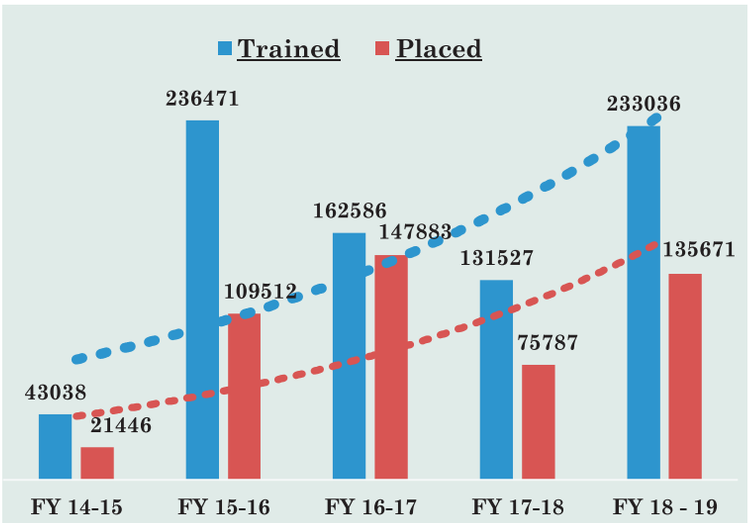

- डीडीयू–जीकेवाई के अंतर्गत विकलांग अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कराने में भी राज्यों की सहायता की जाती है। डीडीयू–जीकेवाई के अंतर्गत कुल 7,215 विकलांग अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इस कार्यक्रम से हमारे देश के वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे और अभावग्रस्त गरीब परिवारों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है।

अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने के लिए इस योजना के कार्यान्वयन को सरल एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से किए गए शासनिक सुधार।

- मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करके पारदर्शिता लाई गई और समय सीमा में कमी करके परियोजनाओं के अनुमोदन में तेजी लाई गई।
- कौशल पंजी ऐप का शुभारंभ करके इसका प्रचार–प्रसार किया गया, जिससे ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं को दर्ज करते हुए 16 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं का पंजीकरण किया गया है।
- डीडीयू–जीकेवाई की प्रभावी निगरानी के लिए ऑनलाइन एमपीआर व्यवस्था तैयार करके राज्यों, एमएसडीई एमआईएस के साथ उसका समेकन किया गया और आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया।
- पूरे देश में प्रशिक्षक प्रशिक्षण के ई–एसओपी प्रमाणन और डोमेन प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की गई।
- डीडीयू–जीकेवाई में प्रशिक्षण की शुरूआत के लिए प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों को परिभाषित किया गया।
- सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं का पैनल तैयार किया गया।
- विकलांग अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए विशेष दिशा–निर्देश
- कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सभी मैला ढोने वालों को लाभान्वित करने पर जोर दिया गया।

प्राप्त किए जाने वाले परिणामों, समय–सीमाओं और उपलब्धियों के साथ पंचवर्षीय विजन (सारणी 9)

क्र. सं.	लक्ष्य- डीडीयू-जीकेवाई	पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पांचवां वर्ष
1	2019 से 2024 तक 19.60 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिलाना	2.5 लाख	3.5 लाख	4 लाख	4.6 लाख	5 लाख
2	14 लाख अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाना	2 लाख	2.20 लाख	2.80 लाख	3.01 लाख	3.99 लाख
3	50 लाख अकुशल ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण के लिए कौशल पंजी में पंजीकरण करना (डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई दोनों)	7	9	12	12	10
4	ग्रामीण गरीब अभ्यर्थियों को इस योजना के अं तर्गत बेहतर रोजगार दिलाने के लिए 1000	150	200	220	230	200
	नियोक्ताओं के साथ सक्रिय भागीदारी					
5	28 राज्यों के लिए 31 प्रवासी सहायता केंद्रों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण करना	7	12	12	जारी	जारी

ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

सार

आरएसईटीआई कार्यक्रम प्रायोजक बैंकों, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी है। अग्रणी बैंकों को यह अधिदेश दिया गया है कि वे अपने अग्रणी जिले में स्व–रोजगार/उद्यमिता उपक्रम शुरू करने के लिए बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कम से कम एक आरएसईटीआई खोलें। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ग्रामीण गरीब युवाओं की प्रशिक्षण लागत के लिए वित्तीय सहायता और एक करोड़ रुपए की एकबारगी अनुदान सहायता प्रदान करता है तथा राज्य सरकार आरएसईटीआई परिसरों को निर्माण के लिए एक एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करती है। फिलहाल आरएसईटीआई कार्यक्रम को देश के 28 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 562 जिलों में 29 अग्रणी बैंक (सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंक तथा ग्रामीण बैंक) चला रहे हैं। ये आरएसईटीआई औसतन एक वर्ष में चार लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

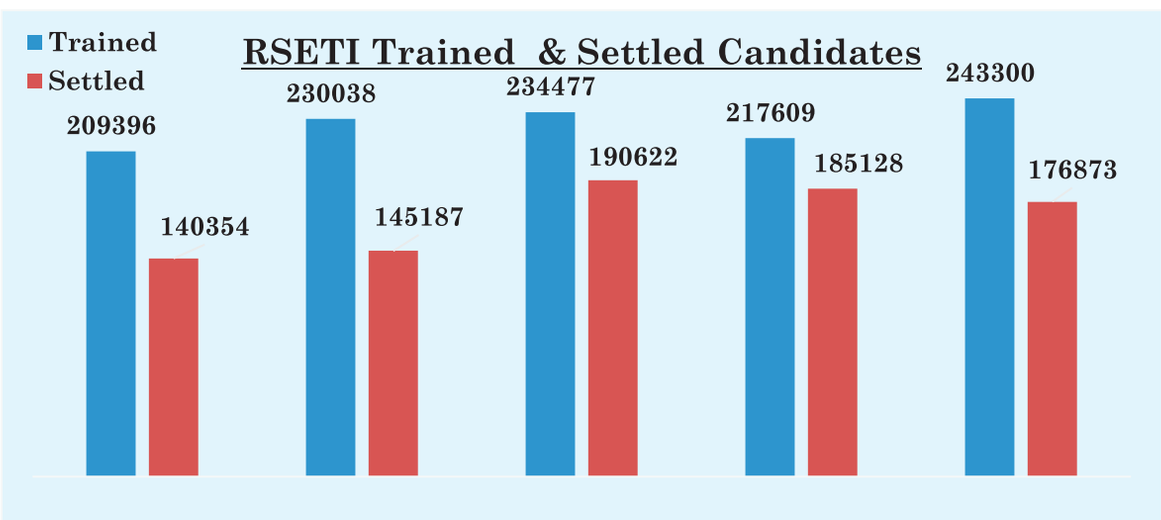

ग्रामीण गरीबों के लिए इस कार्यक्रम के लाभ

पिछले 5 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2014–15 से जून, 2019 तक) में आरएसईटीआई से प्रशिक्षण पाने वाले कुल 21 लाख बेरोजगार युवाओं में से 12.08 लाख युवा ग्रामीण गरीबों की श्रेणी से हैं और इनका प्रतिशत 54 है। अतः प्रशिक्षण पाने वाले आधे से अधिक अभ्यर्थी ग्रामीण गरीब श्रेणी से हैं। इसी प्रकार स्व–रोजगार या मजदूरी रोजगार के रूप में सफलतापूर्वक रोजगार शुरू करने वाले 15.63 लाख अभ्यर्थियों में से 8.72 लाख अर्थात 72 प्रतिशत अभ्यर्थी ग्रामीण गरीब हैं। तथापि, प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से कुल मिलाकर 74 प्रतिशत ने रोजगार शुरू किया।

अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने के लिए इस योजना के कार्यान्वयन को सरल एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से किए गए शासन सुधार इस प्रकार हैं:

- करूपता लाने तथा गुणवत्ता मानक बनाए रखने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) और सामान्य मानक अधिसूचना (सीएनएन) को सभी आरएसईटीआई में लागू करने की प्रक्रिया चल

रही है। एईबीएएस के कार्यान्वयन के अतिरिक्त इंडस्ट्री बेंच मार्क वाली टूल किटों की आपूर्ति की जाती है।

- इच्छुक बेरोजगार युवाओं को आरएसईटीआई में प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कौशल पंजी ऐप विकसित की है और बेरोजगार युवाओं को आरएसईटीआई में प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराने की प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
- आरएसईटीआई मूल्यांकन बोर्ड का गठन करके उसे सक्रिय बनाया गया है।

पंचवर्षीय समय–सीमाएं और प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित किए जाने वाले अभ्यर्थी	स्व-रोजगार शुरू कर सकने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	मजदूरी रोजगार प्राप्त कर सकने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	रोजगार शुरू करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	बैंक ऋण प्राप्त करने वाली स्व-रोजगार परियोजनाओं की संख्या
2019 - 20	3,90,000	2,35,000	38,000	2,73,000	1,17,500
2020 - 21	4,29,000	2,60,000	40,300	3,00,300	1,30,000
2021 - 22	4,71,000	2,86,700	43,000	3,29,700	1,43,350
2022 - 23	5,18,000	3,15,000	47,600	3,62,600	1,57,500
2023 - 24	5,69,000	3,42,000	56,300	3,98,300	1,71,000

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

सारः

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। एनएसएपी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर शोक संतप्त परिवार पर लागू होने वाला सामाजिक सुरक्षा/सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। एनएसएपी में फिलहाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस), राष्ट्रीय परिवार लाभा योजना (एनएफबीएस) और अन्नपूर्णा योजना नामक पांच उप–योजनाएं शामिल हैं। एनएसएपी की ये योजनाएं शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं।

(I). इनमें से प्रत्येक योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंडों और प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा इस प्रकार हैः

I. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)**: भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है। 60–79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 200/– रुपए और 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 500/– रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है।

II. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)**: भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की 40–79 वर्ष की आय की विधवाओं को इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 300/– रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। इन लाभार्थियों की आयु 80 वर्ष हो जाने पर इन्हें प्रति माह 500/– रुपए की बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए इस योजना से निकालकर आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है।

III. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)**: भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की 18–79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 300/– रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। इन लाभार्थियों की आयु 80 वर्ष हो जाने पर इन्हें प्रति माह 500/– रुपए की बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए इस योजना से निकालकर आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है।

IV. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)**: 18–59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि पाने का हकदार है। सहायता राशि 20,000/– रुपए है।

V. **अन्नपूर्णा योजनाः** पात्र होने के बावजूद वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त न कर रहे वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 10 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सिफारिश की गई है कि वे इन तीनों पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अपनी ओर से कम से कम केंद्र सरकार के बराबर सहायता प्रदान करें।

(II) प्रमुख उपलब्धियां और कार्यकलाप

- **वित्तीय निष्पादनः–**

  वर्ष 2018–19 के दौरान एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8408.31 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी जबकि वर्ष 2019–20 के लिए एनएसएपी योजनाओं को 9200.00 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2755.80 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है (24.06.2019 तक)।

- **वास्तविक निष्पादनः–**

  लाभार्थियों के ब्यौरे के डिजिटलीकरण के आधार पर आंकी गई लाभार्थियों की लक्षित संख्या इस प्रकार हैः–

आईजीएन ओएपी	आईजीएन डब्ल्यूपीएस	आईजीएनडीपीएस	एनएफबीएस	अन्नपूर्णा	कुल
21409030	5935489	772220	358840	831722	29307301

1. अंतिम लाभार्थी तक सेवा की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए किए गए शासनिक सुधारः प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पेंशन का वितरणः

एनएसएपी के अंतर्गत आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस, आईजीएनडीपीएस जैसी पेंशन योजनाएं और एनएफबीएस प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में शामिल हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान एनएसएपी के लिए किए गए डीबीटी लेनदेनों की कुल संख्या 15 करोड़ थी जबकि वर्ष 2018–19 के दौरान एनएसएपी के लिए किए गए डीबीटी अंतरणों की कुल संख्या 21.27 करोड़ थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 242 लाख लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खाते हैं और 115 लाख लाभार्थियों के आधार का सत्यापन यूआईडीएआई से कराया जा चुका है।

2. पंचवर्षीय विजन

छोटे और सीमांत किसानों तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित उन सभी वंचित वर्गों तक सेवाओं की समान प्रदायगी करने वाली सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत रूप प्रदान करना, जो अब तक न तो किसी मौजूदा कार्यक्रम में शामिल हैं और न ही जिन्हें परिभाषित अंशदानों के माध्यम से भागीदारी की आयु सीमा पार कर लेने के कारण नए बीमा सुरक्षा से लाभान्वित किया जा सकता है।

आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर नए भारत के लिए कार्यनीति

कार्यनीतिक दस्तावेज में की गई परिकल्पना, "वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना, जिससे वे आर्थिक विकास और राष्ट्र–निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर पाएं"। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2022 में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के समारोह के अभिन्न भाग के रूप में वंचित वर्गों के सामाजिक संरक्षक के क्षेत्र में लक्षित सुधारों की दिशा में बड़ा बदलाव करना आवश्यक है। कवरेज इंडिया/75 उपलब्धियों में अन्य के साथ–साथ बुजुर्गों का

कल्याण, असंगठित कामगारों को पेंशन देना तथा छोटे एवं सीमांत किसानों को पेंशन देना शामिल हैं। हालांकि आर्थिक उत्पादन के आयु वर्ग में आने वाले व्यक्तियों को बीमा सुरक्षा के माध्यम से लक्षित किया जा रहा है फिर भी उन असंगठित कामगारों और छोटे एवं सीमांत किसानों को शामिल करने के लिए अधिक समावेशी पेंशन पैकेज तैयार करने की आवश्यकता है, जो अपनी आयु के पात्रता सीमा को पार कर जाने के कारण बीमा सुरक्षा में शामिल होने से छूट जाते हैं।

समय के साथ वास्तविक अर्थों में एनएसएपी के अंतर्गत मिलने वाले लाभ में होने वाली कमी और लाभार्थियों के पुराने बीपीएल आधारित निर्धारण तथा विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को भी ध्यान में रखते हुए यह बदलाव उचित है। अगले पांच वर्षों में पूरे किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन इस प्रकार हैं

- एसईसीसी (स्वतः अंतरर्वेशन और किसी एक अभाव) के आधार पर लाभार्थियों का निर्धारण।
- विकलांगता पेंशन की रूप–रेखा तय करते समय निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाए।
- आधार समर्थित डीबीटी प्रणाली के माध्यम से वितरण।
- राज्यों के साथ या तो 60:40 या 50:50 की भागीदारी व्यवस्था करते हुए इस योजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) बना दिया जाए। पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 90:10 के आधार पर भागीदारी व्यवस्था अपनाई जाएगी।
- पेंशन भुगतानों की पुष्टि प्राप्त करने के लिए एसएमएस आधारित अलर्ट व्यवस्था अपनाई जाए।
- विभिन्न राज्यों की सीमाएं पार करने के बावजूद वंचित लाभार्थियों की पात्रता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पोर्टेबिलिटी के प्रावधान शामिल किए जाएंगे।
- शत प्रतिशत डिजिटलीकरण और बचतों को आगे ले जाने के क्षेत्र में वर्तमान बढ़त के साथ योजना में डीबीटी का पूर्णतः अनुपालन करना
- ई ग्रामीण व्यवस्था के माध्यम से लाभार्थियों के जीवन प्रमाणन के प्रावधान को पूरी रह लागू करना।
- इसके अतिरिक्त इसमें से अधिकांश लाभार्थी स्वास्थ्य देखरेख के लिए अपने आप आयुष्मान भारत योजना (प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना) में शामिल कर लिए जाएंगे क्योंकि इन लाभार्थियों को चयन एसईसीसी के आंकड़ों पर आधारित है। इससे कल्याण योजनाओं के समग्र तालमेल में सुधार होगा।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

कार्यक्रम का सार

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोर नेटवर्क में मौजूद सभी पात्र सड़क संपर्क विहीन बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और इससे अधिक आबादी (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) और विशेष श्रेणी के राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख तथा उत्तराखंड), जनजातीय (अनुसूची–V) क्षेत्रों, मरूभूमि क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में यथा निर्धारित) तथा चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों (गृह मंत्रालय/पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा यथा निर्धारित) में 250 व्यक्तियों और इससे अधिक की आबादी (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) वाली सभी पात्र सड़क संपर्क विहीन बसावटों को सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। पीएमजीएवाई में उन जिलों में मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन (निर्धारित मानकों के अनुसार) की अनुमति दी गई है, जहां विनिर्दिष्ट आबादी वाली सभी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जा चुका है। गृह मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित गंभीर एलडब्ल्यूई ब्लॉकों के लिए विशेष छूट वर्ष 2013 में दी गई थी ताकि 100 व्यक्तियों और इससे अधिक आबादी (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) वाली सड़क संपर्क विहीन बसावटों को सड़कों से जोड़ा जा सके।

पीएमजीएसवाई सरकार का सर्वाधिक सफल कार्यक्रम है, जोकि स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट लक्ष्यों और सुपरिभाषित कार्यक्रम दिशानिर्देशों तथा मानक प्रचालन प्रक्रियाओं और प्रतिबद्ध वित्त पोषण के कारण समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यथा संभव सबसे छोटे मार्ग से जोड़े जाने के लिए बसावटों का निर्धारण करने वाला कोर नेटवर्क वर्ष 2005 में तय किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्यों का निर्धारण हुआ। निर्माण के ठेके के साथ–साथ ठेकेदार के साथ पंचवर्षीय निष्पादन गारंटी की संकल्पना ने पूरा परिदृश्य बदल कर रख दिया, जिससे निर्माण की अच्छी गुणवत्ता के साथ–साथ पंचवर्षीय रखरखाव का अंतर्निहित प्रावधान सुनिश्चित हुआ।

50,000 किलोमीटर लंबे मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के उद्देश्य से वर्ष 2013 में पीएमजीएसवाई–II का शुभारंभ किया गया। इसका लक्ष्य स्कूलों, अस्पतालों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों को जोड़ने वाली सड़कों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मौजूदा चयनित ग्रामीण सड़क नेटवर्क का उन्नयन करना है। अब तक पीएमजीएसवाई–।। शुरू कर चुके 18 राज्यों को 41,026 किलोमीटर लंबी सड़कें स्वीकृत की जा चुकी हैं।

दिसम्बर, 2016 में मंत्रिमंडल ने 9 राज्यों के 44 जिलों में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ''वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामीण संपर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई)'' नामक नए घटक को अनुमोदित किया था। ये जिले सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। गृह मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई जाने वाली 340 सड़कों (लगभग 5,412 किलोमीटर लंबी) और 126 पुलों का निर्धारण किया था।

पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्रमों/घटकों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति इस प्रकार है:– (सारणी 11)

योजना	समापन का लक्षित वर्ष	स्वीकृति के लक्ष्य	उपलब्धि	अभ्युक्तियां
पीएमजीएवाई-I	2019	1,78,184	1,66,075	सभी स्वीकृतियां पूरी कर दी गई हैं। मुख्यत: पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में लगभग 3 प्रतिशत पात्र और व्यवहार्य बसावटें सड़कों से जोड़े जाने के लिए शेष हैं।
एलडब्ल्यूई (100-249)	2020	6,397	4,181	सभी स्वीकृतियां पूरी कर दी गई हैं।
पीएमजीएसवाई-II	2020	50,000 किमी	29,707 किमी	18 राज्यों को 41,026 किमी सड़कें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं। सभी स्वीकृतियां सितंबर, 2019 तक।
आरसीपीएल डब्ल्यूईए	2020	-चरण-I (शुरूआती लक्ष्य) 5,412 किमी - 6,043 किमी अतिरिक्त स्वीकृतियां	759 किमी	पहले चरण की शत प्रतिशत स्वीकृति (5,066 किमी)। गृह मंत्रालय ने 6,043 किमी लंबी 758 सड़कों और 23 पुलों के लिए अतिरिक्त स्वीकृति दे दी है।

अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने के लिए इस योजना के कार्यान्वयन को सरल एवं कारगर बनाने के लिए किए गए शासनिक सुधार

I. आईआरसी ने ग्रामीण सड़क नियमावली को 2002 में अनुमादित किया, जिसमें ग्रामीण सड़कों के कम वॉल्यूम वाले और किफायती निर्माण के लिए विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। इस कार्यक्रम की सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारण समुदाय की भागीदारी है। भूमि के अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं था। भूमि के अधिग्रहण पर कोई भी खर्च किए बिना अब तक लगभग 6.00 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है और समस्त निजी भूमि स्वैच्छिक दान के माध्यम से प्राप्त हुई है।

II. **हरित प्रौद्योगिकी;** पीएमजीएसवाई के लिए नए प्रौद्योगिकीय दिशानिर्देश 2013 में जारी किए गए थे और तभी से यह प्रावधान अनिवार्य हो गया है कि 15 प्रतिशत सड़क परियोजनाओं का निर्माण स्थानीय और औद्योगिक अपशिष्ट के प्रयोग पर जोर देते हुए नई और हरित प्रौद्योगिकी से किया जाएगा। अब तक इस श्रेणी में 60,395 किलोमीटर लंबी सड़कें स्वीकृत की गई हैं और 31,816 लंबी सड़कों का निर्माण हो गया है। 14,665 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य तो वर्ष 2018–19 में ही कर लिया गया था। सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत कुछ प्रौद्योगिकियों में प्लास्टिक अपशिष्ट, कोल्ड मिक्स, पैनल कंक्रीट, राख और सीमेंट एवं मृदा स्थिरीकरण के लिए आईआरसी से मान्यता प्राप्त अन्य सामग्री का प्रयोग शामिल हैं।

III. शासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग

संपूर्ण कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी करने तथा कार्यान्वयन में पहले से अधिक दक्षता, जवाबदेही और

पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पीएमजीएवाई के लिए आधुनिक वेब आधारित ऑन लाइन प्रबंधन, निगरानी और जवाबदेही प्रणाली (ओएमएमएएस) स्थापित की गई है। मुख्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर मॉड्यूलों में ग्रामीण सड़क योजना और कोर नेटवर्क, प्रस्ताव, निविदा और ठेका प्रक्रिया, निष्पादन (वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति), गुणवत्ता निगरानी, निधि प्रवाह और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (कार्य लेखा), ई–भुगतान ई प्रापण जैसे नए आयाम शामिल किए जा रहे हैं। ओएमएमएएस पर दी गई जानकारी सार्वजनिक है।

नागरिकों को सहभागी बनाना और उन्हें जानकारी देते रहना इस कार्यक्रम के मूल घटक रहे हैं। पीएमजीएसवाई सड़कों पर मुख्य स्थानों पर स्थानीय भाषा में नागरिक सूचना बोर्ड और कार्य सूचना बोर्ड दर्शाए जाते हैं, जिनमें कार्य और खड़ंजे की प्रत्येक परत में लगाई गई सामग्री के वॉल्यूम के ब्यौरे का उल्लेख किया जाता है। ''रखरखाव बोर्ड'' का प्रावधान नई पहल है, जिसमें पीएमजीएवाई सड़कों के पंचवर्षीय रखरखाव के प्रावधानों के विषय में आवश्यक जानकारी नागरिकों को दी जाती है।

पीएमजीएसवाई सड़कों के लिए ''मेरी सड़क'' नामक नया मोबाइल ऐप 20 जुलाई, 2015 को शुरू किया गया और प्रयोक्ताओं के अनुकूल एवं पारदर्शी नागरिक प्रतिक्रिया एवं शिकायत निपटान प्रणाली के लिए इसे ओएमएमएएस में शामिल किया गया। इस अनुप्रयोग का इस्तेमाल करके नागरिक पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण की धीमी गति, सड़क कार्य को बीच में छोड़ दिए जाने या सड़क कार्य की खराब गुवत्ता के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त कर सकते हैं। इस अनुप्रयोग को गुगल प्ले स्टोर और ओएमएमएएस वेबसाइट (http://omms.nic.in) से निःशुल्क डाउलोड किया जा सकता है। अब तक 1,01,504 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 1,01,461 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है।

सभी राज्यों में जीआईएस पर समस्त पीएमजीएवाई सड़कों की मैपिंग हो गई है।

पीएमजीएसवाई सड़कों का प्रभाव

पीएमजीएसवाई पर विभिन्न स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए गए थे, जैसे कि विश्व बैंक द्वारा पीएमजीएसवाई के गरीबी और समाज पर प्रभाव का निर्धारण, बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्धान (बीआईटीएस), पिलानी द्वारा राजस्थान में पीएमजीएसवाई का प्रभाव का निर्धारण अध्ययन, जिसमें जेंडर शामिल है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बेहतर ग्रामीण सड़क रखरखाव प्रणाली का प्रभाव निर्धारण अध्ययन, हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा "ऑन द वेय टू गुड हैल्थ? रूरल रोड्स एंड मॉर्बिटी इन अपलैंड्स ओडिशा", बीआईटीएस, पिलानी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्कता पर पीएमजीएसवाई सड़कों का प्रभाव और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), हैदराबाद द्वारा पीएमजीएसवाई परिणाम निगरानी अध्ययन। इन सभी अध्ययनों का यह निष्कर्ष निकला है कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरीकरण और रोजगार सृजन इत्यादि पर इस योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विश्व बैंक ने वर्ष 2019 की अपनी रिपोर्ट में भी ग्रामीण जनसमुदाय की सामाजिक–आर्थिक दशा के उत्थान में इस योजना के प्रभाव को स्वीकार किया है। विभिन्न अध्ययनों के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

क) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनाई गई सडक के कारण लोग अपने वांछित गंतव्यों तक अधिक तेजी से यात्रा कर पा रहे थे और अपने बचे हुए समय का उपयोग किसी अन्य उत्पादक कार्य में कर पा रहे थे।

ख) पीएमजीएसवाई सड़कों से जुड़े ग्रामीण जनसमुदाय को अब बाजारों तक सीधी पहुँच के कारण अपने उत्पादों की बेहतर कीमत मिल पा रही थी। अतीत में बिचौलिए इस लाभ का बड़ा हिस्सा हड़प लिया करते थे।

ग) यह विश्लेषण पीएमजीएसवाई सड़कों के परिणामस्वरूप रोजगार में हुई भारी बढ़ोत्तरी दर्शाता है। वर्ष 2009 के बाद पीएमजीएसवाई सड़कों से जुड़ी बसावटों में वर्ष 2009 और 2017 के बीच रोजगार दर में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि वर्ष 2009 में उन बसावटों की औसत की तुलना में 9.5 प्रतिशत ज्यादा है, जो बसावटें उस समय सड़कों से नहीं जुड़ी थीं। रोजगार में यह वृद्धि विशेषकर गृहणियों में अंशकालिक रोजगार में वृद्धि दर्शाती है, जिन्होंने अंशकालिक रोजगार में 12 प्रतिशत की वृद्धि के अनुसार कार्य करना शुरू किया था।

घ) बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (बीआईटीएस), पिलानी के अध्ययन में अन्य बातों के साथ–साथ यह पाया गया है कि सड़क से रोजगार के नए अवसर मिले हैं, जैसे कि उन नजदीकी शहरी क्षेत्रों में रोजगार, जहां वे रोजाना आ–जा सकते हैं।

ङ) पीएमजीएसवाई सड़कों से ग्रामीण भारत में रोजगार की संरचना में बदलाव की शुरूआत हुई। पीएमजीएसवाई सड़कों के परिणामस्वरूप गैर कृषि क्षेत्र में प्राथमिक रोजगार की दर लगभग 12 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष 2009 में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, सड़कों से न जुड़ी बसावटों में औसतन 36 प्रतिशत कामकाजी लोग गैर–कृषि क्षेत्र में प्राथमिक व्यवसाय में कार्यरत थे। अतः पीएमजीएसवाई सड़कों से गैर कृषि प्राथमिक रोजगार में एक–तिहाई वृद्धि हुई।

च) स्कूली शिक्षा पर पीएमजीएसवाई का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अपनी बसावट को सड़कों से जोड़े जाने के समय माध्यमिक या उच्च विद्यालय में पढ़ रहे औसत बच्चों की स्कूली शिक्षा के वर्षों में 2017 में उन पीएमजीएसवाई सड़कों के परिणामस्वरूप 0.7 वर्षों की वृद्धि हुई, जिनका निर्माण लगभग तीन वर्ष पहले किया गया था (सारणी 5.4)। स्कूली शिक्षा के वर्षों में यह वृद्धि वर्ष 2009 के बाद सड़कों से जोड़ी गई बसावट के लिए औसत की तुलना में माध्यमिक और उच्च स्कूली शिक्षा के वर्षों में लगभग 9 प्रतिशत ज्यादा है।

छ) जिन महिलाओं की बसावटें बारहमासी सड़कों से जुड़ी थीं, उन महिलाओं के प्रसव के लिए चिकित्सीय सुविधाओं के लिए यात्रा करने की संभावना अधिक थी। इन सड़कों के कारण टीकाकरण सविधाएं पाने वाले शिशुओं का अनुपात भी बढ़ा। अन्य अध्ययनों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति से संबंधित व्यवहार और परिणामों पर भी पीएमजीएसवाई का सकारात्मक प्रभाव दर्शाया गया (बेल एंड वैन डायलन 2015 तथा बनर्जी एवं सचदेवा 2015)।

पंचवर्षीय विजन और प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियां

सामाजिक–आर्थिक बदलाव लाने और रफ्तार बढ़ाने के लिए सड़कों से न जुड़ी बसावटों को अच्छी गुणवत्ता वाली बारहमासी सड़कों से जोड़ना, यातायात संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना।

i) पीएमजीएसवाई III

वर्ष 2024–25 तक बाजारों, विद्यालयों और अस्पतालों से गांवों की संपर्कता बढ़ाने के लिए 1,25,000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन करना

ii) नई संपर्कता पीएमजीएसवाई. (250+2011 की जनगणना के अनुसार)

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 की आवादी वाली सभी बसावटों को वर्ष 2024–25 तक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना।

iii) सुदृढ़ रख–रखाव नीति और समर्पित निधियों के लिए राज्यों के साथ सहयोग करना।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 2,06,653.99 करोड़ रुपए की लागत से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 6,00,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। अब तक सभी पीएमजीएसवाई सड़कों में से 66.79 प्रतिशत सड़कें पांच वर्ष से अधिक पुरानी सड़कों की श्रेणी में आ गई हैं तथा उनका रख–रखाव राज्य सरकारों को करना है। तथापि, यह देखा गया है कि बहुत कम राज्य ग्रामीण सड़कों के रख–रखाव में निवेश कर रहे हैं। रख–रखाव के लिए समर्पित निधियों के आवंटन हेतु शासनिक सुधारों तथा आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा इस दिशा में जोर दिया जाता रहा है। पीएमजीएसवाई।।। में रख–रखाव निधियों की शर्त जोड़ी गई हैं।

सारणी 12: वर्ष–वार उपलब्धियां

कार्य	समय-सीमा				
	2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सभी पात्र और व्यवहार बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना।	**100%** उपलब्धि	चरण-।। और पुल कार्यों का समापन	-	-	-
पीएमजीएसवाइई-**II**	❖ **100%** स्वीकृति **75%** समापन	**100%** समापन	-	-	-
पात्र एलडब्ल्यूई बसावटों (100-249 की आबादी वाली श्रेणी)को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना	**90%** समापन	**100%** समापन	-	-	-
वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए संपर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए)	❖ चरण-। का **50%** समापन ❖ चरण-।। की सभी स्वीकृतियां	❖ चरण-। का **100%** समापन ❖ चरण-।। का **50%** समापन	❖ चरण-।। का **80%** समापन	❖ चरण-।। का **100%** समापन	-
पीएमजीएसवाई-**III**	**15** अगस्त, 2019 तक अनुमोदन **11** राज्यों के लिए स्वीकृति	❖ **70%** स्वीकृतियां ❖ **20%** समापन	❖ **100** % स्वीकृतियां ❖ **40%** समापन	**60%** समापन	**80%** समापन

कार्य	समय-सीमा				
पीएमजीएसवाई+ (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250+ आबादी की सभी बसावटों को नए सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए)	योजना का अनुमोदन	❖ कोर नेटवर्क की समीक्षा ❖ स्वीकृतियों की शुरूआत	❖ **50%** स्वीकृतियां ❖ **20%** समापन	❖ **75** % स्वीकृतियां ❖ **40** % समापन	❖ **100** % स्वीकृतियां ❖ **70%** समापन
मनरेगा योजना और अन्य राज्य निधियों के माध्यम से 100-249 की आबादी वाली सभी बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना।	--	योजना का अनुमोदन			

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएएमएवाई–जी)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विहंगावलोकन

आवास को वैश्विक रूप से एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता माना जाता है। ग्रामीण आवास की कमी को कम करना और विशेष रूप से गरीबों के लिए आवास की गुणवत्ता में सुधार करना भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्ष 2022 तक ''सभी के लिए आवास'' हेतु सरकार की प्राथमिकता के संदर्भ में और पूर्ववर्ती आवास योजना की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) में पुनर्गठित किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2016 से लागू हुआ। वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ पक्के घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है। निर्धारित लक्ष्य को चरणों में प्राप्त किया जाना है। पहले चरण के तहत तीन वर्षों में 2016–17 से 2018–19 तक 1.00 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य था और दूसरे चरण में तीन वर्षों में 2019–20 से 2021–22 तक 1.95 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य है।

योजना के तहत मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रु. की और पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता लाभार्थियों को दी जाती है। इसके अलावा, लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन (जी), मनरेगा या किसी अन्य समर्पित वित्त–पोषण स्रोत के तहत शौचालय के निर्माण के लिए सहायता के रूप में 12,000/– रूपए मिलते हैं और तालमेल के माध्यम से मनरेगा योजनान के तहत मैदानी क्षेत्रों में 90 श्रमदिवसों तथा पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 95 श्रमदिवसों की सहायता मिलती है। पीएमएवाई–जी के तहत मकान की न्यूनतम इकाई का आकार 25 वर्ग मीटर है।

लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी 2011 के आंकड़ों के अनुसार आवास की कमी के मानकों के आधार पर ग्राम सभा के माध्यम से की जाती है। तदनुसार, एसईसीसी 2011 के आंकड़ों के अनुसार ऐसे सभी ग्रामीण परिवारों को जो बेघर हैं या कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले दो कमरे या इससे कम कमरे वाले घरों में रहते हैं, स्वतः बहिष्करण मानदंडों के तहत आने वाले परिवारों को छोड़कर, उन्हें ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन के बाद पीएमएवाई–जी के तहत सहायता प्रदान की जाती है।

समाज के गरीब और उपेक्षित वर्गों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से लक्ष्य का 60% अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, जहाँ तक संभव हो, 15% निधि अल्पसंख्यकों के लिए रखी गई है। राज्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य स्तर पर कम से कम 5% लाभार्थी विकलांग व्यक्तियों में से हैं।

पात्र लाभार्थियों को राशि प्रदान करने में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इकाई सहायता आवास सॉफ्ट–पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाती है। इस योजना की निगरानी एंड–टू–एंड ई–गवर्नेंस मॉडल आवास सॉफ्ट और आवास ऐप के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा, मोबाइल ऐप्लिकेशन आवास ऐप का उपयोग करके घर के निर्माण के विभिन्न चरणों की जियोटैग की गई तस्वीरों को कैप्चर करके, इसे आवास सॉफ्ट पर अपलोड करके और इसे किस्तों की रिलीज के साथ जोड़कर मकान के निर्माण की साक्ष्य आधारित निगरानी की जाती है ।

इस योजना के चरण–I के तहत, 1 करोड़ पीएमएवाई–जी मकानों के लक्ष्य की तुलना में 25 जून, 2019 तक 81.35 लाख मकान बना लिए गए हैं। चरण–I के तहत जमीनी स्तर पर और भी मकान बनाए जा चुके हैं,

लेकिन उनकी जियो–टैगिंग और उन्हें एमआईएस पर अपलोड किया जाना बाकी है। पीएमएवाई–जी चरण–I के तहत वास्तविक प्रगति नीचे दी गई है:

ख. हासिल की गई प्रगति

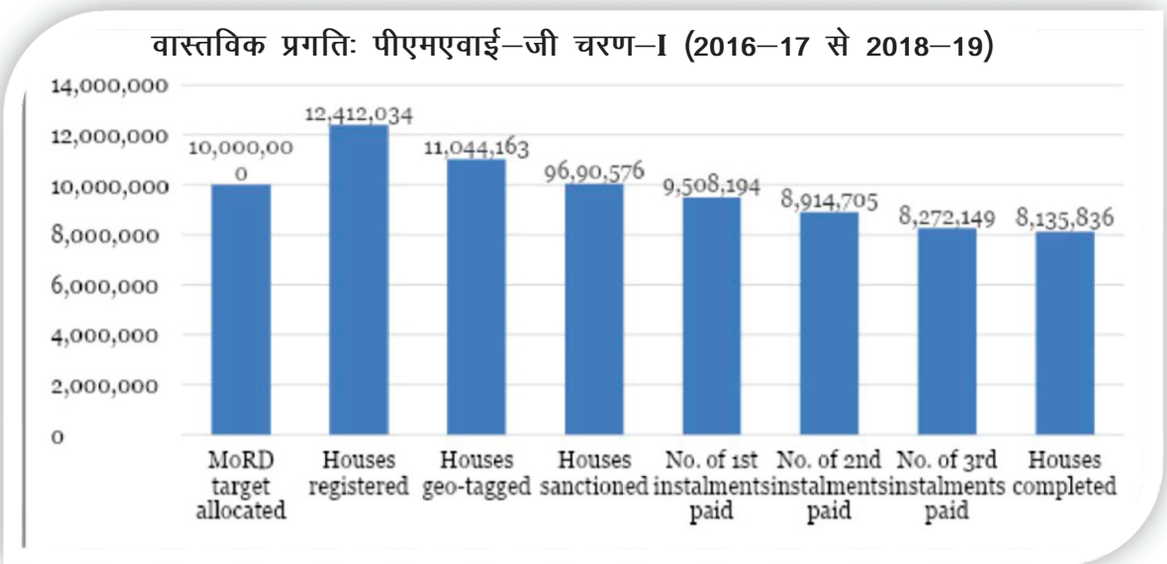

आरेख 8

25 जून 2019 की स्थिति के अनुसार

पीएमएवाई–जी के पहले चरण में पूरे होने वाले मकान वर्ष 2017–18 से लिए गए हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान, 32.12 लाख मकान बनाए गए जो पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना आईएवाई के मकान थे। पीएमएवाई–जी मकान बनाने की प्रगति निम्नानुसार है:

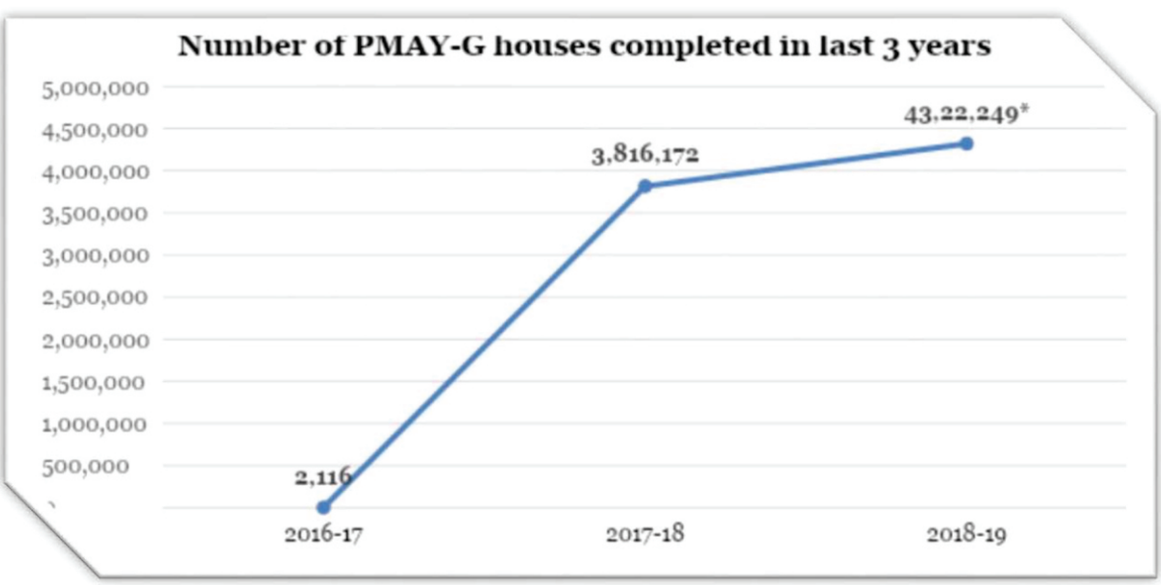

*25 जून 2019 के अनुसार

इसके अलावा, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऐसे मामलों में, जहाँ लाभार्थी वृद्ध है या अशक्त है या विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति है, और इसलिए अपने मकान निर्माण स्वयं करवाने की स्थिति में नहीं है, ऐसे मकानों को ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लिया जाना चाहिए। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण की प्रगति, 15 मई, 2019 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार है:

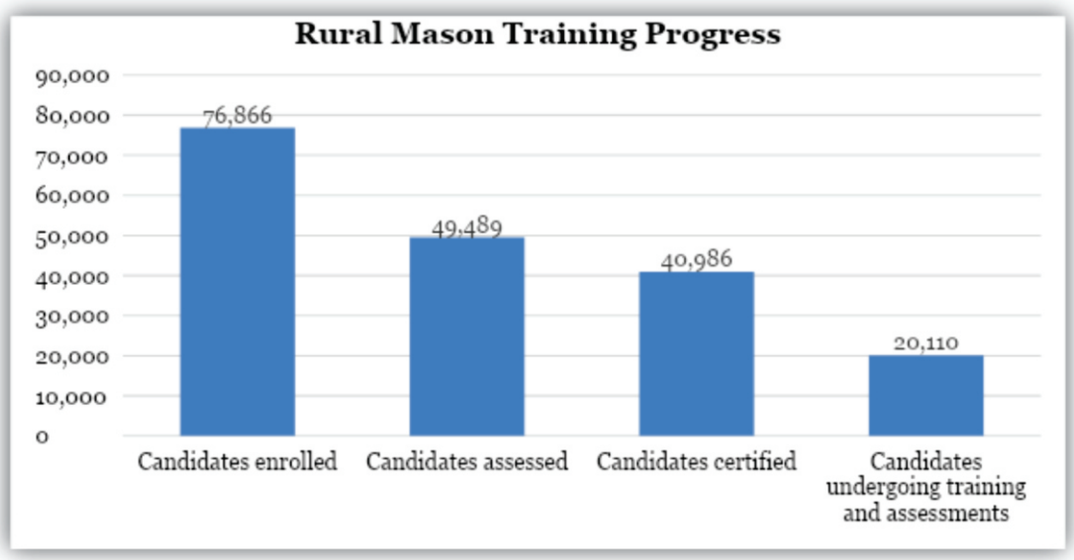

आरेख 10

आंकड़े 15 मई, 2019 के अनुसार

पीएमएवाई–जी पर किए गए अध्ययनों से पता चला कि इस योजना से गरीब और वंचित क्षेत्र तथा परिवार लाभान्वित हुए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) द्वारा ''पीएमएवाई–जी के गवर्नेंस मापदंडों के मूल्यांकन'' पर किए गए अध्ययन के अनुसार, यह बताया गया है कि पीएमएवाई–जी के तहत निर्मित पक्के मकान प्रतिकूल मौसमों का सामना कर सकते हैं। पीएमएवाई–जी मकान बनने के बाद खुले में शौच करने में काफी कमी आई, जिससे पीएमएवाई–जी मकान में रहने वाले परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। पीएमएवाई–जी अवधि के बाद स्कूल में नामांकन और प्रदर्शन दोनों मामले में पीएमएवाई–जी मकान में रहने वाले परिवार के बच्चों की स्कूली शिक्षा में सुधार हुआ है। गरिमा और सुरक्षा में सुधार के मामले में इस योजना के अप्रत्यक्ष लाभ हुए जिससे सामाजिक समावेशन के मामले में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। पीएमएवाई–जी के बाद भोजन और गैर–खाद्य वस्तुओं दोनों में औसत व्यय में पीएमएवाई–जी से पहले की तुलना में और गैर– पीएमएवाई–जी परिवारों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो जीवन स्तर में सुधार को दर्शाता है। पीएमएवाई–जी परिवारों में एलपीजी गैस के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो गरीबों के बेहतर स्वास्थ्य को दर्शाती है। पीएमएवाई–जी ग्रामीण परिवारों में परिवर्तनकारी (सामाजिक और आर्थिक दोनों) बदलाव ला रहा है।

एनआईआरडी और पीआर द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, पीएमएवाई–जी मकान से मकान के रखरखाव का बोझ कम हुआ है, उपलब्ध कराई गई भौतिक सुविधाओं और लोगों की भलाई दोनों मामले में लाभार्थियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और मकानों में स्थान की कमी दूर हुई है तथा मकान में आजीविका कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त जगह मिली है।

ग. अंतिम लाभार्थी तक पहुँचने के लिए योजना के कार्यान्वयन को कारगर बनाने हेतु शासन–व्यवस्था में किए गए सुधारः

क) एसईसीसी आंकड़ा

मंत्रालय ने एसईसीसी 2011 के आंकड़ों के अनुसार आवास वंचन मापदंडों के आधार पर पीएमएवाई–जी के तहत लाभार्थियों की पहचान और चयन के लिए व्यापक दिशा–निर्देश जारी किए हैं। पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए वास्तव में सत्यापन योग्य मानदंडों के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ी है और चयन में विवेकाधिकार की गुंजाइश कम हुई है।

ख) निधि संवितरण के लिए समर्पित नोडल खाता

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निर्धारित वाणिज्यिक बैंक में राज्य नोडल खाता (एसएनए) नामक समर्पित एक ही बैंक खाता रखने का निदेश दिया गया है। योजना से संबंधित निधि एसएनए में रखी जाती है और केवल निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही संचालित किया जाता है। इससे लाभार्थियों को आसानी से निधि मिल जाती है जिससे निर्माण कार्य समय पर पूरा हो जाता है।

ग) डीबीटी का प्रयोग

पीएमएवाई–जी के तहत, लाभार्थियों को सहायता एफटीओ के माध्यम से आवास सॉफ्ट–पीएफएमएस प्लेटफार्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभार्थी के खाते में सीधे अंतरित की जाती है। इससे न केवल लाभार्थियों को सहायता अंतरित करने में लगने वाले समय में कमी आई है , बल्कि लीकेज भी दूर हुए हैं।

घ) लेनदेन आधारित एमआईएस का प्रयोग

पीएमएवाई–जी में, आवास सॉफ्ट और आवास ऐप का पूरी तरह प्रयोग करके ई–गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से कार्यक्रम का कार्यान्वयन और निगरानी की जाती है। लाभार्थियों की पहचान से लेकर आवास के पूरा होने तक योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी कार्यकलाप आवास सॉफ्ट का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं। लाभार्थियों संबंधित सभी आंकड़े, निर्माण की प्रगति और निधि की रिलीज, जिसमें फोटोग्राफ और निरीक्षण रिपोर्ट शामिल हैं, आवास सॉफ्ट पर उपलब्ध हैं और ये योजना की वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति दोनों का आधार बनाते हैं।

मोबाइल ऐप्लिकेशन–'आवास ऐप' मकान के निर्माण के पूर्व–निर्धारित अलग–अलग चरणों की निगरानी करने में मदद करता है। इस ऐप्लिकेशन से निर्माण के पूर्व–निर्धारित विभिन्न चरणों में भू–टैग किए गए, समय और तारीख की मुहर वाली तस्वीरों को कैप्चर और अपलोड करने में मदद मिलती है, जिससे आवास निर्माण के सत्यापन और साक्ष्य आधारित निगरानी में कम समय लगता है।

उपर्युक्त प्रयासों से न केवल पिछले पाँच वर्षों में मकानों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि एक मकान को बनाने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या भी घट गई है, जो 2015–16 में 314 दिनों से 2017–18 में 114 दिन हो गई है।

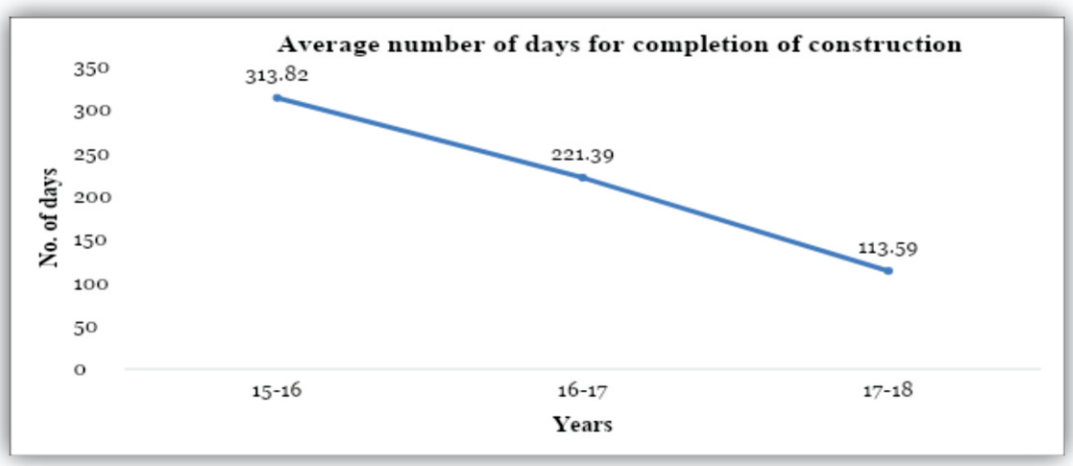

आरेख 11

विजन

''सभी के लिए आवास'' के लक्ष्य को 2022 तक हासिल किया जाना है

पंचवर्षीय विजन की समय–सीमा और लक्ष्य (तालिका 13)

लक्ष्य	हासिल किए जाने वाले परिणाम	समय-सीमा
31 मार्च 2022 तक 1.95 करोड़ पीएमएवाई-जी मकानों का निर्माण	60 लाख पीएमएवाई-जी मकान **	वित्त वर्ष 2019-20
	70 लाख पीएमएवाई-जी मकान **	वित्त वर्ष 2020-21
	65 लाख पीएमएवाई-जी मकान **	वित्त वर्ष 2021-22
प्रशिक्षित और प्रमाणित ग्रामीण राजमिस्त्री का एक पूल बनाना जो न केवल गुणवत्ता वाले मकानों के निर्माण में योगदान देंगे, बल्कि उन्हें उच्चतर मजदूरी प्राप्त करने में भी मदद करेगा	1,50,000 राजमिस्त्री का प्रशिक्षण और प्रमाणन	वित्त वर्ष 2021-22
अन्य योजनाओं के साथ तालमेल के माध्यम से पीएमएवाई-जी परिवारों के लिए बिजली, एलपीजी कनेक्शन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान।	1.95 करोड़ पीएमएवाई-जी लाभार्थियों में से पात्र लाभार्थियों को अन्य योजनाओं के साथ तालमेल के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी हैं।	वित्त वर्ष 2021-22

**चूंकि एक लाभार्थी को मकान बनाने के लिए पीएमएवाई–जी मकान की मंजूरी की तारीख से 12 महीने का समय दिया गया है। इसलिए, मकान बनाने का काम अगले वित्त वर्ष में भी पूरा हो सकता है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)

विहंगावलोकन

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में उन क्लस्टरों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिनमें जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ गैर–कृषि रोजगार में वृद्धि देखी गई है, जिनमें गैर–कृषि आर्थिक कार्यकलाप और विकास की संभावना है। उपर्युक्त मानदंडों के साथ–साथ अन्य मानदंडों जैसे किसी विषय पर केंद्रित आर्थिक कार्यकलाप/कार्यकलाप की संभावना और परिवहन गलियारे की मौजूदगी का प्रयोग करके 300 क्लस्टरों में से, 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 295 क्लस्टरों की विकास के लिए पहचान की गई है।

एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना (आईसीएपी) बनाई गई है और इन 295 क्लस्टरों में से 279 के लिए अनुमोदित की गई है जिनने कृषि–प्रसंस्करण, पर्यटन, एमएसएमई और इससे जुड़े कौशल विकास आदि जैसे विभिन्न विषयगत आर्थिक विकास कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित किया है और साथ ही बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, बिजली इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया है।

आईसीएपी के लिए तालमेल और अनिवार्य पूरक वित्त–पोषण (सीजीएफ) दोनों के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है और इन क्लस्टरों में कुल 26,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश किया जा रहा है, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, मिशन के हिस्से के रूप में, सृजित परिसंपत्तियों का स्थायी ओएंडएम सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे स्थानीय सरकार या लाभार्थी अंशदान के माध्यम से राज्यों द्वारा किया जा रहा है।

इस मिशन में न्यूनतम सेवा गुणवत्ता बेंचमार्क और परिणाम सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है (जैसा कि कार्यान्वयन रूपरेखा में वांछित घटकों में से प्रत्येक के लिए कहा गया है)। इसमें न्यूनतम गुणवत्ता सेवा वितरण सुनिश्चित करके जीवन–स्तर में समग्र सुधार के साथ–साथ क्लस्टर में रहने वाले नागरिकों के लिए आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि करने में सहयोग करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इसके अलावा, मिशन में आयोजना के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण (सेक्टोरल के साथ–साथ भू–स्थानिक आयोजना) का प्रस्ताव करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि संपूर्ण क्लस्टर को बुनियादी ढांचा, सेवाएं मिलें और अवसर तक उनकी पहुंच बन सके।

इस मिशन में शर्तमुक्त निधि (सीजीएफ) प्रदान करके विकेंद्रीकृत निर्णय लेने के सिद्धांत का पालन किया जाता है, जिसके उपयोग के निर्णय स्थानीय सरकार और इसकी संबंधित ग्राम सभा द्वारा लिए जाने होते हैं। चूंकि क्षेत्र की कमियों को स्थानीय लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए जिन परिसंपत्तियों और सेवाओं की सर्वाधिक कमी है (जैसे खराब स्थिति वाले स्कूल का उन्नयन, स्वास्थ्य केंद्र में प्रमुख सुविधाओं का प्रावधान, सिंचाई और कृषि–उपकरण प्रदान करना) उसे इस पूरक वित्त–पोषण के माध्यम से पूरा किया जाता है। इससे प्रासंगिक मुद्दों का उन्मूलन होता है जिससे गरीब लाभान्वित होते हैं और क्षेत्र का समग्र रूप से उत्थान भी होता है।

मिशन में कहा गया है कि क्लस्टर में आर्थिक कार्यकलापों के विकास के लिए 50% से अधिक निवेश वांछित है। यह इस बात को भी बढ़ावा देता है कि इन आर्थिक कार्यकलापों को महिला स्व–सहायता समूहों, किसान उत्पादक समूहों और संबद्ध संस्थानों के साथ तालमेल से विकसित किया जाए। इससे आर्थिक विकास अधिक न्यायसंगत होता है और समाज के सबसे गरीब वर्गों को लाभ होता है।

शासन–व्यवस्था में सुधार

मिशन के कार्यान्वयन की रूपरेखा यह सुनिश्चित करती है कि सभी आईसीएपी को ग्राम सभाओं के साथ उचित विचार–विमर्श करके और उनकी स्वीकृति से सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से तैयार किया जाता है।

स्थानीय सरकारें (यानी ग्राम पंचायतें, ग्राम परिषदें) बुनियाद स्तर पर मिशन के कार्यान्वयन करती हैं और परिसंपत्तियों के सृजित होने पर अधिकांश परिसंपत्तियों को भी उनकी देखभाल और रखरखाव के लिए स्थानीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस सुव्यवस्था से स्थानीय सरकार मजबूत होती है जिससे अंतिम लाभार्थी को बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलती हैं।

उपयुक्त प्रवर्तन प्रणाली के साथ मॉडल भूमि उपयोग, विकास नियंत्रण और सेवा स्तर के बेंचमार्क के लिए दिशा–निर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्लस्टरों में सुनियोजित विकास के लिए परिचालित कर दिए गए हैं।

सरकार रूर्बन सॉफ्ट पोर्टल के साथ पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) एकीकरण भी लागू कर रही है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि विक्रेताओं द्वारा अपने लक्ष्यों को पूरा किए जाने पर स्टेट पूल फंड से धनराशि सीधे उन्हें अंतरित की जाती है। इससे मिशन की गति में सुधार होगी जिससे नागरिक तेजी से सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे।

पंचवर्षीय विजन की समय–सीमा और उपलब्धियां

सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल और अनिवार्य पूरक निधियों के प्रावधान के माध्यम से आर्थिक कार्यकलाप के केंद्र के रूप में उभरने वाले ग्रोथ क्लस्टरों को विकसित करके ग्राम विकास के एक नए प्रतिमान की परिकल्पना की जा रही है।

वर्तमान में, केवल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम ही अधिकांश राज्यों में अधिसूचित योजना क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए, सुनियोजित विकास के माध्यम से स्थायी आर्थिक क्रियाकलाप को मजबूती प्रदान करने हेतु इन बढ़ते समूहों में सेवाओं के मानदंड–आधारित प्रावधान और भूमि उपयोग के विनियमन को यह एक मजबूत मामला बनाता है।

1. **क्लस्टर विकास की आवश्यकताः** चूंकि एसपीएमआरएम को 2020 तक पूरा किया जाना है, निम्नलिखित बिंदु सुनियोजित क्लस्टर विकास हेतु एक ऐसे बड़े कार्यक्रम के लिए मजबूत मामला बनाती हैं जिसमें सामाजिक पूंजी, आर्थिक कार्यकलाप, भौतिक और मानव अवसंरचना पर जोर दिया जाता होः

   - **संभावित क्लस्टर, 250 मिलियन जनसंख्याः** सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने ग्रामीण क्षेत्रों में 6,000 से अधिक ऐसे संभावित बढ़ते क्लस्टरों की पहचान की है जो 70% से अधिक गैर–कृषि आर्थिक कार्यकलाप के साथ–साथ बढ़ती जनसंख्या घनत्व का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन केंद्रों के क्लस्टर्स और उनके पड़ोसी गांव देश भर में स्थित हैं और इनकी आबादी 250 मिलियन से अधिक हो सकती है।

   - **ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित विकास को अगले स्तर तक ले जाने तथा और अधिक आर्थिक केंद्रों तक कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से देश भर में और 1000 रुर्बन क्लस्टर्स को जोड़ने का प्रस्ताव है।**

- **आर्थिक विकास लेकिन बुनियादी सुविधाओं/सेवाओं की कमीः** अनुसंधान बताते हैं कि हालांकि ये क्लस्टरों में आर्थिक विकास हो रहे हैं, फिर भी संबंधित भूमि के उपयोग में तेजी परिवर्तन, निर्मित क्षेत्र में वृद्धि अनियोजित तरीके से हो रही है और उनमें उस अनुपात में बुनियादी ढांचे और सेवा के प्रावधान नहीं हैं, जिससे जीवन–स्तर खराब हो रहा है और पर्यावरण में गिरावट आ रही है (सीपीआर, 2018) (ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, 2019)।

- **उद्यम विकास में सहयोग के लिए क्लस्टरः** क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए क्लस्टरिंग बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर एमएसएमई के विकास के पहले चरण में (वर्किंग पेपर 18–018, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल)।

- **नियोजित विकास के लिए मामलाः** उपर्युक्त बिंदु सुनियोजित विकास और सेवाओं के मानदंड–आधारित प्रावधान के लिए एक मजबूत मामला बनाती है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), नई दिल्ली और सीईपीटी, अहमदाबाद ने इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए व्यापक मानक और दिशा–निर्देश तैयार किए हैं जिन्हें रूर्बन क्लस्टरों में स्थानिक आयोजना के मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा कर दिया गया है। उसे ही रुर्बन समूहों के अगले सेट में दोहराया जा सकता है।

2. भारत @75 के लिए 75 माइलस्टोन्स की तर्ज पर क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए विजनः देश में क्लस्टर विकास के लिए विजन का लक्ष्य 1000 रुर्बन क्लस्टर का निर्माण करना है। ये क्लस्टर होंगेः

क. स्व–सहायता समूहों, सफल सांसद आदर्श ग्राम योजना की ग्राम पंचायतों, और अन्य विकास क्लस्टरों के नैनो उद्यमों को आर्थिक कार्यकलाप और सुनियोजित विकास के नए स्तर पर ले जाना।

ख. बुनियादी ढांचे और आर्थिक कार्यकलाप के लिए समन्वित तालमेल के माध्यम से कम से कम ऐसे 1000 समूहों का निर्माण करना।

ग. क्लस्टर क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार अनिवार्य पूरक वित्तपोषण प्रदान करना।

घ. पर्यटन, सूक्ष्म उद्यमों, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, कृषि–प्रसंस्करण, शिक्षा, कौशल, विनिर्माण, वेयरहाउस इत्यादि के आस–पास क्लस्टर विकसित करना।

3. कुछ ऐसी विशेषताएं जिनकी परिकल्पना रूर्बन कार्यक्रम में क्लस्टर विकास के विजन के रूप में की गई हैः

- आईसीएपी तैयार करते समय **भू–स्थानिक आयोजना और आर्थिक विकास आयोजना पर विशेष ध्यान देना।** प्रत्येक क्लस्टर में एक भू–स्थानिक एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना होगी (जिसमें आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता हो)। इसके अलावा, क्लस्टर क्षेत्र के भीतर संबंधित पंचायतों की वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को भी आईसीएपी के साथ एकीकृत किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र एनआईआरडी एंड पीआर के विभिन्न सक्षम केंद्रों और क्लस्टर विकास में विशेषज्ञता प्राप्त अन्य तकनीकी एजेंसियों से तकनीकी मार्गदर्शन और हैंडहोल्डिंग प्राप्त कर सकते हैं। देश भर में अनेक क्लस्टर विकास कार्यक्रमों के तहत सामान्य क्लस्टर हैं। रुर्बन का लक्ष्य **एनआरएलएम,** राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक

परिवर्तन परियोजना **(एनआरईटीपी), एसवीईपी, डीडीयू–जीकेवाई** के साथ–साथ क्लस्टर विकास और **अन्य मंत्रालयों** द्वारा की जा रही आर्थिक विकास पहलों के साथ सह–स्थान और तालमेल करना होगा।

- **भारत @ 75 के** तहत **ईज ऑफ लिविंग** एक व्यापक विजन है। रुर्बन क्लस्टर में विभिन्न संकेतकों में ईज ऑफ लिविंग में व्यापक सुधार लाने के लिए डिवीजन ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को **'रूर्बन क्लस्टरों के लिए उपयुक्त प्रवर्तन तंत्र के साथ मॉडल भूमि उपयोग, विकास नियंत्रण और सेवा स्तर बेंचमार्क के दिशानिर्देश'** के माध्यम से **महत्वपूर्ण अवसंरचना तथा सभी घटकों में** परिणामों और गुणवत्ता मानकों पर ध्यान देने की सिफारिश की है। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज और पानी की निकासी, पाइप के माध्यम से जलापूर्ति, क्लस्टर के भीतर और बाहर आवागमन, पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन जैसे क्षेत्रों के लिए गुणवत्ता मानक शामिल हैं।

- क्लस्टरों के लिए एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना (आईसीएपी) क्लस्टर के भीतर आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के **जीपीडीपी** के साथ एकीकृत होगी। इसके अलावा, मिशन में पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से पंचायती राज संस्था के सदस्यों के क्षमता निर्माण के माध्यम से क्लस्टर शासन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- क्लस्टर की पहचान के लिए बहु–आयामी दृष्टिकोण में आर्थिक कार्यकलाप, जनसंख्या घनत्व और **मिशन अंत्योदय स्कोर** जैसे मानदंड शामिल हो सकते हैं। आईसीएपी तैयार करते समय राज्य, मिशन अंत्योदय के विश्लेषण/कमी के विश्लेषण/आधारभूत आंकड़े के विश्लेषण में पाई गई कमियों के लिए सभी मंत्रालयों के साथ अनिवार्य तालमेल करेंगे। आईसीएपी में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं में एक **जीवन चक्र दृष्टिकोण** (न सिर्फ बुनियादी ढांचे/सेवा विकास चरण बल्कि ओएंडएम चरण पर विशेष ध्यान के साथ जीवन चक्र परिणाम में निरंतर कमी) का पालन करने की आवश्यकता है। प्रमुख परिसंपत्तियों और सेवाओं के **स्थायी ओएंडएम** के लिए एफएफसी और अनिवार्य पूरक वित्तपोषण के माध्यम से पंचायती राज संस्था को **प्रोत्साहित** करने जैसी पहल की जाएंगी।

तालिका 14: निम्नलिखित तालिका में 5 वर्ष की **अवधि के दौरान** स्पष्ट रूप से बताए गए **लक्ष्यों / परिणामों के** साथ 5 वर्षीय विजन को रेखांकित किया गया है:

समय	वर्ष 1 (2019-20) लक्ष्य	वर्ष 2 (2020-21) लक्ष्य	वर्ष 3 (2021-22) लक्ष्य	वर्ष 4 (2022-23) लक्ष्य	वर्ष 5 (2023-24) परिणाम
लक्ष्य/ परिणाम	मौजूदा 295 क्लस्टरों के विकास में तेजी लाना। आईसीएपी में परियोजनाओं को पूरा करने के अलावा, भू-स्थानिक आयोजना पर ध्यान केंद्रित करना, क्लस्टर की स्थानीय शासन को मजबूत करना और परिसंपत्तियों का स्थायी ओएंडएम	क्लस्टर विकास कार्यक्रम बनान जिसमें 1000 नए क्लस्टर शामिल हैं (4 वर्षों में विकसित किया जाना है) और इसके अलावा मौजूदा 295 क्लस्टरों को भी शामिल करना **(प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है)** **एसपीएमआरएम -2 के चरण -1 में** 1000 नए क्लस्टरों का चयन करने और **300 नए क्लस्टर शुरू करने के लिए तथा** उनके' **जियो-स्थानिक आईसीएपीएस' तैयार करने और काम की शुरूआत करने के लिए** राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं एसपीएमआरएम -1 के शेष क्लस्टरों के विकास को पूरा करना।	स्वीकृत आईसीएपी के अनुसार एसपीएमआरएम -2 **के चरण- I के 300 क्लस्टरों में 50% काम पूरा करना** **एसपीएमआरएम-2 के चरण- II में 300 नए क्लस्टर शुरू करना और उनकी "भू-स्थानिक आईसीएपी" तैयार करना।** निगरानी में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके भू-स्थानिक रूप से एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से प्रगति की निगरानी संबंधित स्थानीय शासन को 295 एसपीएमआरएम -1 क्लस्टर्स सफलतापूर्वक सौंपना	स्वीकृत आईसीएपी के अनुसार एसपीएमआरएम - 2 के **300 चरण- I क्लस्टरों में 100% और 300 चरण- II क्लस्टरों में 50% कार्यों को पूरा करना** एसपीएमआरएम- **2 के चरण- III में 400 नए क्लस्टर शुरू करना और उनके "भू-स्थानिक आईसीएपी" तैयार करना।** निगरानी में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके भू-स्थानिक रूप से एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से प्रगति की निगरानी	स्वीकृत आईसीएपी के अनुसार एसपीएमआरएम -2 के **चरण- II के तहत 100% कार्यों और** एसपीएमआरएम - **2 के चरण- III के क्लस्टरों में 50% कार्य पूरा करना** पूरे देश में **895 क्लस्टर** विकासित किए गए। शेष **400 क्लस्टरों** (चरण- III) को वित्त वर्ष 2024-25 तक विकसित किया जाना है। **स्थायी ओएंडएम मॉडल** वाले सभी संकेतकों में 'ईज ऑफ लिविंग' सेवा बेंचमार्क की उपलब्धि पारिवारों की **आय** में वृद्धि और क्लस्टर में **रोजगार** में वृद्धि क्लस्टरों के आसपास के गांवों में स्पिलओवर का प्रभाव निकटवर्ती शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ एकीकरण

सासंद आदर्श ग्राम योजना

(एसएजीवाई –II)

1. विहंगावलोकन

- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) विभाग की एक अनूठी योजना है जिसमें पंचायत स्तर पर विकास के लिए पहली बार संसद सदस्यों के नेतृत्व, क्षमता, प्रतिबद्धता और ऊर्जा का सीधे लाभ उठाया जा रहा है। एसएजीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, माननीय संसद सदस्य अपने या अपने जीवनसाथी के गाँव अलावा आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए एक उपयुक्त ग्राम पंचायत की पहचान करने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर भी, **कई सांसदों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर उन ग्राम पंचायतों को गोद लिया है जो विकास में पिछड़ रही थीं।**

- योजना के दिशानिर्देश संख्या 10 में यह आग्रह किया गया है कि **प्रत्येक गरीब ग्राम पंचायत को गरीबी से बाहर निकलने में सक्षम बनाने पर विशेष ध्यान देते हुए पहचान की गई प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम विकास योजना तैयार की जाएगी।** तदनुसार, एसएजीवाई के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतें माननीय संसद सदस्यों के मार्गदर्शन में भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार करती हैं। वीडीपी में गाँव की समग्र प्रगति करने के लिए प्राथमिकता वाली समयबद्ध गतिविधियाँ शामिल हैं। माननीय संसद सदस्यों ने 25 जून 2019 तक एसएजीवाई के तहत 1,484 ग्राम पंचायतों को गोद लिया है। इनमें से 1,295 ग्राम पंचायतों ने अपने समग्र विकास की 68,289 परियोजनाओं के साथ ग्राम विकास योजना (वीडीपी) तैयार कर ली है। एसएजीवाई वेबसाइट (saanjhi.gov.in) पर 25 जून 2019 तक अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर, 37,954 (56%) परियोजनाओं का कार्यान्वयन पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 7,685 (11%) परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयन में हैं।

2. शासन–व्यवस्था में सुधार

अंत्योदय का पालन–कल्याण करने के लिए गाँव के ''सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति'' को समर्थ बनाना, शासनिक सुधारों की प्रमुख चिंताओं में इक्विटी, पहुंच, जवाबदेही और सिविल सोसाइटी की भागीदारी शामिल होगी। योजना में उल्लिखित कुछ प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं:

- अपने लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में जन–भागीदारी को अपनाना– गाँव के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना, विशेषकर शासन से संबंधित निर्णय लेने में। एसएजीवाई ग्राम पंचायतों ने महिला और बाल विकास और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा आदि जैसे प्राथिकता वाले मुद्दों के संबंध में विचार–विमर्श करने के लिए महिला सभा और बाल सभा आयोजित करने पर जोर दिया। बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बच्चों की विशेष ग्राम सभा (बाल सभा) आयोजित करना।

- जिला कलेक्टर (जो जिला नोडल अधिकारी भी है) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पर्याप्त वरिष्ठता वाले एक सक्षम प्रभारी अधिकारी को नियुक्त करता है, जो स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन का समन्वय करता है और कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और जवाबदेह होता है।

- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति में वीडीपी का अनुमोदन करने, विशिष्ट लक्ष्यों के साथ विभिन्न घटकों को चरणबद्ध करने के लिए सांसद शामिल किए जाते हैं।
- जिला कलेक्टर इस योजना में एनआरएलएम की जिला मिशन प्रबंधन इकाइयों के पेशेवरों, चाहे वे कहीं भी मौजूद हैं, को भी सक्रिय रूप से शामिल करेंगे।
- निजी, स्वैच्छिक और सहकारी क्षेत्र की ताकत का लाभ उठाना।
- राष्ट्रीय स्तर पर, सभी पहलुओं और घटकों को शामिल करते हुए योजना के लिए एक अलग वेब–आधारित निगरानी प्रणाली बनाई गई है। सिस्टम में इंटरफेस है जो सांसदों और अन्य प्रमुख हितधारकों को लॉग–इन करने और सुझाव/टिप्पणियां देने और यहां तक कि पूछताछ करने या शिकायतें करने में सक्षम बनाता है जिनका कार्यान्वयन अधिकारियों द्वारा तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए।

3. पंचवर्षीय विजन

- **विजनः** एसएजीवाई–II के तहत 2019–24 के दौरान देश भर में माननीय संसद सदस्यों के नेतृत्व में 1,000 मॉडल ग्राम पंचायतें विकासित करना।
- **परिणामः**
  1. धनराशि से परे ग्राम विकास का एक नया प्रतिमान लाना।
  2. महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के अनुरूप जीवन–स्तर में सुधार के साथ 1000 मॉडल गांव क्लस्टर बनाना।
  3. अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित करने के लिए गांव स्थानीय विकास के विद्यालय बनेंगे।

तालिका 15 – प्रमुख उपलब्धियांः

वर्ष	उपलब्धियां
2019–20	सांसदों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम, प्रभारी अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए विकास के क्लस्टर दृष्टिकोण के साथ प्रक्रिया तैयार करने प्रशिक्षण सामग्री और प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए प्रशिक्षकों की राज्य टीम के साथ कार्यशाला।
	विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षकों की राज्य टीम (एसटीओटी) के साथ कार्यशाला से प्राप्त जानकारी का उपयोग करके एनआईसी टीम द्वारा कार्यक्रम एमआईएस और निगरानी प्रणाली में सुधार करना।
	नवनिर्वाचित सांसदों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम
	माननीय सांसदों द्वारा 2019–24 के दौरान आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने के लिए चरण–1 के तहत 200 ग्राम पंचायतों की पहचान
	चरण–I की ग्राम पंचायत के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति

वर्ष	उपलब्धियां
	एसएजीवाई ग्राम पंचायत के प्रभारी अधिकारियों के क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण का पहला दौर
	प्रारंभिक कार्यकलापों, स्थिति विश्लेषण, व्यापक नियोजन अभ्यास – मौजूदा संसाधनों का मानचित्रण – ग्राम विकास योजना का मसौदा तैयार करने, स्वीकृतियां, प्रतिबंध, कार्यकलापों का कार्यान्वयन शुरू करने के लिए डोमेन विशेषज्ञों का लाभ उठाना।
2020–21	चरण–I की ग्राम पंचायतों के वीडीपी के तहत प्रस्तावित 30% कार्यों को पूरा करना।
	संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से चरण–I की ग्राम पंचायत में चयनित केंद्रीय योजनाओं को पूरा करना
	चरण–II के लिए 300 से अधिक ग्राम पंचायत की पहचान योजना के तहत कुल 500 ग्राम पंचायतें होंगी
	चरण–II की ग्राम पंचायत में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति
	एसएजीवाई ग्राम पंचायत के प्रभारी अधिकारियों के क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण का दूसरा दौर
	चरण–II की एसएजीवाई ग्राम पंचायत के वीडीपी की आयोजना और तैयारी
	चरण–I की एसएजीवाई ग्राम पंचायतों की मध्यावधि समीक्षा
2021–22	चरण–I की ग्राम पंचायतों के वीडीपी में प्रस्तावित 70% कार्यों को पूरा करना।
	चरण–II की ग्राम पंचायतों के वीडीपी में प्रस्तावित 30% कार्यों को पूरा करना।
	संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से चरण–II की ग्राम पंचायत में चयनित केंद्रीय योजनाओं को पूरा करना
	चरण–III के लिए 300 से अधिक ग्राम पंचायत की पहचान योजना के तहत कुल 800 ग्राम पंचायतें होंगी
	चरण–III की ग्राम पंचायतों के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति
	एसएजीवाई ग्राम पंचायत के प्रभारी अधिकारियों के क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण का तीसरा दौर
	चरण–III एसएजीवाई ग्राम पंचायत के वीडीपी की आयोजना और तैयारी
	चरण–II एसएजीवाई ग्राम पंचायत की मध्यावधि समीक्षा

वर्ष	उपलब्धियां
2022–23	चरण–II की ग्राम पंचायतों के वीडीपी में प्रस्तावित 70% कार्यों को पूरा करना।
	चरण–III की ग्राम पंचायतों के वीडीपी में प्रस्तावित 30% कार्यों को पूरा करना।
	संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से चरण–III की ग्राम पंचायतों में चयनित केंद्रीय योजनाओं को पूरा करना
	चरण–IV के लिए 300 से अधिक ग्राम पंचायतों की पहचान योजना के तहत कुल 1100 ग्राम पंचायत होनी चाहिए
	चरण–IV की ग्राम पंचायत में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति
	एसएजीवाई ग्राम पंचायत के प्रभारी अधिकारियों के क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण का चौथा दौर
	चरण–IV एसएजीवाई की ग्राम पंचायत के वीडीपी की आयोजना और तैयारी
	चरण–III एसएजीवाई ग्राम पंचायत की मध्यावधि समीक्षा
2023–24	चरण–III की ग्राम पंचायतों की वीडीपी में प्रस्तावित 70% कार्यों को पूरा करना।
	चरण–IV की ग्राम पंचायत के वीडीपी में प्रस्तावित 30% कार्यों को पूरा करना।
	चरण–IV की ग्राम पंचायत में चयनित केंद्रीय योजनाओं को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से पूरा करना
	चरण–V के लिए 300 से अधिक ग्राम पंचायतों की पहचान योजना के तहत कुल 1400 ग्राम पंचायतें होंगी
	चरण–V की ग्राम पंचायतों के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति
	एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के प्रभारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण का पांचवां दौर
	चरण–V एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के वीडीपी की आयोजना और तैयारी
	चरण–IV एसएजीवाई ग्राम पंचायतों की मध्यावधि समीक्षा

अध्याय VI: कार्यान्वयन के लिए तालमेल की रूपरेखा

73वें संविधान संशोधन के बाद, तीन स्तरीय पंचायत प्रणाली जमीनी स्तर पर विकास के प्रयासों की तेजी से अगुवाई कर रही है। तथापि, अभावों से निपटने के लिए नियोजन, प्रशासन और संसाधन आबंटन की विविध चरणों के कारण प्रयास अक्सर समय और स्थान में बंट जाते हैं, जिससे अपेक्षा से कम परिणाम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार, इसकी मूल इकाई के रूप में ग्राम पंचायत के साथ तालमेलपूर्ण आयोजना से अभावों को दूर करने के लिए विभिन्न सरकारों, विभागों तथा योजनाओं के वित्तीय और मानव–संसाधनों में तालमेल करके बहु–आयामी गरीबी को दूर करने का समाधान मिलता है।

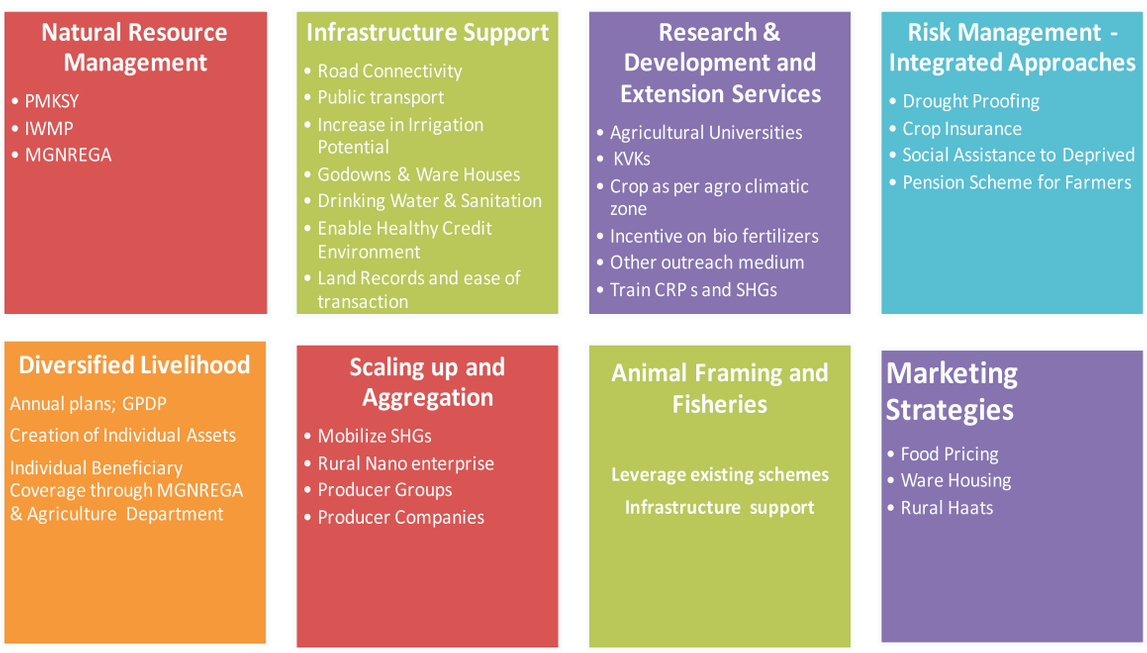

वित्त आयोग दक्षता प्राप्त करने में विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं में राजकोषीय समेकन के महत्व को रेखांकित करता है। मापने योग्य संकेतकों के साथ ग्राम पंचायत–स्तरीय ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है जिसमें ग्राम पंचायत के लिए हर प्रकार से संपर्क करने, तालमेल की संभावनाएं, संसाधन जुटाने की संभावना और व्यवहार्य कार्रवाई हो। वर्तमान में, ग्राम पंचायत विकास योजना तालमेल के उद्देश्य को पूरा करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है।

डीएवाई एनआरएलएम के तहत गठित स्व–सहायता समूह (एसएचजी) एक सहायक के रूप में कार्य करता है क्योंकि वह अपनी सामाजिक पूंजी और सामाजिक गतिशीलता की सिद्ध क्षमता के कारण इस दृष्टिकोण का केंद्रबिंदु है। डीएवाई एनआरएलएम के तहत पांच करोड़ से अधिक महिलाओं को 37 लाख[4] स्व–सहायता समूहों में संगठित किया गया है। एसएचजी फेडरेशन जैसी संस्थाएं लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार कर रही हैं, उत्पादकता में सुधार कर रही हैं और विभिन्न विभागों में उपलब्ध संसाधनों में तालमेल के माध्यम से बाजार से संपर्क बढ़ा रही हैं।

[4] ibid

प्रचालनात्मक तालमेल

ग्राम/ग्राम पंचायत सरकार द्वारा कार्यान्वित किसी भी ग्रामीण विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की विकास आयोजना की कार्यात्मक इकाई है। इसके अलावा, भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उन 29 विषयों के बारे में बताया गया है, जिन्हें जन–केन्द्रित आयोजना के लिए ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने हैं। सरकारी व्यय के प्रमुख हिस्से के लिए सामाजिक क्षेत्र व्यय लेखा। यदि वर्तमान में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, महिला और बाल विकास, स्कूल शिक्षा और साक्षरता जैसे विभिन्न विषयगत क्षेत्रों के तहत आवंटित वित्तीय संसाधन के साथ–साथ चौदहवें वित्त आयोग के.... को मिला दिया जाए, तो भी जो राशि खर्च की जा रही है वह चार लाख[5] करोड़ रुपए से अधिक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गरीबों के लिए आजीविका आधार को मजबूत करने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किए जा रहे हैं। वर्तमान दृष्टिकोण बहु–आयामी गरीबी को दूर करने में पूरी तरह कारगर नहीं है। विभिन्न योजनाओं में चयन के अलग–अलग मानदंड तथा सरकारी योजनाओं के माध्यम से एक ही व्यक्ति/परिवार को मदद देने में स्थानिक और सामयिक अंतर के फलस्वरूप अलग–अलग योजनाओं में अलग–अलग लोगों/परिवारों को लक्षित किया जाता है। एकल और उदसीन दृष्टिकोण अपनाने की सहज प्रवृत्ति के कारण क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है और अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो रहे हैं। हालाँकि, जिन योजनाओं और कार्यक्रमों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है उनमें तालमेल करने के कुछ अवसरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता हैः i. शारीरिक, ii. मानवीय, iii. वित्तीय और iv. संस्थागत। कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार हैंः

i. **भौतिकः** भारत विविधताओं का देश जिसकी अलग–अलग भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विशेषताएं हैं। भौगोलिक स्थिति, खनिज भंडार, जलवायु परिस्थितियों जैसे कई कारकों का उत्पादन और उत्पादकता पर भारी प्रभाव है। इसलिए बहु–आयामी गरीबी की बढ़ती चुनौतियों को दूर करने के लिए किसी भी बढ़ती असमानताओं और विभिन्नताओं को कम करने के उद्देश्य से क्षेत्र विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। विश्व स्तर पर बढ़ती चिंताओं में से एक जलवायु परिवर्तन है। पानी की उपलब्धता से लेकर खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति आदि तक ब्रह्मांड पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत अधिक है। चूँकि गरीबी का बोझ वंचितों द्वारा गंभीर रूप से अनुभव किया जाता है, इसलिए यदि समय पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो महिलाओं और बच्चों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अपरिवर्तनीय हो जाता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषय को हल करने के लिए भारत सरकार सक्रिय है। सरकार मानती है कि गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास को तभी बरकरार रखा जा सकता है जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग/प्रबंधन स्थायी रूप से किया जाए। ग्रीन आउटकम्स सार्वजनिक व्यय को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। इसके अलावा, भारत की जल संरक्षण और कुशल सिंचाई की सतत प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की जल सुरक्षा के मुद्दों को हल करना होगा।

[5] Mission Antyodaya: Framework for Implementation, October, 2017

Mission Water Conservation (MWC): MWC strives to leverage the synergies between Mahatma Gandhi NREGA, Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), Integrated Watershed Management Programme (IWMP) and Command Area Development & Water Management (CAD&WM) Programmes. Apart from focusing on execution of works related to Water Conservation and Water Management, States have been requested to ensure work availability to poor households in poor regions on priority

ii. **वित्तीयः** सार्वजनिक निधियों की समय पर रिलीज और उपयोग के उद्देश्य से प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए एकल राज्य नोडल खाता बनाने के सामान्य नियम के साथ विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों का पीएफएमएस में विलय कर दिया जाता है। विकास कार्यक्रमों के लिए समय पर धनराशि जारी करने में काफी देरी होती है जिससे योजनाओं और कार्यक्रमों के आउटपुट और परिणाम प्रभावित होते हैं। इसलिए, राज्य सरकारों को प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आगे आना होगा।

iii. **मानव संसाधनः** भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में एक पसंदीदा स्थान के रूप में स्थापित करने की गति के साथ, जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए नीतिगत चर्चा और योजनाओं तथा कार्यक्रमों को अकुशल क्षेत्र के श्रम बल के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता है। श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धी नौकरियों के लिए कौशल कार्यकलापों को बढ़ाने हेतु संपूर्ण कौशल मैट्रिक्स के आधार पर उद्योग/व्यवसाय संचालन में प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरे, ग्रामीण क्षेत्रों में नैनो से सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण और तकनीकी जानकारी दोनों तरह की सहायता दी जानी चाहिए। तीसरे, आजीविका संवर्धन और विविधीकरण के लिए, आवश्यक बुनियादी ढाँचे और बाजार संपर्क स्थापित करके आजीविका मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत बनाकर परिवारों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में रणनीति बनानी चाहिए। घटती महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (एफएलएफपीआर), जो 23.7% से कम है, को देखते हुए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौजूदा कार्यक्रमों में जेंडर विशिष्ट कार्यकलापों पर जोर दिया जाता है। स्व–सहायता समूहों/क्लस्टरों को एक ऑफ–फार्म आजीविका, जिसमें समुदाय गाँव में संपूर्ण स्वच्छता के माध्यम से स्थानीय वातावरण में सुधार करते हैं तथा स्थानीय विरासत की सुरक्षा और संरक्षण करते हैं, के रूप में समुदाय–आधारित ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

डीएवाई एनआलएलएम और डीडीयू–जीकेवाई के बीच तालमेलः परियोजना का उद्देश्य डीडीयू जीकेवाई और आरएसईटीआई के साथ तालमेल करके मनरेगा परिवारों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और युवाओं के कौशल आधार में सुधार करना है। इस परियोजना में अन्य बातों के साथ–साथ, मनरेगा परिवारों के उन सदस्यों के लिए नियोजन आधारित कौशल पाठ्यक्रम चलाने के उद्देश्य से डीडीयू जीकेवाई के साथ तालमेल किया जाता है, जिन्होंने मनरेगा के तहत कम से कम 15 दिन का काम पूरा कर लिया है। कार्यक्रम के तहत 18–36 वर्ष आयु के युवाओं को शामिल किया गया है। महिलाओं, आदिम जनजाति समूह, एससीध्एसटी, ट्रांसजेंडर, विकलांग व्यक्ति और अन्य विशेष समूह के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है।

iv. संस्थागतः एसईसीसी का संपूर्ण डेटाबेस एक महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक नीति के साधन के रूप में काम करता है, इसलिए विकास की प्रगति और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर नजर रखने के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों को जोड़कर इसे अद्यतन और एकीकृत करने की आवश्यकता है।

स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रमः डीएवाई एनआरएलएम के तहत एसवीईपी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय की सहायता करने के लिए एक इको सिस्टम विकसित करता है। इको सिस्टम में व्यावसायिक एवं तकनीकी पहलुओं और विपणन सहायता से संबंधित व्यावसायिक सहायता सेवाएं, मेंटरशिप, सीड कैपिटल उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण देने और क्षमता निर्माण करने के घटक हैं। एसवीईपी से चार वर्षों (2015–2019) में 24 राज्यों के 140 ब्लॉकों में लगभग 2 लाख ग्राम उद्यमों के निर्माण और मजबूती में सहायता मिलने की उम्मीद है

अध्याय VII: राज्य और जिला स्तरीय दिशा समितियां

भारत सरकार ने बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें जमीनी स्तर पर विकासात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि इन कार्यक्रमों में तालमेल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने का एक समग्र तंत्र बनाया जाए। निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रमुख परियोजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी के लिए दो–स्तरीय प्रणाली विकसित की गई है। पहला स्तर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति है जिसे जिसे जिला स्तरीय दिशा समिति के नाम से भी जाना जाता है। यह समिति जिलों के संसद सदस्य की अध्यक्षता में काम करती है और दूसरे स्तर को राज्य स्तरीय दिशा समिति के रूप में जाना जाता है जो संबंधित मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में काम करती है।

राज्य और जिला स्तर पर दिशा समितियां विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। ये समितियां तालमेल के माध्यम से अलग–अलग मंत्रालयों के त्वरित विकास के एक साझे लक्ष्य वाले विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकती हैं। यह सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें देश के प्रत्येक गाँव के विकास कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी करने और नीति नियोजन स्तर पर उपयुक्त सुधार के लिए फीडबैक लूप के रूप में काम करने में सक्षम बनाता है। सही समय पर तालमेल करके और साक्ष्य आधारित निर्णय लेकर परिणामों में सुधार करना इस की पहल का मुख्य उद्देश्य है।

सुशासन के लिए सरकारी पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और कार्य–कुशल बनाया जा सके। यह वही है जो हम दिशा डैशबोर्ड के माध्यम से करना चाहते हैं। दिशा डैशबोर्ड एक अत्याधुनिक पहल है।

दिशा निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए की गई पहल:

1. **दिशा डैशबोर्ड**– प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रगति की निगरानी करने और कार्यक्रम कार्यान्वयन में अड़चनों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकारी योजनाओं और संबंधित लाभार्थियों से जुड़ी सूचनाओं का प्रसार, योजनाओं के निष्पादन पर फीडबैक लूप और कार्रवाई का पता लगाना नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की कुंजी हैं। आंकड़े के आधार पर सही समय पर निर्णय लेने में दिशा समिति के सदस्यों की सहायता करने के लिए अत्याधुनिक दिशा डैशबोर्ड बनाय गया है जो दिशा समिति को सटीक और वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध करा कर जानकारी आधारित निर्णय लेने में और विश्लेषणात्मक कार्य करने में मदद कर सकता है। दिशा डैशबोर्ड में 6 योजनाओं को एकीकृत करके इसे 11 अक्तूबर, 2017 को शुरू किया गया था। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों की 34 योजनाएं इसमें एकीकृत की गई हैं।
2. **बैठक प्रबंधन सॉफ्टवेयर**– दिशा बैठकों की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से कैप्चर करने और चर्चाओं और परिणामों का पता लगाने के लिए बैठक प्रबंधन सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है।

चुनौतियां और आगे का रास्ता:

1. **जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय दिशा समितियों की बैठक:** दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला स्तरीय दिशा की बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम–से–कम एक बार और राज्य स्तरीय दिशा की बैठकें प्रत्येक छह

महीने में एक बार आयोजित की जानी चाहिए। मंत्रालय दिशानिर्देशों के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को जोर देकर कहता है।

2. **दिशा डैशबोर्ड का पूरी तरह से संचालन**– दिशा डैशबोर्ड की परिकल्पना दिशा समीक्षा तंत्र से परिणामों को सुधारने के उद्देश्य से की गई है। इसका उद्देश्य दिशा के तहत विभिन्न योजनाओं की आयोजना, निगरानी और विविध मापदंडों का मूल्यांकन करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु आंकड़े से संचालित शासन समाधान तैयार करना है। दिशा निगरानी प्रणाली में शामिल सभी योजनाओं के संबंध में एक बार पूरी तरह से कार्यशील दिशा डैशबोर्ड विभिन्न भौगोलिक स्तरों जैसे जिला, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और गांवों की प्रशासनिक सीमाओं के साथ सूचना के एकल स्रोत के रूप में काम करेगा। वर्तमान में, 34 योजनाओं को दिशा डैशबोर्ड में एकीकृत किया गया है तथा कुछ और योजनाओं को एकीकृत करने का काम चल रहा है।

वार्षिक उप–योजना के साथ दिशा का पंचवर्षीय विजन, समय – सीमा और लक्ष्य

'कोई भी पीछे न रहे' के लक्ष्य को केवल तभी हासिल किया जाता है, जब विकास कार्यक्रम को दिशानिर्देशों के अनुसार सफलतापूर्वक लागू किया जाता है। दिशा निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा 100% निगरानी और समन्वय के लिए एक संस्थागत ढांचा है, जिसमें सभी संबंधित हितधारक दिशा समिति की बैठक में मिलते हैं। पंचवर्षीय दिशा विजन इस प्रकार है:

- राज्य और जिला स्तर पर समय पर 100% दिशा बैठक आयोजित की जानी चाहिए
- दिशा के तहत सभी प्रमुख विकास और कल्याण कार्यक्रम की निगरानी की जाएगी
- योजना की प्रगति और कार्यान्वयन में बाधाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करके दिशा समिति को मजबूत बनाना
- दिशा बैठकों में लिए गए निर्णय की प्रभावी समाधान तंत्र के साथ निगरानी करना

तालिका–17

घटक	2019-20 (**वर्तमान**)	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आयोजित की गईं दिशा बैठकें और लक्ष्य	23.62%	30%	50%	70%	90%
दिशा बैठक के निर्णयों की निगरानी	कोई नहीं	मंत्रालय स्तर पर	मंत्रालय स्तर पर + राज्य/ जिला स्तर पर	मंत्रालय स्तर पर+राज्य/जिला स्तर पर	मंत्रालय स्तर पर+राज्य/जिला स्तर पर
दिशा कार्यक्रम के तहत योजनाएं	42	50	60	70	सभी प्रमुख योजनाएं

घटक	2019-20 (**वर्तमान**)	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिशा डैशबोर्ड पर विचार	• लक्ष्य योजना 34 से 42 तक रहती है • एसी/पीसी, मानचित्र और विभिन्न विचार • ज्यादातर जिला स्तर	• लक्ष्य योजना 42 से 50 तक रहती है • एसी/पीसी, मानचित्र और विभिन्न विचार • योजना के समान ग्रैन्युलैरिटी स्तर।	• लक्ष्य योजना 50 से 60 तक रहती है • एसी/पीसी, मानचित्र और विभिन्न विचार • योजना के समान ग्रैन्युलैरिटी स्तर।	• लक्ष्य योजना 60 से 70 तक रहती है • योजना के समान ग्रैन्युलैरिटी स्तर।	• लक्ष्य योजना 70 से सभी प्रमुख योजनाओं में रहती है • सभी लाभार्थी न्यूनतम ग्रैन्युलैरिटी स्तर पर डेटा देते हैं
विश्लेषिकी आधारित एजेंडा	• नियमावली	• दिशा डैशबोर्ड के आधार पर	• डैशबोर्ड से स्वचालित एजेंडा आइटम	• डैशबोर्ड से स्वचालित एजेंडा आइटम	• डैशबोर्ड से स्वचालित एजेंडा आइटम

अध्याय VIII: सूचना प्रौद्यौगिकी

विभाग का लक्ष्य एक ऐसी मजबूत और परिवर्तनशील आईटी प्रणाली बनाने का है जो उभरती प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ प्रौद्योगिकी विकास की तीव्र गति के साथ विकसित होने वाली हो, जो प्रणाली को न्यायसंगत बनाने वाली हो और अत्याधुनिक हो। **प्रत्येक सेवा को डिजिटल रूप से स्थानीय भाषा में सक्षम बनाने का विजन है जिसमें सभी शासनिक पहलों के लिए ग्रामीण नागरिकों/लाभार्थी के साथ कुशल दोतरफा संपर्क की सुविधा हो।** आईसीटी अनुकूलन और पुनर्निर्माण के क्षेत्र में निकट भविष्य के लिए नियोजित कार्यकलापों और विकास की अधिकता के साथ, विशेष ध्यान दिए जाने वाले कुछ प्रमुख क्षेत्र में शामिल हैं (लेकिन वे निम्न तक ही सीमित नहीं हैं):

क) ''स्मार्ट'' प्रौद्योगिकियों के साथ आंकड़े के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाना

ख) मोबाइल केंद्रित प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के साथ क्षेत्र स्तर के संचालन और नागरिक जवाबदेही में सुधार करना

ग) आसान लेनदेन, सूचना, जागरूकता और कभी भी, कहीं भी स्थानीय भाषा में अधिकारियों/प्रणाली से जुड़ने के माध्यम से नागरिक अनुभव को बढ़ाना

घ) एकीकृत आईटी समाधानों के साथ बढ़ी हुई प्रक्रिया दक्षता के अनुरूप सुधार करके सरकारी प्रक्रिया को प्रभावी बनाना

ङ) अत्याधुनिक आईटी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हुए आईटी में निरंतर सुधार करना

च) रूरलस्टैक बिल्डिंग– ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रमों से संबंधित व्यापक दृष्टिकोण को शामिल करते हुए एक उद्यम निर्माण योजना

छ) बेहतर कार्यक्रम कार्यान्वयन पर समग्र रूप से ध्यान देते हुए नागरिक केंद्रित अनुप्रयोगों के माध्यम से नागरिकों तक बेहतर पहुंच के लिए तंत्र बनाना।

सुशासन के तहत, भारत @ 75 के लिए 75 लक्ष्यों के तहत, विभाग लगातार 3 प्रमुख पहलों की उपलब्धि की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना और बढ़ाना, सरकारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाना और सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना शामिल है, जो आने वाले समय में अनुप्रयोगों में सुधार और बदलाव के माध्यम से एक सतत प्रक्रिया रहेगी।

तालिका–16

समय-सीमा	वर्ष -1 (2019-20) लक्ष्य	वर्ष-2 (2020-21) लक्ष्य	वर्ष 3 (2021-22) लक्ष्य	वर्ष -4 (2022-23) लक्ष्य	वर्ष -5 (2023-24) परिणाम *
लक्ष्य / परिणाम	कार्यक्रम दिशानिर्देशों के मूल्यांकन/ प्रतिरूपण (मॉडलिंग) के लिए एआई/बीए जैसी समकालीन प्रौद्योगिकी का उपयोग सिंगल साइन ऑन चैटबोट गतिशील डैशबोर्ड	सभी पोर्टल्स/वेबसाइट/ मोबाइल ऐप्स के लिए मल्टी लैंग्वेज इंटरफेस को इनेबल करना आईटी सेवाओं के लिए 99.999% अपटाइम सुनिश्चित करना ब्लॉक चेन और अन्य उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सभी आईटी प्रणालियों में डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना 2 तरह से अत्याधुनिक हेल्पडेस्क की स्थापना सभी ग्राम पंचायत में जीआईएस समर्थित भागीदारी आयोजना की रूपरेखा तैयार करना ग्रामीण विकास विभाग के लिए एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (रूरलस्टैक) डीबीटी आधारित भुगतान (एबीपी) की ओर पूरी तरह अग्रसर होना आधार आधारित प्रमाणीकरण	एसईसीसी / सोशल रिपॉजिटरी का लाभ उठाने वाले सभी पीडी के आईटी सिस्टम को परिवर्तित करके हर ग्रामीण परिवारों का डिजिटल प्रोफाइल	डिजिटल सेवाओं के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार 100% डिजिटल सेवाएं शुरू करना	संबंधित पीडी द्वारा साझा की गई आवश्यकताओं के अनुसार आईटी से संबंधित सभी सेवाओं को कार्यान्वित करना

अध्याय IX: संचार नीति

विहंगावलोकन

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विकास एवं कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के समग्र विकास की कार्यनीति में केंद्रीय भूमिका निभाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुंचना और विकासात्मक असंतुलन को दूर करके ग्रामीण भारत में जीवन–स्तर में सुधार करना है। सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रभाग ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों तथा लक्षित समूहों में मंत्रालय के कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उसे बनाए रखने के उद्देश्य से आईईसी कार्यकलाप तैयार और निष्पादित करता है। मंत्रालय सभी मीडिया प्लेटफार्मों में उपलब्ध संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से सूचना का प्रसार करने के लिए अपने आईईसी कार्यकलापों को उत्तरोत्तर मजबूत करता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की संचार नीति

1. विगत वर्षों में ग्रामीण विकास विभाग की संचार नीति लाभार्थियों के बीच अपने अग्रणी कार्यक्रमों के संबंध में लक्षित रूप से जागरूकता पैदा करने (हकदारी, उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रियाएं, सफलता की कहानियां इत्यादि) तथा नीति निर्माताओं के बीच अनुकूल मनोवृत्ति बनाए रखने के उद्देश्य से 360 डिग्री मीडिया अभियान तैयार करने की रही है। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ भावनात्मक और तार्किक रूप से जुड़ने के लिए सर्वाधिक पहुंच वाले नवीन मीडिया साधनों की पहचान करना एक प्राथमिकता है। अतः इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण आयोजनों के अनुरूप कार्यनीतिक रूप से मीडिया की योजना तैयार करके सेवाओं की मांग में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना है।

2. नीचे दिया गया चार्ट ग्रामीण विकास विभाग के लिए सामाजिक–पारिस्थितिकीय मॉडल के माध्यम से हितधारक का व्यापक विश्लेषण करता है:

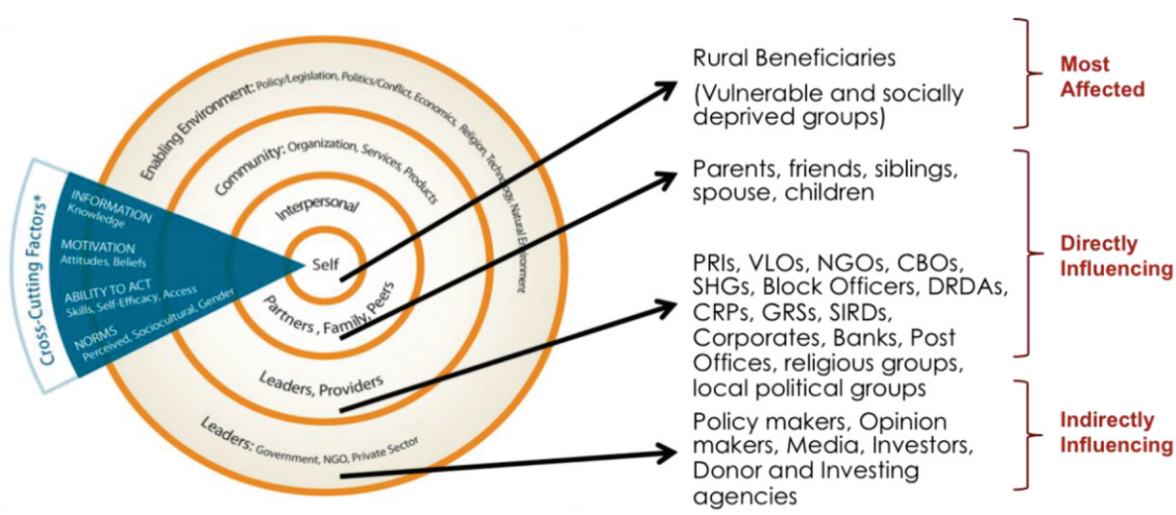

1. 'मेरा गांव' अभियान (जनवरी–मार्च, 2019 में शुरू किया गया) मंत्रालय के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए अंब्रेला ब्रांडिंग के साथ एकीकृत मल्टी–मीडिया अभियान था। इसका उद्देश्य पिछले पांच वर्षों के कार्यनिष्पादन के संबंध में मंत्रालय की उपलब्धि को दर्शाना था। इस अभियान में मनरेगा, पीएमएवाई–जी, पीएमजीएसवाई और ग्रामीण कौशल (डीडीयू–जीकेवाई और आरएसईटीआई) के लिए टेलिविजन कमर्शियल्स, रेडियो स्पॉट और आउटडोर होर्डिंग्स शामिल थे और उसे पूरे भारत में डीडी, सीएंडएस चैनलों डिजिटल सिनेमा, आकाशवाणी और एफएम पर प्रसारित किया गया था और इसके साथ ही राज्य तथा जिला स्तर पर हवाई अड्डों, बस के पैनलों पर होर्डिंग्स लगाए गए थे।

2. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई शोषणा के अनुसार पहले चरण में 14 अप्रैल, को अम्बेडकर जंयती से लेकर 5 मई, 2018 तक ग्राम स्वराज अभियान (जीएसए) चलाया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय सभी संचार कार्यकलापों में समन्वय करने तथा संचार नीति पर विभिन्न मंत्रालय का मार्गदर्शन करने के लिए नोडल मंत्रालय ताकि इनके बीच तालमेल बना रहे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रिंट, रेडियो, एसएमएस और डिजिटल मीडिया जैसे विभिन्न माध्यमों को कार्यान्वित किया। 360 डिग्री संचार नीति के लिए कॉल–टू–ऐक्शन को प्रेरित करने के लिए प्रिंट और रेडियो अभियान के साथ–साथ बड़ी मात्रा में एसएमएस अभियान भी शुरू किया गया था। संपूर्ण अभियान पर विस्तृत सूचना के साथ–साथ चित्र और वीडियो गैलरी के रूप में जमीनी स्तर पर चल रहे कार्यकलापों के संबंध में जानकारी देने के लिए ग्राम स्वराज अभियान के लिए एक अधिकारिक वेबसाइट URL http://gramswarajabhiyan.nic.in बनाई गई थीं। ग्राम स्वराज अभियान के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स बनाए गए थे, जिसमें इस अभियान में भाग लेने वाले सभी मंत्रालय वीडियो, चित्रों और जीएसए को टैगिंग करते हुए पोस्ट के रूप में क्षेत्र की जानकारी सक्रिय रूप से अपलोड कर रहे थे।

3. फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पेज और इंस्टाग्राम पर हैंडल्स के साथ ग्रामीण विकास विभाग का सोशल मीडिया में मजबूत उपस्थिति है। ग्रामीण विकास विभाग के सभी कार्यक्रमों से संबंधित सूचना सोशल मीडिया हैंडल्स पर नियमित रूप से पोस्ट की जाती है जिसमें जमीनी स्तर पर चल रहे कार्यक्रम, कार्यक्रमों की प्रगति, सफलता की कहानियों के रूप में जमीनी स्तर के लोगों की आवाज इत्यादि शामिल हैं।

अगले पांच वर्षों के लिए संचार नीति

1. ग्रामीण विकास विभाग के भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी तक पहुंचने के साथ ही साक्ष्य आधारित संचार अभियान (प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के जरिए) समय की आवश्यकता है। गहन टेलीविजन और रेडियो अभियान, दूरदर्शन पर नुक्कड़ नाटकों, ग्रामीण चौपालों इत्यादि जैसे विभिन्न माध्यमों के जरिए लक्षित दर्शकों के बीच ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के बारे में गलत धारणाओं और अड़चनों को दूर करना इसका लक्ष्य है। इस एकीकृत उच्च डेसिबल वाले मल्टीमीडिया अभियान में ग्रामीण विकास विभाग के सभी कार्यक्रमों को भारत की ग्रामीण आबादी के जीवन पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रभाव को मजबूत बनाने के लिए एक सशक्त और आकर्षक अम्ब्रेला कैम्पेन थॉट और टैगलाइन के तहत एकरूप बनाया जाना चाहिए।

2. ग्रामीण विकास विभाग ने संदेश को फिर से याद करने और समझने, संदेश को देखने के बाद हितधारकों द्वारा की गई कार्रवाई का तथा अगले वर्ष की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के अभियान के दौरान उपयोग किए गए संचार चैनलों की प्रासंगिकता/पहुंच का पता लगाने के लिए मल्टीमीडिया कार्यकलापों का प्रभाव मूल्यांकन करने की भी योजना बना रखी है।

अध्याय X: निष्कर्ष

''भारत का भविष्य इसके गांवों में बसता है'' – महात्मा गांधी

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और सतत विकास हासिल करने के उद्देश्य से विकास के लाभ समाज के निचले तबकों तक पहुंचाए जा रहे हैं। गरीबों को अपने मौलिक अधिकार प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना आवश्यक है जिससे वे एक बेहतर जीवन जी सकें। तथापि, इसे वास्तविक रूप देने के लिए सार्वजनिक नीति को समावेशी विकास पर आधारित होना चाहिए जिसमें आर्थिक वर्गों के बीच असमानताओं को कम किया जाएगा। आर्थिक विकास तभी स्थायी होगा जब वह समावेशी हो और गरीबी तथा असमानता को खत्म करने में सहायक हो।

विजन दस्तावेज मोटे तौर पर परिवर्तनकारी विकास तथा समयबद्ध तरीके से ग्रामीण भारत में गरीबी के निरंतर और दोषपूर्ण चक्र पर विजय प्राप्त करने तथा समावेशी और स्थायी विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जाने वाली कार्यक्रम विशिष्ट कार्यनीतियों को रेखांकित करता है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य मजदूरी रोजगार सृजित करना, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना, महिलाओं को शामिल करते हुए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में मूल्य संवर्धन करना, कृषि तथा गैर–कृषि दोनों क्षेत्रों में विविधीकरण, स्वच्छता, बिजली और स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता के अन्य प्रावधान के साथ आवास की सुविधाओं के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा और बाजार तक पहुंच के लिए बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।

विगत वर्षों में एसईसीसी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का चयन करने में, कार्यक्रमों के परिणामों को पहले से अधिक प्रभावशाली और दीर्घकालिक बनाने में कार्यक्रम की कार्यान्वयन नीति में आमूल–चूल बदलाव किया गया है। मैक्सिमम गवर्नेंस और मजबूत स्टेट– सिटिजन इंटरफेस के उद्देश्यों के साथ सरकार का प्रयास आवश्यकता आधारित आयोजना, लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समुदाय को शामिल करने और पारदर्शिता लाने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र तथा सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी की दिशा में रहा है। इसलिए विभाग ने आधार नंबर से जुड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की अत्याधुनिक तकनीक अपनाई है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न सरकारी अधिकारों और हकदारियों के बारे में सार्वजनिक सूचना प्रणालियों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाया जाता है। इस प्रकार, शासनिक संस्थाओं और नागरिकों के बीच जीवंत संबंध ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं तैयार करने में प्रभावशाली रहे हैं। शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना ने नागरिकों को सार्वजनिक संसाधनों के गबन और कार्यक्रमों में अन्य प्रकार की असंगति की जानकारी देने में समर्थ बनाया है।

इस तरह, विजन दस्तावेज का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और उनकी उपलब्धता के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ सरकार के उद्देश्यों को परिलक्षित करना है जिससे कि ग्रामीण नागरिक प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ रह सकें।

*****

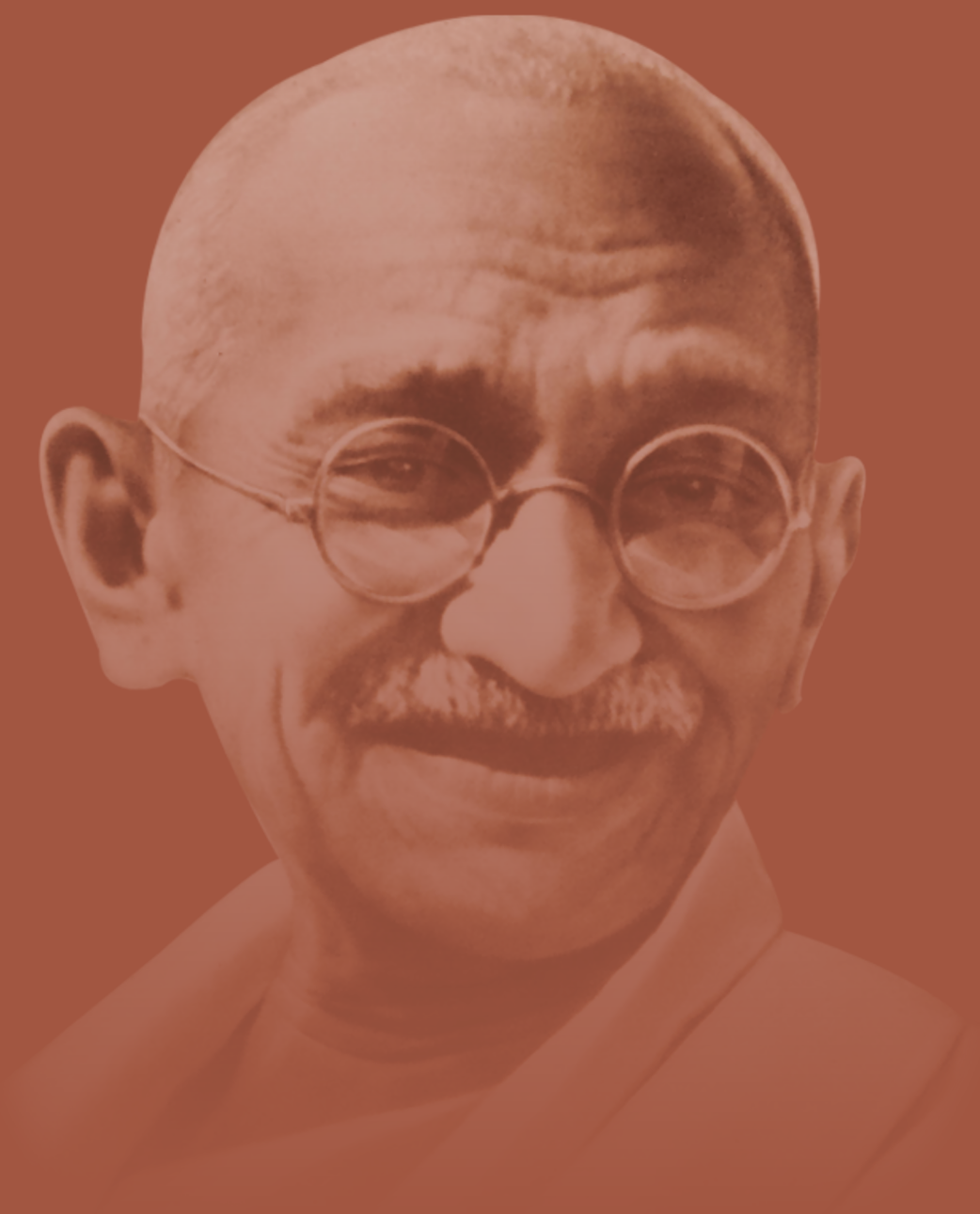

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

भारत सरकार